हमारा आगे का काम

चरखा संघ के इतिहास में पिछले तीन वर्ष अलग पड जाते है। अिसका खयाल यह अहवाल पढ कर आ सकेगा। १९४६ की चरखा जयन्तीके वक्त गांधीजी ने अपने संदेश में कहा था कि खादी का अेक युग समाप्त हुआ है; अब खादी को यह बताना है कि गरीब अपने पैरोंपर खडे रह सकें। चरखा जयन्ती के निमित्त गांधीजी का यह आखिरी संदेश था। खादी के बदलते युग के लिये अुन्होंने चरखा संघ के और देश के सामने अपने कुछ सुझाव भी रखे थे। अहवाल पढने से पता लगेगा कि तब से अब तक खादी काम में चरखा संघ ने क्या क्या कोशिशें की हैं; अिन तीन वर्षों में जो काम हो पाया है और जो अनुभव मिले हैं अुस पर से हमारे आगे के काम का विचार भी हमें कर लेना चाहिये। जिस तरह से खादी काम की शाखा-अुपशाखाओं का विचार और कार्यक्रम अबतक हम करते आये हैं, अुस तरह से अब यह भी सोच लेना चाहिये कि विभिन्न परिस्थिति और अलग अलग आर्थिक सतह के क्षेत्रों में खादी का कार्यक्रम क्या हो। अिसका विचार करते हमारी दृष्टि साफ रहे अिस लिये गांधीजी के खादी काम के असली लक्ष्य के बारे में कुछ विचार यहां उद्‌धृत करना ठीक होगा, जो कि १९३४ से चरखा संघके अहवाल में छपे हैं:—

"शहरों की खादी की आवश्यकता की पूर्ति करना चरखा संघ का काम है यह जानते हुवे भी गांधीजी ने अप्रैल के ट्रस्टी मंडल की सभा में अिस बातपर जोर दिया है कि खादी-आंदोलन का असली मकसद शहरों में खादी बेचना और अुस के जरिये राहत देना ही नहीं है, बल्कि अुसके जरिये देहाती भाअियों तथा कारीगरों को वस्त्रस्वावलंबन की ओर पुरःसर करना तथा अुनका जीवन सुसंस्कृत, समृद्ध अेवं स्वयंपूर्ण बनाना है।

"अिस विचार के अनुसार चरखा संघ की नीति तथा कार्य में मूलभूत फर्क करना अत्यावश्यक हुआ है। हस्त-व्यवसाय का अुत्पादन बेचने के लिये नहीं वरन् निजी अिस्तेमाल के लिये ही हो यह बात अिस में से फलित होती है। अिसका अमल करने की दृष्टि से खादी कामगारों के लिये खुद बनाअी हुअी खादी का अिस्तेमाल करना आवश्यक है। अुनके अिस्तेमाल के अुपरांत बची हुअी खादी अुस देहात के अन्य लोगों में खपनी चाहिये। देहात की आवश्यकता-पूर्ति के बाद बची

हुअी खादी अुसी ताल्लुके में या अुसी प्रांत में भेजी जा सकती है। प्रान्त सब से बडी अिकाअी माना जाय कि जहां अिस प्रकार बनी हुअी खादी का वितरण किया जा सकता है। खादी के अिस्तेमाल में अिस तरह क्रमिक स्वावलंबन का विकास किया जाय। समाज के अेक घटक के नाते हर कुटुंब को अपने वस्त्र की और हर प्रान्त को अपने कपडे की जरूरत खुद ही पूरी करनी चाहिये। अिस अुद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से अिस प्रकार कदम अुठाने चाहिये कि जिस से देहाती भाअियों के जीवन पर अच्छी छाप पडे और परिणामतः अुनका चारित्र्य, बुद्धि और कार्यकुशलता बढे। खादी कार्यकर्ताओं को देहाती भाअियों के जीवन से समरस होना चाहिये और अुनका जीवन सर्वांगीण बनाने के लिये प्रयत्न करने चाहिये।"

यह दृष्टि सामने रख कर आज की हालत में अूपर लिखे अनुसार काम करना हो तो मोटे तौर पर देश में तीन तरह के क्षेत्र पाये जाते हैं:-

१. परंपरागत कताअी की जाती है अैसे अकाल-पीडित क्षेत्रों में तथा आर्थिक दृष्टि से निचले दर्जे के क्षेत्रों में आज भी शहरों में बेचने के लिये खादी उत्पादित की जाती है। कुछ परिमाण में कातने वाले तथा बुनने वाले आज भी खादी अिस्तेमाल करने लगे हैं। पर यह ज्ञानपूर्वक करने की शक्ति अुनमें आयी नहीं है। तथा अुनके मुख्य अुद्योग यानी खेती को जब तक उन्नतावस्था प्राप्त नहीं होती तब तक अुनका जीवन आज से ज्यादह समृद्ध तथा संपन्न कदापि नहीं हो सकता। अतः अिस क्षेत्र में खादी के साथ-साथ खेती तथा अन्य नैसर्गिक साधनों का विकास कर के अुन की आर्थिक स्थिति सुधारने का विचार किया गया तो धीरे-धीरे हम अुस उद्देश्य तक पहुँच सकेंगे। यह जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक आज का काम है अुसी स्थिति में हमें चालू रखना पडेगा।

२. जिन प्रदेशों में मध्यम वर्गीय किसान अपना खेती का काम होशियारी से कर रहा है वहाँ वह सुशिक्षित तथा सुधरा हुआ दिखाअी पडेगा। खेती के अुद्योग पर ही जिनका आर्थिक जीवन कुछ अंश में स्थिर हो गया है अैसे परिवारों ने सामूहिक जीवन की तथा ग्राम-स्वावलंबन की दृष्टि अपनायी तो वस्त्र स्वावलंबन का काम बढने के लिये अैसे क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा अनुकूल हैं अैसा मानने में कोअी हर्ज नहीं है। अिस प्रकार के कुछ क्षेत्रों में आज भी हम वस्त्रस्वावलंबन का कार्य कर रहे हैं। पर अिस कार्य में भी हम अब तक सामूहिक जीवन की कल्पना नहीं पैदा कर सके हैं; हमें अिस दिशा में कुछ प्रयत्न करना चाहिये।

३. भारत में जहां-जहां आदिवासी लोग बसे हुअे हैं तथा जो जो क्षेत्र पिछडा हुआ है, जहां सर्वांगीण विकास करने की आवश्यकता है अैसे सभी प्रदेशों में खादी काम करना हो तो वहां की तालीम को हमें अपने हाथ में लेना होगा। परिश्रम पर चलने वाले "शैक्षणिक परिश्रमालय" जैसी कुछ योजनाअें बनानी होंगी। अुस क्षेत्र की नैसर्गिक संपत्ति का, खेती आदि का अुपयुक्त रीति से किस प्रकार अिस्तेमाल किया जाय वह हमें लोगों को सिखाना होगा। तथा अन्न, वस्त्र और मूलभूत आवश्यकताओं के लिये हमें "स्वावलंबी बस्तियों" के रूप में गाँवों की रचना करनी होगी, अिस दृष्टि से काम करना पडेगा।

जहां कहीं हमारा खादीकाम चल रहा है या आगे चलेगा अुन क्षेत्रों की अिन तीन प्रकार से जांच करके वहां के लिये अुपयुक्त खादी कार्य का अधिक सुनिश्चित आयोजन हम अगले साल में कर सकें तो जिस व्यापक और विविध दिशा में हमने काम शुरू किया है वह ज्यादा कारगर और फलदायी होगा। अैसा भी संभव है कि कुछ क्षेत्रों में अूपर लिखे तीनों प्रकारों से मिला-जुला आयोजन भी हमें करना पडे। लेकिन यहां तो संक्षेप में अिसका अुल्लेख अिसलिये किया जा रहा है कि अुस दृष्टि से विचार करने की ओर और हमारे आयोजनों में अिस दृष्टि का ख्याल रखने की ओर ध्यान आकर्षित हो। अधिक तफसील का विचार हमें आगे करना होगा।

यह सब करते वक्त स्थानिक लोगों की कर्तृत्व-शक्ति जाग्रत होकर वे कार्यप्रवण बने तथा अपने गाँव का काम अपने को ही करना है अिस प्रकार की वृत्ति गाँव में बढे अैसा प्रयत्न किया जाना चाहिये। अैसा हुआ तो ही प्रथम वैचारिक क्रांति कर के अेक नयी अर्थ-व्यवस्था हम आज के चरखा संघ के काम में से मुल्क के सामने रख सकेंगे व मार्गदर्शन भी कर सकेंगे। अैसा करने पर ही चरखे द्वारा क्रांति करने की साधना हमारे हाथों से हो सकेगी। ये सब प्रवृत्तियां चलाते वक्त पूज्य गांधीजी ने कहा था अुस के अनुसार अहिंसक आर्थिक समाज रचना का चरखा प्रतीक है और सब ग्रामोद्योगों को सूर्य-मंडल के ग्रहों के नाते स्थान है, यह बात भी हमें हरदम अपने सामने रखनी होगी।

चरखा संघ के कार्यकर्ताओं से, खादी काम करने वाले अन्य कार्यकर्ताओं से और सभी खादीप्रेमियों से अनुरोध है कि वे अिस अहवाल को अच्छी तरह पढें और आगे के काम के बारे में अधिक विचार करें।

सेवाग्राम, वर्धा.
ता. १-६-५२

अ. वा. सहस्रबुद्धे
मंत्री, अ. भा. चरखा संघ.

अखिल भारत चरखा संघ

का

तीन साल का काम

१ जुलाअी १९४९ से ३० जून १९५२ तक

प्रास्ताविक

अखिल भारत चरखा संघ का सालाना अहवाल हर साल नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता रहा है। लेकिन किन्ही खास दिक्कतों के कारण पिछले दो वर्ष का अहवाल प्रकट करने में अितनी देरी हुअी कि यह अहवाल छपते छपते अब तीसरा वर्ष भी समाप्त हो जायगा। अिसलिये दो वर्ष के अहवाल के साथ अिस वर्ष की भी खास खास घटनाअें शामिल कर के तीन वर्ष के संघ के काम की जानकारी अिस विवरण में देने का विचार किया गया है। आँकडे केवल दो साल के ही दिये जा सके हैं।

अिन तीन वर्षों में चरखा संघ ने अपनी प्रवृत्ति खादीतत्त्व के प्रचार के काम में विशेष रूप से लगाने की कोशिश की है। सारा कार्य केवल चरखा संघ की शाखाओं और केन्द्रों के मार्फत संचालित करने के बदले स्थानिक जनशक्ति को अिस दिशा में अुठाने की और अुसके अनुकूल योजनायें चलाने की कोशिश संघ करता रहा है। आज यह हिसाब लगा सकना कठिन है कि अिस कोशिश का असर कहां कहां पहुँचा है। खादी को राष्ट्रीय पोशाक के कपडे के रूप में आज तक लोगों ने पहचाना। अहिंसक समाज रचना के और समाज को शोषण मुक्त करने के मार्ग और तत्त्व के रूप में खादी-विचार आज बहुतेरों को नया-सा लगता है। कहीं कहीं पुराने ढंग का खादीकाम कम हुआ भी जान पडता है। चरखा संघ ने भी अपना कुछ पुराना काम नयी दिशा में आगे बढाने के हेतु से समेटने की कोशिश की है। यह नया काम आज नयी बोवाअी के रूप में हो रहा है। अिसका सही हिसाब और नतीजा तो भविष्य ही बतलावेगा। अभी अिस विवरण में प्रचार आदि कार्यक्रमों का बयान हम अधूरा ही दे सकेंगे, क्यों कि कअी छोटी छोटी मंडलियों से हमें काम का ठीक विवरण नहीं मिल पाया है।

पाठकों से प्रार्थना है कि केवल मजदूरी के बँटवारे के अंकों और खादी की उत्पत्ति और बिक्री के अंकों पर ही से खादीकाम का मूल्य न आँक कर गांधीजी की ग्राम-राज्य की कल्पना की दृष्टि से खादीक्षेत्र में शुरू की गयी नयी प्रवृत्तियों के विवरण पर विशेष गौर करें। अिस तीन वर्ष के अहवाल-काल में नीचे लिखी बातें संघ का प्रधान लक्ष्य रहीं :—

(१) ग्राम-स्वावलंबन का विचार देश में फैले,

(२) ग्राम-जन अपने नेतृत्व व सहकार से अपना काम चलावें,

(३) गाँवों का आर्थिक नियोजन करें और अुस सम्बन्धी समस्याओं को हल कर अपने गाँव की आयात-निर्यात की नीति ठहरावें,

(४) अन्न-वस्त्र की प्राथमिक आवश्यकता के लिये गाँवों का पैसा बाहर न जाय अिसलिये कारखानों की बनी वैसी चीजों का त्याग करें,

(५) खादी-कारीगरों में मिल-वस्त्र-बहिष्कार और खादी का अिस्तेमाल बढ़े,

(६) खादी-ग्राहकों में खुद कताअी का प्रचार हो,

(७) वस्त्र-स्वावलंबन के लिये बुनाअी और खादी की सभी प्रक्रियायें स्थानिक हों अैसी तालीम दी जाय,

(८) सब जगह पैदा हो सके और कपडा मजबूत व टिकाअू रहे अैसे कपास के प्रयोग किये जायँ,

(९) देहाती कारीगरों से बन सकें और दुरुस्त किये जा सकें, तथा स्थानिक कच्चे माल द्वारा प्रस्तुत किये जा सकें अैसे सरंजाम के प्रयोग किये जायँ,

(१०) खादी उत्पत्ति-बिक्री में केन्द्र-स्वावलंबन हो, तथा

(११) खादी केन्द्रों व खादी कार्यकर्ताओं में समग्र ग्रामोत्थान की दृष्टि लायी जाय और अुसके लिये जरूरी अमल करने में प्रोत्साहन दिया जाय।

कताअी मंडल

अिन नयी प्रवृत्तियों में कताअी-मंडल-योजना सब से महत्त्व की रही। चरखा संघ ने कताअी-मंडल-योजना १९४८ में शुरू की। "हिन्दुस्तान देहातों में बसा हुआ है। देहातों के अुत्थान में ही देश का अुत्थान है। हिंसा और शोषण का रास्ता छोडना है तो स्वावलंबी, स्वाश्रयी और स्वयंपूर्ण बन कर ही देहातों का अुत्थान हो सकता है। चरखा अिसका प्रतीक है।" अिस तरह के गान्धीजी के विचार

अुनके अनेक लेखों व भाषणों में, खास कर खादी सम्बन्धी लेखों व भाषणों में भरे हुअे पाये जा सकते हैं। फिर भी चरखा आन्दोलन का आरंभ स्वयंपूर्ति की योजनानुसार नहीं, बल्कि बाह्य आधार दे कर हुआ और चला। चरखा संघ का पहले २५ साल का कार्यक्रम भी अिस परतंत्र देश में जैसा भी बन पडे, अुस प्रकार से चरखे को जिन्दा रखने का रहा। खादी-विचार में हर गाँव की जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में स्वयंपूर्णता लाने की कल्पना होते हुअे भी अुस दिशा में सर्वांगीण काम नहीं हो सका। किसी गाँव में कपास पैदा होता रहा तो किसी में धुनाअी, किसी में कताअी या किसी में केवल बुनाअी होती रही। चरखा संघ के केन्द्रों में भी अिसी "खंडित" पद्धति से काम पनपा। आज भी संघ में अैसे क्षेत्र मौजूद हैं। साल भर में लाखों गुंडियाँ सूत कातने वाले सैंकडों देहातों का सारा सूत बुनाअी के लिये बहुत दूर के किसी क्षेत्र में भेजना पडता है। फिर यह सारा काम कहीं दूर-दूर कार्यकर्ता भेज कर किसी दूर के केन्द्र व केन्द्र-प्रतिनिधि की मार्फत कृत्रिम रूप से चलाना पडता है। यह सही है कि मिलों की स्पर्धा और अुनके बारे में राज्य की कृपादृष्टि ने खादी को अितना कुचल दिया है कि अभी कृत्रिम प्रयत्नों से भी अुसे जिन्दा रखना और जहाँ जो अंग विकसित हो सके अुसे पनपाना अेक आवश्यक कार्यक्रम माना गया है। लेकिन अिसे स्वयंपूर्णता का तरीका नहीं कहा जा सकता। वस्त्र की स्वयंपूर्णता के लिये गाँव-गाँव में कपास पैदा हो और घर-घर सूत कत कर खुद अपने हाथों से या अपने ही गाँव के पडोसी बुनकर से बुनाअी हो, यह जरूरी है और साथ ही अिस कार्यक्रम का संचालन भी गाँव के लोग खुद करें, समझ-बूझ कर करें, समग्र ग्रामोत्थान की दृष्टि से करें, और सस्तेपन के कारण केन्द्रित मिलअुद्योगों से बनी चीजों का आक्रमण अपने गाँव में रोकने का निश्चय करें, अैसा कोअी संगठन होना जरूरी था। यह लक्ष्य रख कर और कार्यकर्ता भेज कर खुद चरखा संघ के अपने खादीकेन्द्र खोलने व चलाने के बदले स्थानिक कताअी-मंडलों की योजना चरखा संघ की ओर से सोची गयी। अुसके अनुसार पिछले तीन सालों में संघ ने कताअी मंडलों का संगठन किया और असकी पूर्ति में खादी प्रेमियों के सम्मेलन, खादी के मूल उद्देश्य को समझाने वाले साहित्य का प्रकाशन आदि कार्य किया। सर्वोदय विचार-धारा के अनुसार काम करने की अिच्छा रखनेवाले बिखरे हुअे कार्यकर्ताओं का संगठन करना भी कताअी-मंडलों का अुद्देश्य रहा है।

शुरू में अिस संगठन में आज के वायुमंडल के पक्षाभिनिवेश की छाया कहीं कहीं दीख पडी। यह संगठन कोअी सत्ता हस्तगत करने के लिये नहीं बल्कि शुद्ध रचना-कार्य के लिये है यह समझाने की सावधानी रखने में कुछ कठिनाअी भी

मालूम पड़ी। कभी कताओी-मंडलों की मान्यता अिसी कारण रोकनी भी पड़ी। स्वराज्य आ गया है अिसलिये सब काम राज्यसत्ता से होगा या होना चाहिये अैसी भावना जहाँ तहाँ फैल चुकी है। राज्य-तंत्र अपने हाथ करना यही आज की समस्याओं का हल है अैसी विचारधारा सब को घेरने लगी है। अैसी हालत में पक्षाभिनिवेश छोड कर और सत्ता से नहीं बल्कि शुद्ध सेवा-भावना से ग्रामोत्थान के मार्ग में लाने की ओर लोगों का व सेवकों का ध्यान आकर्षित करना जरूरी था। चरखा संघ ने कताओी-मंडलों के जरिये अिस विचार का प्रसार करने, ग्रामोत्थान की दृष्टि को बढाने व वस्त्र-स्वावलंबन के कार्यक्रम को चालना देने की अिन वर्षों में कोशिश की है। अिस प्रचार ने देश में अेक नयी दृष्टि दी है। जहाँ अेक ओर "स्वराज्य के बाद खादी क्यों?" अैसा सवाल अुठने लगा था वहाँ संघ के प्रयत्न से "मिल-वस्त्र-त्याग" की आवश्यकता का विचार भी फैलने लगा है।

दो सौ वर्षों से गुलामी में रहे अिस देश के लाखों देहातों में अपने ही नेतृत्व व अपने ही आयोजन से स्वयंपूर्णता का कार्यक्रम जारी होने की स्थिति लाना कोओी आसान काम नहीं है। कताओी-मंडलों का कार्यक्रम भी अभी धीरे-धीरे ही फैल रहा है। अैसी विपरीत परिस्थिति में कताओी-मंडल-संगठन का काम जमाने के लिये छोटी से छोटी अिकाओी रखी गओी है। अहिंसा तथा चरखे पर विश्वास रखने वाले ५ खादीधारी व्यक्ति कताओी-मंडल खडा कर सकते हैं। आज कओी जगह यह भी पाया जाता है कि अेक देहात में अैसे पांच व्यक्ति मिलना कठिन है। कताओी-मंडलों के लिअे संघ ने जो नियम बनाये हैं अुन सब की पूर्ति न कर सकने वाले लेकिन कताओी मंडल कार्य को मानने वाले भी अिच्छा हो तो अेक मंडल खडा कर सकते हैं, जो अुम्मीदारवार-कताओी-मंडल के रूप में माना जाता है। अैसे कताओी-मंडल धीरे-धीरे नियम पूर्ति की तैयारी हो जाने पर मान्यता-प्राप्त कताओी-मंडल में परिवर्तित हो सकते हैं। कताओी-मंडल-संगठन को कडे नियमों में जकडने के बदले कुछ ढीला-सा रखना अुचित माना है। कताओी-मंडल-संगठन के नियम ये हैं।

(१) कताओी मंडल की स्थापना के लिये सहयोगी या वस्त्र-स्वावलंबी सदस्य पाँच रहें; लेकिन वे अलग अलग परिवार के हों।

(२) मंडल का सदस्य मिलसूत या मिलकपडे का व्यापारी न हो। वैसे ही वह शराब का व्यापारी न हो।

(३) मंडल के वस्त्र-स्वावलंबी सदस्यों के लिये सालाना चंदा एक गुंडी रहेगा।

(४) हर हफ्ते कम से कम मे अेक बार कताओी मंडल के सदस्य सामूहिक कताओी करें और आपसी विचार-विनिमय करें।

कताई मंडलों के लिये नीचे लिखा कार्यक्रम दिया गया है—

१ स्वावलंबी कताई
२ सफाई
३ आपसी सहकार
४ घरेलू बुनाअी
५ ग्राम-स्वावलंबन

अैसे कताअी मंडलों की संख्या विवरण काल में नीचे लिखे अनुसार रही:—

वर्ष	मान्यता-प्राप्त	अुम्मीदवार
१९४९–५०	७३९	३५७
१९५०–५१	७६७	४४०
१९५१–५२ (अप्रैल तक)	८१९	५४९

प्रान्तवार कताअी मंडलों की संख्या तालिका १ में दी गयी है। अुसे देख कर यह भी पता चलेगा कि करीब सारे देश में कताअी मंडल आन्दोलन चल पडा है। अनेक वाद-प्रवाद से बचते हुअे आज का यह संगठन जम पाया है। कताअी मंडल संगठन का ढांचा ही अैसा बना है कि स्वाभाविक तया ही कताअी मंडल के प्रकार और उनकी प्रवृत्तियों में अनेक भेद पाये जा सकते हैं। हरअेक कताअी मंडल मूल अुद्देश्य को ध्यान में रखते हुअे अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार अुस ओर बढने की चेष्टा कर रहा है। अुनसे सम्पर्क सांधने के लिये संघ की ओर से प्रान्तीय या प्रादेशिक कताअी मंडल सम्मेलनों का आयोजन विवरण-काल में करीब सभी प्रान्तों में कुल बारह जगहों पर हुआ। अिन सम्मेलनों के स्थान आदि की जानकारी तालिका २ में दी गयी है। संम्मेलनों के उपरान्त विविध प्रकार के शिबिर, चरखा संघ के कताअी मंडल विभाग के कार्यकर्ताओं का दौरा, पत्रव्यवहार और खास कताअी-मंडल-पत्रिका का प्रकाशन संघ कर रहा है। अिन सारे कार्यक्रमों में संघ का खर्चा अहवाल-काल में प्रथम वर्ष १७ हजार और दूसरे वर्ष ५१ हजार का हुआ है। वह अब अधिक बढ रहा है। संभव है वह शीघ्र ही सालाना १ लाख रुपये तक पहुँचेगा। अिसमें शालाओं द्वारा किया गया खर्च शामिल नहीं है। केन्द्र का ही यह खर्च हुआ है। वस्त्र तथा अुसके साथ जीवन की मुख्य जरूरतों के बारे में स्वावलंबन की वैचारिक भूमिका तैयार करना खादी आन्दोलन की आज की विशेष आवश्यकता है। देश भर में फैले हुअे कताअी मंडल अिसमें महत्त्वपूर्ण भाग ले रहे हैं। अब चरखा संघ ने अूपर लिखे सभा-सम्मेलन शिबिर-पत्रिका आदि के अुपरान्त अिस काम के लिये कताई-मंडल प्रसारक भी नियुक्त करना शुरू किया है। ये प्रसारक केवल प्रचारक ही न रह कर अपने

आसपास कुछ ठोस काम करें यह भी खयाल अब दिया जा रहा है। अिसके लिये कताअी-मंडल-सघन-क्षेत्र योजनाअें जारी हो रही हैं।

वैसे ये सभी कताअी मंडल अपने-अपने स्थान पर वस्त्र-स्वावलंबन का कार्य अपनी शक्ति के अनुसार करते ही रहते हैं। लेकिन अुनका यह कार्य अेकाकी हो जाने से अुतना प्रभावशाली नहीं हो सकता, यह सोच कर कताअी-मंडल-सघन-क्षेत्र की कल्पना की गयी। अिसके लिये कम से कम ३०–४० देहातों की अिकाअी मानी गयी। देहातों की अन्न तथा वस्त्र की पूर्ति आज मुख्यतया मिलोत्पादित वस्तुओं से की जाती है, अुसके बदले यदि यह पूर्ति चरखा तथा ग्रामोद्योगों के जरिये कताअी मंडलों के मार्फत कर सकें तो वह कार्य अतराफ के १००–२०० देहातों के लिये मार्गदर्शक हो सकेगा। अिस कल्पना को प्रत्यक्ष में लाने के लिये भारत में अलग अलग राज्यों में कुछ सघन क्षेत्र चुने गये हैं। अिस प्रकार बिहार में ५, उत्तर प्रदेश में १ और दक्षिण कर्नाटक में १ अैसे सात कताअी मंडल सघन क्षेत्र तयार करने की कोशिश हो रही है। हर जगह की परिस्थिति अलग है। वस्त्रपूर्ति के लिये कताअी मंडलों द्वारा सूत उत्पत्ति के अुपरान्त बुनाअी भी स्थानिक कर लेने की अिन क्षेत्रों में खास कोशिश की जा रही है। बुनाअी की यह समस्या हल किये बिना कताअी मंडलों का वस्त्रपूर्ति का काम आगे बढना कठिन है।

बुनाअी की यह कठिनाअी देख कर ही घरेलू बुनाअी का प्रचार भी चरखा संघ ने हाथ में लिया है। विवरण-काल के शुरू में महाराष्ट्र (मूल) व गुजरात (बारडोली) में पाँच सप्ताह के दुबटा बुनाअी वर्ग चला कर अिस काम का आरंभ किया गया, जिनमें ९२ भाअी-बहनों ने तालीम ली, जो भारत के करीब सभी प्रान्तों से आये थे। अिसके अलावा प्रान्तीय स्वरूप के अुत्कल में ३ और तिरुपुर में १ अैसे चार बुनाअी वर्ग हुअे। कताअी-मंडल के करीब ४०–४५ सदस्यों ने दुबटा-बुनाअी सीख ली और वे आज अपने कपडे खुद अपने हाथों से बुनने लगे हैं। पूना व बलुवा (बंगाल) के कताअी मंडलों ने अपना पूरा सूत अपने यहीं बुनने का निर्धार किया है। आज यह आरंभ बहुत छोटा-सा है। मगर वस्त्र-स्वावलंबन के निर्धार के साथ बुनाअी का आधार अनिवार्य है। यह काम बहुत बढाना होगा, अिसी खयाल से चरखा संघ तैयारी कर रहा है। अिस काम के लिये भी कताअी मंडलों के जरिये काफी प्रगति होने की आशा संघ रखता है।

थोडे में संघ की यह कल्पना है कि खादी का मूल हेतु सिद्ध करने का कार्यक्रम चलाने वाली स्थानिक मंडलियाँ कताअी-मंडल के रूप में जगह जगह बनें और अुनमें चरखा संघ का पूरा कार्यक्रम अंतर्भूत हो। साथ ही वस्त्र-पूर्ति का अेक

ही कार्यक्रम न रख कर सफाअी और खाद-सम्पत्ति, परस्पर सहकार, ग्रामोद्योग स्वीकार व मिल-वस्तु-बहिष्कार का कार्यक्रम भी वे चलावें।

संघ के सहयोगी व स्वावलंबी सदस्य

चरखा संघ ने खादी काम का स्थान या लक्ष्य महज कुछ बेकारों को रोजी दिलाने का ही नहीं माना है। जिसमें सत्ता का, आयोजन का, नेतृत्व का केन्द्रीकरण न हो, अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण हो और अुसके लिये स्वावलंबन तथा स्वयंपूर्णता के आधार पर सहकार के साथ सुसंगठन हो अैसी समाज-रचना का खादी अेक अनिवार्य अंग माना गया है और अिसी दृष्टि से संघ का काम चलाया जाता है। अिसलिये संघ ने कुछ मूलभूत तत्त्वों को और सिद्धान्तों को अपने कार्यक्रम में आग्रहपूर्वक स्थान दिया है। नयी समाज-रचना के लिये अुन मूल्यों को छोडना संघ ठीक नहीं समझता है। संघ की सदस्यता भी अिन्हीं मूल्यों के आधार पर तय की गयी है। किसी तरह कि सत्ता, अधिकार या आर्थिक लाभ पाने के लिये संघ की सदस्यता में कोअी गुंजाअिश नहीं रखी गयी है। लेकिन अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में समाज में जिस तरह के स्वावलंबन और स्वयंपूर्णता की जरूरत संघ मानता है, अुसमें विश्वास रख कर अपना हिस्सा बँटाने के लिये अमल करने वाले को संघ अपना सदस्य मानता है। अिसके लिये नियमित रूप से साल भर में २० से २५ गज कपडे का सूत कातने वाले व्यक्ति को संघ ने अपना स्वावलंबी सदस्य माना है। देश के कपडे की औसत आवश्यकता प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २० से २५ वर्गगज की मानी जा सकती है। हररोज १६० तार याने ½ गुंडी सूत काता जाय तो साल भर में औसत आवश्यकता जितना सूत कतता है। निष्ठापूर्वक, नियमित रूप से जो अितनी कताअी कर के अपना राष्ट्रीय हिस्सा अदा करता है, वह संघ का स्वावलंबी सदस्य माना गया है। अिसमें संघ से देने-लेने की कोअी बात नहीं है। मानी हुअी बात है कि वह सदस्य विकेन्द्रित स्वावलंबन व स्वयंपूर्णता में माननेवाला होगा। अिसलिये खादी के सिवा दूसरा कोअी कपडा काम में नहीं लेगा। मिल-वस्त्र या मिल-सूत के वस्त्र का पूर्ण बहिष्कार करेगा।

दूसरी सदस्यता संघ ने "श्रम-दान" की मानी है। समाज-रचना में जरूरी सहकार पर आधारित आदान-प्रदान के लिये पैसे का जरिया ढूंढा गया। पैसा अेक अच्छा साधन बना। मगर अपने आप में स्वभावतः भलाअी करने का गुण पैसे के साधन में नहीं है। अिसलिये वह सहकार की जगह शोषण का साधन बन गया और धीरे धीरे अर्थसत्ता अितनी बढ गयी कि अब अुससे कैसे छुटकारा पाया जाय अिसके मार्ग ढूंढे जाने लगे हैं। आजकल जिस परिश्रम

से पैसा पैदा होता है अुस परिश्रम पर हावी हो कर पैसे ने अुसे कुचल दिया है और सर्वत्र पैसे की प्रतिष्ठा फैली हुअी है। पैसे की गुलामी आज की समाज-रचना में दिन-दिन बढ़ती ही जा रही है। अुसको बदल कर समाज में श्रम की प्रतिष्ठा करना यह विचार भी अुसके विरोध में फैलने लगा है। सूत कताअी का श्रम सब से ज्यादह सार्वत्रिक होने लायक सुलभ व आवश्यक है अैसा देख कर गान्धीजी ने श्रम-दान के लिये सूतदान व सूत-चंदे का तरीका चलाया। कोशिश तो अुनकी यही रही कि कॉंग्रेस जैसी देश की मुख्य संस्था भी अिसे अपनावे। पर शायद वे श्रमयुग के आगे थे। अुनके बड़े-बड़े मुख्य साथियों ने भी अिस चीज को नहीं अपनाया। पर अब तो साफ ही दीख रहा है कि या तो स्वेच्छा से श्रमयुग में शरीक होना या रक्तक्रांति के शिकार बनना, यह दो ही मार्ग बचे हैं। गान्धीजी तो अपने आखिर के दो वर्षों में यही कहने लगे थे कि चरखा संघ का सारा काम श्रम और श्रमचन्दे पर चलना चाहिये। अब पैसे के दान का संघ को अिन्कार करना चाहिये। यह शक्ति श्रमदान के सदस्यत्व में भरी हुअी है। और अिसलिये शुरू से ही अिस तरह के सदस्यत्व का आग्रह संघ में रखा गया है। जो खादीधारी अपने कते सूत की ६ गुंडी सालाना चन्दा संघ को देता है वह संघ का सहयोगी सदस्य बनता है।

अैसे सदस्यों की संख्या १९५०—५१ में वस्त्रस्वावलंबी की २२,७२६ तथा सहयोगी की ५,९९४ रही। प्रान्तवार संख्या तालिका ४ में मिलेगी। सहयोगी और स्वावलंबी सदस्यों में जो दर्ज होना चाहें अुनके लिये आवदेनपत्र संघ के किसी भी केन्द्र से मिल सकेंगे।

वस्त्रस्वावलंबन

चरखा संघ के सामने वस्त्र-स्वावलंबन का लक्ष्य बहुत वर्षों से रहा, पर अुस कार्यक्रम पर विशेष जोर देने का काम १९४४ के बाद ही शुरू हुआ। दरमियान में खादी बनाने की कला जिन्दा करने का और अुसके जरिये कुछ दीन-दुखियों को रोटी देने का काम ही संघ अधिक कर सका। १९४४ के बाद भी वस्त्र-स्वावलंबन की ओर अपना काम मोड़ने में संघ को काफी अर्सा लगा गया, क्योंकि खादी को मानने वालों में भी राहत-भावना ही पिछले वर्षों में विशेष विकसित हुअी थी। संघ के कार्यकर्ता अुसी दृष्टि से तैयार हुअे और संघ का तंत्र भी अुसी भावनानुरूप पनपा था। धीरे धीरे अिसमें बदल होता गया और वस्त्र-स्वावलंबन का काम बढ़ता गया। नीचे के अंकों से पता चलेगा कि बावजूद खादी के लिये बहुत प्रतिकूल जमाना होते हुअे, अहवाल-काल में वस्त्र-स्वावलंबन बढ़ा है।

१९४८–४९	३,६२,८००	वर्गगज.
१९४९–५०	५,४८,०२६	वर्गगज.
१९५०–५१	६,४८,७६२	वर्गगज.

राहत की याने मजदूरी दे कर बनवायी गयी खादी के मुकाबले में ये आँकडे बहुत कम हैं। फिर भी यह याद रखना चाहिये कि मजदूरी की खादी बनवाने में जितनी धनशक्ति और तंत्रशक्ति लगायी गयी है अुतनी अब तक स्वावलंबन के काम में नहीं लगायी जा सकी है। मजदूरी की खादी पैसे के बल पर बढ सकती है, जब कि स्वावलंबन की खादी विचार के बल पर ही फैल सकती है। यह विचार फैलाने का काम गान्धीजी के जाने के बाद किसी बडे प्रभावी नेता ने हाथ में नहीं लिया। संघ को अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति से ही यह काम भी करना पडा। जब तक गान्धीजी थे तब तक संघ को अिस विचार-प्रसार के लिये कार्यकर्ता तैयार करने की जरूरत महसूस नहीं हुअी। अिस कारण अिस दिशा में संघ की कमजोरी बनी रही। लेकिन अब कार्यकर्ताओं में, खादी-प्रेमियों में और खादीकेन्द्रों में वस्त्रस्वावलंबन का विचार अपना प्राधान्य ले रहा है। आज तक संघ की शाखाओं में मजदूरी की खादी बढाने की ही योजनाअें सोची जाती थीं, अुसकी जगह अब वस्त्रस्वावलंबन बढाने की योजनाअें सोची जा रही हैं। पिछले वर्ष अप्रैल १९५१ की चरखा संघ की शाखाओं के मन्त्रियों और विभाग-संचालकों की सभा में निर्णय किया गया कि १९५१–५२ के वर्ष में २५ लाख वर्गगज तक वस्त्र-स्वावलंबन खादी बने अैसी कोशिश की जाय। यह निर्णय बतलाता है कि अिस दिशा में कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ रहा है। संभव है अिस साल अुस निर्णय जितनी पूरी सफलता न मिले। परन्तु हमारे पास अब तक आयी हुअी जानकारी से मालूम पडता है कि वस्त्र-स्वावलंबन की दिशा में प्रगति हो रही है। यह भी दीखता है की कअी नयी जगह वस्त्रस्वावलंबन का काम शुरू हो रहा है, मगर अुस काम के आंकडे हमें मिल ही नहीं रहे हैं। मजदूरी से बनवायी गयी खादी के काम की अपेक्षा वस्त्र-स्वावलंबन के काम के आंकडे मिलना कठिन भी है। क्योंकि यह बहुत ही विकेन्द्रित पद्धति से ही पनप सकता है। जो आंकडें मिलते हैं अुनमें भी कअी प्रकार हैं। कुछ तो सूत-बदल (याने सूत के बदले में खादी लेने) के होते हैं, कुछ कारीगरों की अपनी खादी के रहते हैं, कुछ खादी का संकल्प न किये हुअे लोगों के भी रहते हैं, कुछ पाठशालाओं के रहते हैं। कअी बार हमें प्रकार के तफसील की जानकारी भी नहीं मिलती। कअी बार आंकडे दोहराये जाने की आशंका भी रहती है। व्यापक काम में यह कुछ अनिवार्य-सा लगता है। अतः वस्त्र-स्वावलंबन के काम का नाप कुछ अन्दाज से और केवल

वर्गगजों की संख्या से नहीं बल्कि वैसे केंद्रों और देहातों की संख्या पर से भी लगाना होगा।

वस्त्र-स्वावलंबन का सब से ज्यादह काम गुजरात में हुआ है। तालिका ३ से अिसका पता चलेगा। गुजरात में ज्यादा होने का कारण यह है कि गरीबी के कारण रोजी कमाने के लिये कातने लायक हालत शुरू से हिं अुस प्रान्त में नहीं थी। मगर साबरमती आश्रम, बारडोली का आन्दोलन, दांडी का नमक सत्याग्रह आदि के कारण कअी छोटी-मोटी संस्थाअें वहां निकलीं जिन्होंने स्वावलंबन दृष्टि से ही खादी काम किया। अब दो वर्ष से वस्त्र-स्वावलंबन के काम में बम्बअी सरकार भी काफी सबूसीडी दे रही है।

खादी में क्षेत्रस्वावलंबन

यह भी अनुभव आ रहा है कि अगर वस्त्र-स्वावलंबन बढाना हो तो मजदूरी के खादी काम में भी क्षेत्र-स्वावलंबन लाना होगा। आज वह न होने से संघ की, कताअी मंडलों की और खादी-प्रेमियों की कोशिश के बावजूद वस्त्र-स्वावलंबन का काम रुकता है। सूत हो तो बुनाअी नहीं होती। कातने वाले हों तो पूनी नहीं होती। कहीं रुअी की दिक्कत, तो कहीं सारंजाम की, तो कहीं रंगाअी की। चरखा संघ के खादी अुत्पत्ति क्रेन्द्र भी अब तक अैसे नहीं बने कि हर देहात में ये सारे काम होते हों। अगर खादी अुत्पात्ति का काम वस्त्रस्वावलंबन की पूर्ति रूप और सहायक के रूप में करना हो तो कपास से या रुअी से धुले व रंगे तैयार कपडे तैयार करने तक की सारी प्रक्रियाअें हर देहात में या चंद देहातों के क्षेत्र में जमानी होंगी। अतः अहवाल के वर्ष में अिस दिशा में भी प्रयत्न करना चरखा संघ ने शुरू किया है। तामिलनाड जैसी बडी शाखा में अिस बारे में विशेष प्रयत्न किया गया है। वहां कअी नयी जगहों पर बुनाअी, रंगाअी व सरंजाम बनाने का काम शुरू किया गया है, किसी अेक जगह में केन्द्रित पद्धति से होने वाला कार्य कम कर दिया गया है।

याद रहे कि क्षेत्र-स्वावलंबन की बात भी नयी नहीं है। चरखा संघ के १९३३ और १९३४ के अहवालों में क्षेत्र-स्वावलंबन के बारे में ट्रस्टी-मंडल की विचारधारा और प्रस्ताव देखने से पता चलेगा कि अुस वक्त भी चरखा संघ क्षेत्र-स्वावलंबन की ओर ध्यान देना चाहता था और वैसी कुछ कोशिशें भी हुअीं। मगर चरखा संघ के खादी अुत्पत्ति और बिक्री के काम की नींव अिस तरह की थी कि अुसकी क्षमता निभाते और बढाते हुअे क्षेत्र-स्वावलंबन की बात बहुत आगे नहीं बढ सकी। बिक्री की दृष्टि से तो क्षेत्र-

स्वावलंबन अुस वक्त भी कठिन था और आज भी कठिन है, क्योंकि देहाती जनता महँगी खादी पैसे देकर खरीदती रहे इतनी भावना अभी हमारे देश में नहीं आयी है। लेकिन अगर क्षेत्र-स्वावलंबन की बात पर अुस वक्त जोर दिया जाता तो आज शायद खादी केन्द्रों का स्वरूप ज्यादा पूर्ण हो जाता और मजदूरी की या स्वावलंबन की, दोनों तरह की खादी तैयार करने की और वह कम खर्च और कम परिश्रम में तैयार करने की शक्ति अुन केन्द्रों में आ जाती। अब अिस ओर अधिक ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। अिसका आरंभ भी कार्यकर्ताओं की तालीम से ही संभव है। कार्यकर्ताओं को क्षेत्र-स्वावलंबन का महत्त्व समझ में आ जाय और अुसे सिद्ध करने के लिये शास्त्रीय ज्ञान भी अुनके पास हो तभी यह हो सकता है। शिबिर और विद्यालयों के द्वारा यह काम संघ कर रहा है। साथ ही संघ ने अपनी बडी-बडी शाखाओं के भी कुछ छोटे विभाग किये हैं और अुनको खादीकाम में विभाग-स्वावलंबन की ओर आगे बढने की हिदायत दी है। विभाग संबंधी अधिक जानकारी आगे स्वतंत्र रूप से दी गयी है।

खादी सघन क्षेत्र और संघ के काम में बदल

वस्त्र-स्वावलंबन, खादी में क्षेत्र-स्वावलंबन, ग्रामों में अपनी आयात-निर्यात के आयोजन की कल्पना, ग्रामों में सहयोग पद्धति का अमल, यह सब कार्य चरखा संघ के सभी केन्द्रों में एकदम से जारी हो सके अैसी हालत नहीं थी। क्योंकि संघ के कअी केन्द्र खादी-अुत्पादन और बिक्री की दृष्टि से ही आज तक संगठित हुअे थे और, कार्यकर्ताओं को भी उसी काम की तालीम मिली थी। अतः संघ ने व्यापारी खादी के बदले वस्त्र-स्वावलंबन आदि की दिशा में बढना चाहा तब यह जरूरी हो गया कि सार्वत्रिक रूप से अिसका प्रचार किया जाय और कार्यकर्ताओं की तालीम करने के साथ साथ हर प्रान्त या शाखाओं में कुछ खास क्षेत्र चुन कर वहाँ अिस दृष्टि से ज्यादा शक्ति लगायी जाय। कार्यकर्ता की शक्ति व रुचि के अनुसार हर जगह के अैसे क्षेत्रों का कार्यक्रम अलग अलग रहना स्वाभाविक था। फिर भी हर शाखा अैसा कम से कम अेक क्षेत्र या कार्यक्रम ले अैसी कोशिश विवरण-काल में संघ की रही। अुस सम्बन्धी कुछ जानकारी यहाँ दी जाती है:—

केरल:–शुरू में सघन क्षेत्र न लेते हुअे अिस शाखा ने अपने अेक अेक छोटे अुत्पत्ति केन्द्र को या अुप केन्द्रों को वस्त्र-स्वावलंबी केन्द्र में बदलना शुरु किया। मुख्य बदल यह रहा कि सूत कताअी के लिये पैसे में मजदूरी देना बिलकुल बन्द किया गया। अुसके बदले खादी का कपडा, रुअी, सरंजाम आदि वस्तुअें देना शुरू किया गया कि जिससे कातनेवाला और अुसका परिवार मिल-वस्त्र छोड कर संपूर्ण खादीधारी बन

सकें। जो अैसे पूर्ण खादीधारी परिवार बनें अुनका बचत सूत खरीदने की गुंजाअिश रखी गयी। १९४९–५० में अैसे तीन केन्द्र शाखा ने चलाये और वहाँ का अनुभव अच्छा आया। अिसलिये १९५०–५१ में यह संख्या ८ तक बढ़ायी गयी। आज शाखा में कुल ११ केन्द्र चल रहे हैं। अुनमें से कुछ केन्द्रों के वस्त्र-स्वावलंबन के काम के आँकडे नीचे दिये जाते हैं:—

केन्द्र	तबदीली का समय	कत्तिन संख्या		१९५० जुलायी से १५ अप्रैल १९५१ तक			
		तबदीली से पहिले	तबदीली के बाद	पूंजी कती	पूंजी बुनी गयी	पूंजी बदली गयी कपड़े के लिये	पूंजी बदली गयी रूई, सरंजाम आदि के लिये
ओत्तपालम्	२-१०-४८	२२४	२२६	२३,६२५	५,०२९	१५,८९३	१,१६१
कुझुतुरा	१–७–४९	२००	४००	१३,४६२	८५९	९,३६८	....
मांजेरी	२-१०-५०	९२	५०	५,६२९	४,२७८	८३९	५१२
कुलशेखरम्	१–१–५१	.....	२७	२,१२४	२३०	१,५१२	३८२
पोन्नानी	....	२५०	१३०	७,९११	२,९२३	४,१६०	२०४

इन अंकों पर से पाया जायगा कि वस्त्र-स्वावलंबन का आग्रह रखने पर भी कातने वालों की संख्या कहीं कहीं बढ़ी है, घटी नहीं है। खास कर कुझीतुरा केन्द्र में वह दुगुनी हुई है। यह बतलाता है कि अगर कार्यकर्ता उत्साही हो, सूझ के साथ काम कर सके और लोगों में सम्पर्क बढ़ा सके तो वस्त्र-स्वावलंबन के काम को भी बढ़ावा मिल सकता है।

तामिलनाड:—अिस शाखा में दो तरह से काम हुआ। १९५० के नवंबर में और १९५१ के मअी में कार्यकर्ताओं के दो विशेष शिविर लिये गये; जिनमें शाखा के खादीकाम में नये कार्यक्रम अंतर्भूत करने का तय हुआ। अैसी कुछ बातें कार्यकर्ताओं ने तय कीं कि जो हर खादी केन्द्र में क्रमशः जारी करना नयी दृष्टि से अुन्हें जरूरी लगा। सारी बातें सभी केन्द्रों में अेक ही साथ जारी होना कठिन था। अतः यह खयाल रखा गया कि अुनमें से जिस मद में जो केंद्र प्रथम आगे बढ़ सके, बढ़े। वे बातें केवल मार्गदर्शन के तौर पर और संघ के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के

लिअे प्रेरणा रूप थीं। अुनका का तफसील परिशिष्ट - २ में दिया गया है। अुन बातों को अमल में लाने के लिये शाखा में से २० कार्यकर्ता चुन कर सुधार टोली का आयोजन करने का भी अुस मअी १९५१ के शिविर में ठहराया गया। अुसके अनुसार जो काम हुआ वह १९५१ के जुलाअी से शुरू हुआ। खास कर के अब तक शाखा में ५०० से अूपर अैसे कत्तिन-परिवार हो गय हैं जिन्होंने मिलकपडा न लेने का और खादी का ही अिस्तेमाल करने का संकल्प किया है। अुनमें से कअियों ने अपने परिवार की जरूरत की खादी बना ली है और अब अुनका बचत (सरप्लस) सूत शाखा खरीदती है। सरंजाम, बुनाअी, रंगाअी आदि का काम विकेन्द्रित करने की दृष्टि से शुरू हो गया है। यह योजना शाखा में व्यापक परिवर्तन की हुअी।

दूसरी तरह का काम शाखा के मूलनूर केन्द्र को सघन क्षेत्र का रूप दे कर हुआ। मूलनूर केन्द्र, शाखा के प्रधान केन्द्र तिरुपुर से ४२ मील के फासले पर है। यहाँ पर १९५० नवंबर के दो सप्ताह के शिविर में आये हुअे कार्यकर्ताओं में से १० कार्यकर्ताओं ने अुस क्षेत्र के करीब ५० देहातों से सम्पर्क बढा कर नयी दृष्टि से काम करने की तैयारी बतलायी। सब से पहला काम अुन्होंने कारीगरों के परिवारों को खादीधारी बनाने का और मिल-वस्त्र-बहिष्कार की आवश्यकता उन्हें समझाने का किया। अुन्हीं दिनों कपडे का आकस्मिक अकाल रहा। अतः कारीगर भी हमारी योजना के विशेष अनुकूल रहे। अुस क्षेत्र के कारीगरों के पूर्ण खादीधारी बनने तक अुनका सूत पैसे दे कर न खरीदने का हमारा आग्रह रहते हुअे १९५१ के जनवरी से ३० जून तक के ६ मास में यहाँ कताअी का काम बढा और कारीगरों की खादी खरीदी भी बढी। १९४९–५० के दूसरे ६ मास में मुलनूर क्षेत्र में १,७१,७०९ गुंडी सूत कता था अुसकी जगह १९५०–५१ के दूसरे ६ मास में २,५६,७७५ गुंडी सूत कता, जिसमें १,१०,२९९ गुंडी की खादी केवल कत्तिनों ने ली और बाकी में से भी अधिकतर हिस्से का रुअी, सरंजाम आदि लिया गया। मूलनूर क्षेत्र में वार्षिक करीब चार से पांच लाख गुंडी सूत कतता है। मगर वहाँ बुनाअी नहीं होती। बुनाअी वहीं हो अैसा प्रयत्न शुरू हुआ है और कातनेवालों में तथा ग्राम के कुछ नवयुवकों में अब तक कुल १४ करघे शुरू हुअे हैं। खड्डा पाखाना, मिश्र खाद, ग्राम सफाअी आदि के कार्यक्रम भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता चला रहे हैं।

कत्तिनों को खुद खादी अिस्तेमाल करने की ओर आकर्षित करने के लिये तामिलनाड शाखा के कुछ केन्द्रों में एक खास पद्धति चलाअी गयी। वहां कत्तिनें

आठ गजी साडी पहनती हैं। गुंडी में अुनकी कीमत ७०-८० गुंडी जितनी होती है। अिसके लिये १५-२० कत्तिनों की ऐसी टोलियां बनायी गयीं, जिनमें हरएक कत्तिन अपने हिस्से की गुंडी हर सप्ताह जमा करे कि जिससे कुल टोली की गुंडी मिला कर किसी एक कत्तिन को अुसके दाम में अेक साडी प्राप्त हो सके। अिस तरह बारी बारी से अुस अुस टोली की हर एक कत्तिन को अेक अेक साडी मिलने के कारण यह पद्धति वहां की कत्तिनों में काफी प्रिय हुअी है और अुस प्रकार मिलनेवाली साडियां वे खुशी से पहनने लगी हैं।

कर्नाटक: — सारे कर्नाटक प्रान्त में बुनाअी के लिये अेक बडा और अेक मध्यम दर्जे का अैसे केवल दो बुनाअी केन्द्र हैं। कताअी कअी जगह होती है। लेकिन बुनाअी के लिये सारा सूत अिन दो केन्द्रों में भेजना पडता है। कताअी साल में केवल ६ मास होती है और वर्षा के दिनों में दूर दूर देहातों का सूत वहीं संग्रहित करना पडता है। अतः अिस शाखा में पूँजी की दृष्टि से और अुत्पादन-खर्च की दृष्टि से भी काम कमी कार्यक्रम नहीं हो सका। व्यापारी खादी काम में भी सदा बहुत नुकसान आता रहा। अिसलिये अिस शाखा की अेक महत्त्व की समस्या थी कि सूत जहाँ कतता हो अुसी क्षेत्र में वह बुना भी जाय। अिस बुनाअी के पहलू को विशेष प्राधान्य दे कर अिस शाखा के कलादगी (बीजापुर) क्षेत्र में सघन क्षेत्र की योजना बनायी गयी। वहाँ ग्रामसम्पर्क का कुछ काम भी हुआ। कार्यकर्ताओं के प्रचार से कत्तिनों में खादी का अिस्तेमाल थोडा बढा। जो पहले अपने लिये ३० गज खादी तैयार कर ले अुसी कत्तिन से बाद में सूत खरीदने का नियम वहाँ बनाया गया। मगर आशा रखी थी अुस के अनुसार सघन क्षेत्र की दृष्टि से वहाँ काम न हो सका। खास कारण यह रहा कि शाखा के मंत्री बीमारी और अन्य कारणों से इस काम में जरुरी ध्यान नहीं दे पाये। और कार्यकर्ताओं में वैसा दूसरा कोअी मार्गदर्शक नहीं निकला।

अिस तरह सघन क्षेत्र की योजना अिस शाखा में ज्यादा सफल नहीं हुअी तथापि शाखा का एक दूसरा छोटासा-विभाग—कल्हाल विभाग—नयी दृष्टि से काम पनपाता गया और अब भी वहाँ अच्छी प्रगति हो रही है। वस्त्र-स्वावलंबन के साथ क्षेत्र स्वावलंबन, अपने ही क्षेत्र के गांव के कार्यकर्ता तैयार करना, अपने ही यहाँ बुनाअी खडी करना और साथ सारे महत्त्व के ग्राम पहलुओं को समझ कर यथाशक्ति अुनके हल के लिये प्रयत्न करना या ग्राम-जनों का संगठन करना ये सभी प्रवृत्तियाँ वहाँ चलती हैं। कल्हाल गांव में कुछ जागृति आ रही है। व्यसन-मुक्ति, आटे की मिल-चक्की गांव में न लाना, बिना कचरे का कपास खेत में से चुनना, आदि छोटे छोटे कअी कार्यक्रम ग्राम-जनों ने संगठित किये हैं।

आन्ध्र :—सघन क्षेत्र की दृष्टि से कोअी योजना नहीं की गयी। मगर अिस शाखा के तेनाली विभाग को एक स्वतंत्र विभाग कर दिया गया। वहाँ के संचालक ग्राम-समस्याओं में कअी वर्षों से दिलचस्पी लेते आ रहे हैं। ग्राम-जनों में सहकार-पद्धति से काम करने की शक्ति व वृत्ति पैदा करना, ग्राम के मल-मूत्र वं कूडे के खाद का उत्पादन करने की रुचि पैदा करना, यंत्रोत्पादित "फर्टिलाअिझर्स" के साथ इस ग्रामखाद के तुलनात्मक प्रयोग आदि कार्यक्रम वस्त्र-स्वावलंबन के कार्यक्रम के साथ साथ अुस विभाग में चलाये जा रहे हैं।

महाराष्ट्र :–अिस शाखा के चान्दा विभाग में वस्त्र-स्वावलंबन की दृष्टि से विशेष प्रचार करने का सोचा गया और विवरण-काल में खास प्रचारक नियुक्त किये गये। फलस्वरूप करीब मान्यताप्राप्त १० और अुम्मीदवार ६ मिल कर १६ कताअी मंडल बने। अिस विभाग में पेशेवर कातनेवाले व्यक्तियों के सिवाय खुद के वस्त्र के लिये कातने वाले २५० व्यक्ति अहवाल-काल में तैयार हुअे। अिसी प्रकार अिस विभाग के ३०० जनसंख्या वाले छोटे-से चितेगाँव गांव में अेक प्रायमरी मराठी स्कूल चलाया गया। वहाँ के विद्यार्थीगण अपनी अपनी कताअी के काम के पैसे में से स्कूल की फीस देने लगे और खुद के कपडे के लिये भी अुसका अुपयोग करने लगे। स्कूल के मास्टर ने अपनी फुरसत के समय में से विद्यार्थियों के कुछ सूत की बुनाअी कर अुसका कपडा तैयार कर दिया।

मूल केन्द्र में अेक वसतिगृह विद्यार्थियों के लिये खादी-भवन नाम से चलाया गया। देहात के लडके उत्तम नागरिक बनें, अुनकी सर्वांगीण उन्नति हो अिस दृष्टि से वहाँ यत्न किये गये। अिर्दगिर्द के करीब ३५–४० लडके संघ के सान्निध्य में रहे। मल-मूत्र सफाअी, कताअी व प्रार्थना के कार्यक्रम में वे नित्य-नियमानुसार भाग लेते रहे। जातिभेद भूल कर वे सब विद्यार्थी भाअीचारे के साथ रहने लगे।

पंजाब शाखा :–खास सघन क्षेत्र या वस्त्र-स्वावलंबन केन्द्र का कोअी आयोजन यहाँ नहीं किया गया। लेकिन वस्त्र-स्वावलंबन की दृष्टि से अन्य प्रचार के साथ कत्तिनों को बुनाअी सिखलाने का विचार किया गया। शाखा में पहले करीब ७ कताअी-परिश्रमालय (स्कूल) चलाये जाते थे, वह संख्या विवरण-काल में १७ तक बढायी गयी। अुनमें अेक दो जगह बुनाअी दाखिल करने की कोशिश की गयी और ३६ बहनों ने बुनाअी सीखी। हरेक कत्तिन को सालभर में अपने लिये २४ वर्गगज कपडा बना लेना चाहिये अुससे ज्यादा सूत ही खरीद किया जायगा अेसा नियम बनाया गया।

अिस प्रान्त में कअी जगह बिजली से चलनेवाले यन्त्रों पर धुनाअी कर के पूनियां बेचने का व्यापार चल निकला है। हमारी कत्तिनें भी अैसी पूनियां खरीद

करने लगी थीं लेकिन खादी काम के लिये वह तरीका हानिकर होने से शाखा ने अुस तरह की पूनी का सूत खरीदना बंद किया और हाथ से धुनी हुअी पूनियों का ही सूत खरीदने का खास प्रबंध किया। अिसके लिये खास धुनाअी परिश्रमालय चलाने की और अुसमें बनी पूनियां कत्तिनों को मुहैया करने की योजना की।

खादी शिबिर

चरखा संघ के पचीस साल के अितिहास में यह अेक नया आयोजन व कार्यक्रम रहा। १९४९ के जुलाअी मास में अिस काम के लिये संघ ने अेक शिबिर समिति नियुक्त की। शिबिर में श्रीयुत् कनुभाअी गांधी की सहायता भी अहवाल काल में संघ को मिली। अुनके साथ संघ के अन्य कुछ कार्यकर्ता दिये गये। वह टोली बराबर भ्रमण करती रही और कर्नाटक, आन्ध्र, तामिलनाड, केरल, गुजरात, ओरिसा, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में कहीं अेक तो कहीं अधिक अैसे कुल २५ शिबिर चलाये गये।

अिन शिबिरों का असर चरखा संघ के कार्यकर्ता पर, खादी-प्रेमियों पर और आम-जनता पर भी अच्छा पडा। खादी के प्रति लोगों को आकर्षित करना, खादी की मूल दृष्टि से अुन्हें परिचित करना, वस्त्र-स्वावलंबन की ओर प्रेरित करना और खादी-प्रक्रियाअें सिखलाना ये काम शिबिरों में किये गये। साथ साथ ग्राम-सफाअी, कूडे व मैले का खाद बनाना और ग्रामोद्योगी पदार्थों के अिस्तेमाल का प्रचार भी अिन शिबिरों में हुआ। तीन रोज से लेकर सात रोज तक के शिबिर चलाये गये।

जगह जगह से शिबिर के लिये माँग आने लगी, लेकिन हर जगह पहुँचना अेक ही केन्द्रीय टोली के बस की बात न थी। अिस अनुभव से यह महसूस होने लगा कि अैसी शिबिर-टोली हर प्रान्त में बनायी जाय। अनगुल के सर्वोदय सम्मेलन के वक्त प्रान्तीय मंत्रियों के साथ अिसकी चर्चा हो कर प्रान्तीय टोलियाँ बनाना निश्चित हुआ। प्रान्त में अैसी टोली बना कर शिबिर का कार्य अधिक जोरों से चालू किया गया। अहवाल-काल में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शिबिर-टोलियों ने कुल ६६ शिबिर किये जिनमें बांस-चरखा-शिक्षण-शिबिर अधिक रहे। प्रान्तवार शिबिर तथा शिक्षार्थियों की संख्या तालिका ५ में दी गयी हैं।

चरखा जयंती

यह कार्यक्रम चरखा संघ कअी वर्षों से देशभर में चलाते आया है। शुरू में चरखा जयंती के दिनो में अधिक से अधिक खादी बेचने का कार्यक्रम विशेष रूप से

रहा करता था। पर अिधर कुछ वर्षों से खादी विचार का प्रसार और स्वावलंबी कताअी का कार्यक्रम प्रधान मानकर अुसमें ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगाअी जाने लगी है। अिसके लिअे प्रार्थना, गांधीजी के साहित्य का वाचन और सूत्रयज्ञ के कार्यक्रम संगठित किये जाते हैं। विवरण साल में अक्तूबर १९५० में ८२ वीं चरखा जयंती थी। अतः २ अक्तूबर १९५० के ८२ दिन पहले से शाखाओं के भिन्न भिन्न केन्द्रों में ८२ दिन का अखंड सूत्रयज्ञ सामूहिक स्वरूप का रखा गया था। सब जगह के कताअी के आँकडे नहीं मिल पाये हैं। कुछ केन्द्रों में कताअी यज्ञ के अलावा जयंती काल में बुनाअी का भी आयोजन किया था। लोगों की सूत्रयज्ञ व बुनाअी की अभिरुचि देखकर संघ ने दूसरे वर्ष यानी ८३ वीं चरखा जयंती में पूरे वर्ष में ८३ गुंडी कताअी का संकल्प करने का प्रचार किया तथा साथ साथ कम से कम १०० जगह संघ के बुनाअी प्रसारक भेज कर "बुनाअी सेवा" का आयोजन किया। दफ्तर में जो अंक मिले हैं अुन परसे १२ शाखाओं के १२३ विभिन्न केन्द्रों में यह कार्यक्रम किया गया। सफाअी आदि कार्यक्रमों के साथ साथ सूत्रयज्ञ में १०,२५० गुंडियाँ कताअी हुअी, पर ८३ दिन तक जो अखंड सूत्रयज्ञ किया गया अुसमें १,३५,१५९ गुंडियाँ कताअी हुअी। सेवा का कार्यक्रम २२ शाखाओं तथा विभागों के ७६ केंद्रों में चलाया गया जिसमें ४६२ भाईबहनों ने हिस्सा लेकर ३,३२६ वर्ग गज खादी खुद बुनी। हमने अनुभव किया कि ८२ और ८३ दिन के अखंड सूत्रयज्ञों में 'कताअी' तथा ८३ वीं जयंती में 'बुनाअी' के लिये खादी प्रेमियों ने बडे उत्साह से भाग लिया। अिन कार्यक्रमों के अलावा प्रार्थना, सफाअी, मिश्रखाद के गड्ढे बनाना, सभाओं का आयोजन तथा कताअी-प्रतियोगितायें भी कअी केंद्रो में की गयीं। दोनों जयंती अहवाल क्रमशः सर्वोदय तथा कताअी मंडल पत्रिका में प्रकाशित किये गये।

सर्वोदय पक्ष

चरखा जयंती की तरह ३० जनवरी से १२ फरवरी तक के सर्वोदय पक्ष में भी विशेष कार्यक्रम करने की संघ कोशिश करता है। चरखा जयंती निमित्त खुद के वस्त्र-स्वावलंबन, और सर्वोदय पक्ष में समग्र ग्राम-स्वावलंबन के लिये उपर्युक्त कार्यक्रमों पर शक्ति केन्द्रित करने की दृष्टि रखकर संघ साल-ब-साल अुसके अनुरूप काम व प्रचार करता आया है। अिसलिये सर्वोदय पक्ष में कताअी के अुपरांत सफाअी व ग्रामों में घूमकर प्रचार करने पर विशेष जोर दिया जाता है। अिसके लिये टोलियों के रूप में पैदल यात्रा करने का व रास्ते में गांवों में उपर्युक्त कार्यक्रम करते जाने का सिलसिला पिछले दो वर्ष से शुरू किया गया है। अिन टोलियों को सर्वोदय टोली

नाम दिया गया है। प्रत्यक्ष ३० जनवरी को सुबह सफाअी, दोपहर सूत्रयज्ञ व शाम को प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। अिस संबंध में जो आँकडे मिल सके अुनका संकलन नीचे लिखे अनुसार है :—

वर्ष	कितने गांवों में कार्यक्रम हुआ	उपस्थिति सफाअी	उपस्थिति सूत्रयज्ञ	उपस्थिति प्रार्थना
१९५१	१,७६८	११,९०६	१,२५,४०५	१,१७,८९७
१९५२	६५४	९,०८४	१९,७१७	४९,१११

दूसरे वर्ष यानी १९५२ में ३० जनवरी का कार्यक्रम पहले वर्ष जितनी संख्या में नहीं हो पाया। आम चुनावों के कारण ज्यादा लोगों को हम अिस ओर आकर्षित नहीं कर पाये। लेकिन कार्यकर्ताओं ने सर्वोदय टोली का कार्यक्रम काफी अच्छी तरह कार्यान्वित किया। १९५१ में टोली की यह कल्पना नयी थी और बहुत कम जगहों में टोलियां घूमी थीं। परंतु १९५२ के सर्वोदय पक्ष में अुनकी संख्या और काम के आंकडे नीचे लिखे अनुसार रहे :—

कुल टोलियां निकलीं		३९३
कुल देहातों में भ्रमण किया		४,१९३
कितने लोगों ने कार्यक्रमों में भाग लिया		२,५६,५९२
कितनी सूतांजली मिली	गुंडियाँ	५९,७५६
कुल भूदान मिला	अेकड	६८३

अिन सब कार्यक्रमों को जोडकर १९५२ के सर्वोदय पक्ष में विनोबा के ही शब्दों में तैयार किया हुआ "भूदान-यज्ञ" पर अेक प्रवचन पढ़ने की व्यवस्था की गअी जिससे भूमिदान-आंदोलन संबंधी विचार लोगों तक पहुंचने में मदद हो। अिसके अलावा सूत्रयज्ञ के कार्यक्रमों के बाद सूतांजलि अिकट्ठी करने का कार्यक्रम भी रखा गया था। घूमती टोलियों ने अपने प्रवास में गांव गांव में यह कार्यक्रम किये और ३० जनवरी को हर केन्द्र में यह कार्यक्रम किये गये।

सूतांजलि

ता. १२ फरवरी को होनेवाले सर्वोदय मेलों (जो गांधीजी की अस्थियां जहां जहाँ प्रवाहित की गयी थी वहां लगते हैं) के लिये विनोबा ने "अेक गुंडी (६४० तार की लच्छी) समर्पण" का कार्यक्रम सुझाया। अुसकी शुरूआत नाग विदर्भ में पवनार के मेले में १९५० में हुअी। अुसके लिये अुस प्रान्त में कुछ प्रचार भी किया गया। फलस्वरूप पवनार मेले में अुस वर्ष करीब छ हजार गुंडी सूत जमा हुआ। अुससे अुत्साहित होकर दूसरे साल यानी १९५१ में यह कार्यक्रम सारे

देश भर के लिये जाहिर किया गया। वह सफल करने में संघ के देशव्यापी संगठन का काफ़ी अुपयोग हुआ। यह भी लिखने में हर्ज नहीं कि संघ के कारण ही यह कार्यक्रम देशव्यापी हो सका।

सूतांजलि समर्पण के पीछे जो विचार है वह विनोबाजी के शब्दों में ही यहां अुद्धृत करते हैं।

" जो गुंडी देगा वह हमारे विचारों का वोटर माना जायगा। अुसका नाम, पता हमारे दफ्तर में रहेगा। अिस तरह यह अेक अत्यंत सुव्यस्थित और ठोस कार्यक्रम आप के सामने रख रहा हूं। आज वोटर केवल अठारह करोड हैं, और हमारी अिस योजना के अनुसार तो पांच बरस का बालक भी हमारा वोटर हो सकता हैं। वह वोटर खादी वाला ही हो यह जरूरी नहीं है। वह वोटर शराबी हो तो अुसकी शराब छुडवाना मेरा काम है। जिस तरह अेक परिवार के लोक अलग-अलग गांव में रहते हैं और खास प्रसंगों पर अेकत्र मिलते हैं, वैसे ये हमारे सारे गुंडी-दाता कुटुंबी-जन सर्वोदय मेले के अवसर पर परस्पर मिला करेंगे। और हमारे कार्यकर्ता बीच बीच में अुनके गांव में जाकर मिल आया करेंगे। वे खास कर अुन गांवों में जायंगे जहां अेक ही गुंडी देनेवाले लोग रहते हैं, क्यों कि बिभीषण की तरह अुस गांव में वह अकेला रहेता है।

यह मैं अेक अत्यंत व्यापक कार्यक्रम आपको दे रहा हूं। अिससे देश में काफी शक्ति निर्माण हो सकती है "

संघ के कारण सूतांजलि का कार्यक्रम तो सफल होने लगा है। परंतु जैसा कि विनोबाजी ने लिखा है सर्वोदय विचार के अिन वोटरों के पास पहुंच कर अुनमें जो काम करना चाहिये वह अभीतक नहीं हुआ है।

खादी विद्यालय और शिक्षा समिति

खादी संबंधी विभिन्न पहलुओं और कारीगरी के जानकार कार्यकर्ता तैयार करने की दृष्टि से कअी वर्षों से संघ खादी विद्यालय चलाता रहा है। सेवाग्राम में संघ का केन्द्रीय विद्यालय रहा और समय समय पर अन्य शाखाओं में भी खादी विद्यालय चले। खादी प्रवृत्ति में जैसे जैसे दृष्टि व्यापक होती गयी और चरखा संघ के कार्यक्रम में भी नये नये पहलुओं पर जोर दिया जाने लगा वैसे वैसे खादी के अभ्यासक्रमों में भी समय समय पर परिवर्तन होते रहे। खादी विद्यालयों की प्रवृत्ति चलाने और अुस संबंधी हर पहलू पर विचार करने के लिये सन १९४० में चरखा संघ ने अपनी एक खादी शिक्षा-समिति की स्थापना की। समिति के सदस्य

भी समय समय पर बदलते रहे। मौजूदा समिति में ९ सदस्य हैं। संघ के अध्यक्ष श्री. धीरेन्द्र मजूमदार, श्री. रघुनाथ श्रीधर धोत्रे, श्री. वल्लभस्वामी, श्री. नन्दलाल पटेल, श्री. रामदेव ठाकुर, श्री. नटराजन, श्री. नारायण देसाई, श्री. देवेन्द्र गुप्त और चरखा संघ के मन्त्री।

चरखा संघ के खादी विद्यालयों के अलावा कहीं कहीं स्वतंत्र विद्यालयों में भी संघ का अभ्यासक्रम व संघ की परीक्षायें चलाओ गयीं। शिक्षा समिति ने अुन विद्यालयों को मान्यता दी और संघ ने अैसे मान्यता लेनेवाले विद्यालयों को अधिक सहायता देने की नीति भी बनाओ। अभ्यासक्रम की मोटी जानकरी परिशिष्ट ३ में दी गयी है। अभ्यासक्रम, विद्यालय के नियम, विद्यार्थी भरती करने तथा छात्रवृत्ति के नियम, मान्यता के नियम आदि सब की पूरी जानकारी स्वतंत्र पुस्तिका में संघ की ओर से प्रकाशित की गयी है जो ९ आने के डाक टिकट भेजने पर संघ के केन्द्रीय कार्यालय, सेवाग्राम से मिल सकती है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सहायता नीचे लिखे अनुसार दी जाती है। यह मदद परीक्षा अुत्तीर्ण करनेवाले विद्यार्थियों के हिसाब पर नीचे लिखे अनुसार दी जाती है:—

अभ्यासक्रम	प्रत्येक अुत्तीर्ण छात्र के पीछे संघ से दी जानेवाली सहायता
१ खादी प्रवेश	रु. २००
२ बुनाअी कार्यकर्ता	,, १५०
३ दुबटा बुनाअी	,, १००
४ कताअी कार्यकर्ता	,, १००

विवरण काल में चरखा संघ की ओर से मुख्यतः सेवाग्राम का विद्यालय ही चला। १९५०–५१ में करीब डेढ वर्ष बारडोली में भी गुजरात शाखा की ओर से विद्यालय चला। पर यह विद्यालय सेवाग्राम के शिक्षक भेजकर ही चलाना पड़ा। पहले अुम्मीद थी की गुजरात शाखा से ही शिक्षक, कार्यकर्ता व संचालक मिल जायेंगे। मगर वह न मिलने से बारडोली का विद्यालय बंद करना पडा। कर्नाटक शाखा विद्यालय चलाती रही, मगर वह पूरे नियमों का पालन नहीं कर सकी। अिसलिये अुसे शिक्षा समिति की मान्यता नहीं दी गयी। अिनके अलावा चरखा संघ के मान्यता प्राप्त चितलदुग (मैसूर) तथा रायपुर व अकोला (मध्यप्रदेश) के तीन स्वतंत्र विद्यालय चले। अिन सब में सीख कर परीक्षा देनेवालों की संख्या नीचे लिखे अनुसार रही।

नाम	१९४९–५० बैठे	अुत्तीर्ण	अनिर्णीत	१९५०–५१ बैठे	अुत्तीर्ण	अनिर्णीत
१. पाठशाला शिक्षक						
खादी प्रवेश	२५	२४	–	–	–	–
कताअी	२५	२४	–	२६	२६	–
दुबटा बुनाअी	२५	२४	–	१२	६	–
२. खादी प्रवेश	१३	९	१	–	–	–
३. कताअी कार्यकर्ता	६६	३६	५	३५	२४	५
४. बुनाअी कार्यकर्ता	२९	२२	२	१९	१६	१
५. दुबटा बुनाअी	२५	२२	–	६	३	–
कुल	२०८	१६१	८	६८	६५	६

विद्यालयवार तफसील तालिका ६ में देखिये।

यह भी अुल्लेख करना ठीक होगा कि बम्बई सरकार ने पाठशालाओं में कताअी दाखिल करने की योजना बनाअी अुस सिलसिले में पाठशाला के शिक्षकों में से चुनकर पहले ५० और बाद में २५ अैसे कुल ७५ व्यक्तिओं को सेवाग्राम खादी विद्यालय में कताअी व बुनाअी की शिक्षा दिलवाअी। फी विद्यार्थी १० रु. मासिक शिक्षा शुल्क के रूप में खर्चा भी बम्बई सरकार ने संघ को दिया।

अभ्यासक्रमों के परिवर्तनों का ज्यादा तफसील यहां देना ठीक नहीं होगा। थोडे में अुनकी कल्पना अिस प्रकार है:— खादी उत्पादन की कारीगरी और शास्त्र की दृष्टि से मूल खादी अभ्यासक्रम बने थे। अुनमें वस्त्रस्वावलंबन के लिये तथा पाठशाला में खादी कला दाखिल होने के लिये कुछ खास खास फर्क किये गये। मसलन किसी किसी अभ्यासक्रम में धुनाअी के बदले धनुष्य-तुनाअी रखी गअी। दुबटा सूत कातना व अुसकी बुनाअी भी शामिल की गअी। किसान व पेटी चरखे के बदले बाँस चरखे को स्थान दिया गया। ग्रामसेवा की दृष्टि से सफाअी को अभ्यास का विषय माना गया। बांस चरखे की कताअी के साथ बाँस चरखा बनाने की तालीम भी अभ्यासक्रम में शामिल की गअी, क्यों कि यह अनुभव आया कि बाँस चरखा बनाना बहुत आसान है और हर कोअी आसानी से अुसे बना सकता है। अभ्यासक्रम के निमित्त और स्वतंत्र रूप से सेवाग्राम विद्यालय में विवरण काल में ५३५ भाअी बहनों ने बाँस चरखा बनाने की तालीम ली। अिसमें तालीमी संघ के विद्यार्थी, कस्तूरबा ट्रस्ट की संचालिकाअें तथा बम्बअी सरकार के शिक्षकगण भी काफी संख्या में रहे।

कपास विभाग

संघ का खादी काम अधिकतर पिछले वर्षों में बाजार से रुअी खरीद कर ही चला। मगर देश में कपास की खेती दिन दिन केन्द्रित होती गअी। कुछ वर्षों के पहले हर प्रान्त में कपास पैदा होता था, हर जगह स्थानिक जातियां होने से अुस रुअी से मजबूत व टिकाऊ कपडा बनता था, लेकिन केन्द्रित पद्धति के कारण कअी प्रान्तों में कपास पैदा होना बंद हो गया। मिलों के लिये लंबे तंतु की रुअी पैदा करने में छोटे तंतुवाली किन्तु मजबूत कपडे के लिये अनुकूल रुअी की जातियां मारी गअीं। धीरे धीरे यह हालत होती गअी कि कातनेवालों को रुअी मिलना बहुत मुश्किल हो गया। जो रुअी मिल सकी उसकी खादी बहुत कमजोर बनने लगी। यह सब देखते हुअे ट्रस्टी मंडल की तारीख २७ जून १९४९ की सभा में कपास की समस्या पर विचार किया गया और खादी की दृष्टि से कपास की खेती के सबंध में प्रयोग करने के लिये संघ ने अेक कपास समिति नियुक्त की जिसके संयोजक श्री. दादाभाई नाईक चुने गये। समिति को नीचे लिखी दृष्टि से काम करने को सुझाया गया:

१. खादी मजबूत और टिकाऊ बने ऐसा कपास प्राप्त करना।
२. खेत से बिना कचरे का कपास चुनवाने का प्रयत्न करना।
३. हर प्रान्त में कपास पैदा करना।
४. किसान की सुविधा और बचत की दृष्टि से कपास की खेती का तरीका तय करना।
५. वस्त्रस्वालंबन की दृष्टि से घर में चंद पौदे या पेड लगाकर कपास अुपजा लेना।

कपास संबंधी सरकारी नीति केवल मिलों के विकास की दृष्टि से तय होती रही है। मौजूदा कपास के सरकारी केन्द्रों में खादी के लिये अूपर लिखी दृष्टि से संपूर्ण रूप से प्रयोग हो सकने के बारे में शंका है। अिसलिये संभव हो वहां अुन केन्द्रों की मदद लेकर जरूरत के अनुसार कपास संबंधी स्वतंत्र प्रयोग करने का भी संघ ने तय किया और अिस समिति में सरकारी प्रयोग केन्द्रों के अेक निवृत्त विशेषज्ञ श्री. शिवाभाई पटेल को भी लिया गया। अुन्होंने हमें कपास के प्रयोग के काम में बहुत सहायता की, अुसका साभार अुल्लेख खास तौर पर हम यहां करते हैं। समिति ने जो प्रयोग किये अुन में घर आंगन में होने लायक वृक्ष कपास के बारे में ज्यादा जांच की। अुसके लिये नरसिंहपुर, सेवाग्राम व बिलीमोरा तीनों जगहों में जुदे जुदे कपास के नमूने लेकर बगीचे बनाये गये। प्रयोग में यह अनुभव आया कि वृक्ष-कपास हर

कहीं, हर किसी भी जमीन में और मामूली परिश्रम और देखभाल से हो सकता है। जहां ओस नहीं पडती है अुस जगह पहले साल माह दिसंबर से माह मअी तक अूपर से पानी देना पड़ता है। जहां ओस पडती है वहां अिसकी भी जरूरत नहीं रहती। प्रयोग से यह भी अनुभव आ रहा है कि हर जगह छोटे तथा मध्यम रेशेवाला देशी आरबोरियम वृक्षकपास अच्छी तरह पैदा हो सकता है। अिसका अधिक अनुभव पाने के लिये भारत के जुदे जुदे प्रान्तों में करीब ढाअी सौ लोगों को प्रयोग की दृष्टि से वृक्षकपास के बीज बांटे गये हैं और अिसमें दिलचस्पी रखकर प्रयोग करनेवालों को अभी भी बीज वितरण करने की व्यवस्था संघ के केन्द्रीय दफ्तर से की गअी है।

अब श्री. दादाभाअी नाअीक भूदान के काम में लग जाने से और कपास संबंधी अनुभवी कार्यकर्ता के अभाव में अिस विभाग का काम निश्चित योजनानुसार नहीं चलाया जा सका है। पर कपास का सवाल खादी के लिये बहुत महत्त्व का सवाल है अैसा दिन पर दिन महसूस हो रहा है और संभव हुआ तो अिस दिशा में अधिक काम करने की संघ की अिच्छा है। अभी तो कपास समिति भी संघ ने विसर्जित कर दी है। अुस विभाग के अेकाध कार्यकर्ता द्वारा थोडा बहुत काम संघ चला रहा है। विवरण काल में अिस विभाग की ओर से कपास संबंधी दो पुस्तिकायें तैयार की गअी हैं जो चरखा संघ ने प्रकाशित की हैं। एक का नाम है "कपास स्वावलंबन" व दूसरी का नाम है "कपास की समस्या—खादी की दृष्टि से"। अुन के दाम क्रमशः दो आना और आठ आना प्रति पुस्तक रखे गये हैं।

खादी सरंजाम के प्रयोग

अिस काम के लिये चरखा संघ ने अेक सरंजाम समिति नियुक्त की है। अिसमें मौजूदा सदस्य सात हैं। सर्वश्री अ. वा. सहस्रबुद्धे, कृष्णदास गांधी, नंदलाल पटेल, रामाचारी बरखेडी, माधवलाल पटेल, मोहन परीख तथा विष्णुभाअी व्यास। सरंजाम समिति के मार्गदर्शन में खादी सरंजाम के प्रयोग पूर्ववत् विवरण साल में भी चलते रहे। संक्षेप में अुनकी जानकारी नीचे लिखे अनुसार है:—

बांस चरखा : विवरण-काल में बांस चरखे की ओर संघ ने विशेष ध्यान दिया। परीक्षण से पता चला कि बांस चरखा कीमत में सस्ता और बनाने में सुलभ है, अितना ही नहीं परन्तु अुस पर कताअी की गति भी बहुत अच्छी आती है। अिस सम्बन्धी प्रयोग की जानकारी नीचे दी जा रही है। सेवाग्राम विद्यालय में

सात भाअियों ने किसान चरखे और बांस चरखे पर अपनी कताअी का हिसाब निकाला अुसके आँकडे ये हैं।

क्रमांक	प्रयोग के दिन	बांस–चरखा				किसान चरखा			
		औसत तार १ घंटे में	अंक	कस	समानता	औसत तार १ घंटे में	अंक	कस	समानता
१.	५	३४३	१५॥।	७०	८२	३००	१४॥।	६६	८०
२.	५	३२४	१६	७८	७९	३१०	१६।	७१	७९
३.	४	३६८	१४॥	१०२	३	३६३	१३॥।	८३	७८
४.	२	३८३॥	१३।	८३॥	८१॥।	३७०	१३	७२॥	७९
५.	६	२८९	१३॥	८१	७९	२८८	१३।	८४	८८
६.	८	३९८	१५॥।	८५॥	८७	३७८	१५॥।	७८॥	८५
७.	४	२९१॥	१६॥	७६।	८५॥	२७६	१६।	६८॥	७६

यह गति परेतने सहित है। सबों की मिल कर एक घंटे की औसत गति बांस चरखे की ३४२ तथा किसान चरखे की ३२६ तार हुअी।

अिस पर से पता चलेगा कि किसान चरखे से बांस चरखे पर कातने की गति और सूत की समानता तथा कस भी ज्यादा आया है यह अनुभव लेने के बाद चरखा संघ ने अपने सेवाग्राम विद्यालय में बांस चरखे का अभ्यासक्रम दाखल किया। अब वहां हर विद्यार्थी अपना बांस चरखा बना कर कताअी सीखता है। चरखा संघ ने अिस सम्बन्ध में विशेष प्रस्ताव कर के यह भी राय जाहिर की कि पाठशालाओं में भी बांस चरखा ही दाखल किया जाय। दूसरा प्रस्ताव संघ ने यह भी किया कि संघ के सरंजाम कार्यालयों में पेटी व किसान चरखे बनाना बन्द कर के या कम कर के बांस चरखे का ही प्रचार व शिक्षण बढाया जाय। दोनों प्रस्ताव परिशिष्ट १ में दिये गये हैं। संघ की हरेक शाखा में बांस चरखा तालीम के लिये खास प्रचारक शिक्षक रखे गये और करीब सभी प्रान्तों में अिसके वर्ग चलाये गये। अब तक देश भर में अंदाजन २००० भाअी-बहनों को बांस चरखे की तालीम दी गयी।

बांस चरखे में अब सादा खडा चरखा, पेटी खडा चरखा, सादा आडा चरखा और पेटी आडा चरखा अैसे सब तरह के नमूने बने हैं। अब अिनकी लोकप्रियता बढने लगी है। अब तक बांस पका कर चरखे बनाने का प्रबन्ध सब जगह नहीं हो सका है। यह काम जल्दी ही हाथ में लेने का संघ सोच रहा है।

धुनाअी मोढिया : अिसके अनेक प्रयोग संघ के सरंजाम कार्यालय तिरुपुर, हुबली, सेवाग्राम व बारडोली में होते रहे। अिनमें तीन नमूने मुख्यतः काम लायक बने। १½"×१¾" पंखे का छोटा धुनाअी मोढिया बना जिसे चरखे में लगा कर कताअी के साथ साथ धुनाअी होती है। अगर ३० अिंच चरखे पर वह लगाया जाय तो गांठ की रुअी से अुस पर अेक घंटे में २०-अंक के ३४० तार तक धुनाअी की गति आयी है। पर अिस मोढिये में चरखा अिधर अुधर कहीं भी लेकर कातने बैठने की सुविधा नहीं रहती। साथ ही धुनाअी के साथ कातने में थोडी कला और कुछ थोडी शक्ति भी ज्यादा लगती है। फिर भी जहाँ कपास न हो और गांठ की रुअी हो वहाँ स्वावलंबी धुनाअी करते हुअे कातने में यह मोढिया अनुकूल होगा अैसा लगता है। अिसका पोल भी अच्छा होता है और अिस में बॉल-बेअरिंग की जरूरत नहीं पडती। अगर यह मोढिया बांस चरखे या २४" चरखे पर लगाया जाय तो भी काम देता है, पर कुछ कम।

दूसरा मोढिया २"×३" के पंखे का बना है और तीसरा ३"×३" पंखे का। ये दोनों २४" या ३०" वाले खडे चरखे पर चलाये जा सकते हैं और पैर से खास बडे चक्के की फ्रेम पर भी चलाये जा सकते हैं। अिनमें काकर बेअरिंग चल सकते हैं मगर मोढिया कुछ भारी चलता है। बॉल-बेअरिंग से ये विशेष आसानी से चलते हैं। अिन पर हाथ-चरखे पर १० से १२ तोले पोल और पैर-मोढिये पर २० तोले तक पोल फी घंटा तैयार होता है। पूनी बनाने का वक्त अलग।

कातनेवाले को पूनी का परावलंबन न रहे, अिस दृष्टि से धुनाअी-मोढिया का संशोधन चल रहा है। पूनी का व्यापार चलाने लायक पैर की यंत्रधुनकी कअी वर्षों पहले बन चुकी थी और गुजरात और राजस्थान में अुसका ठीक ठीक प्रचार भी हुआ था। मगर पूनी स्वावलंबन के लिये वह यंत्र-धुनकी अनुकूल नहीं थी। अब जो मोढिये बने हैं वे पूनी स्वावलंबन के लिये काफी हद तक अनुकूल मालूम पडते हैं। हालाँ कि अिनका अुपयोग भी, खास कर पैर-मोढिये का, पूनी के व्यापार के लिये हो सकता है, अगर अुसी वृत्ति से काम किया जाय व स्वावलंबन का ख्याल न रखा जाय। हम आशा करते हैं कि खादीप्रेमी व संशोधन-कार पूनी-स्वावलंबन का ख्याल रख कर ही अिन मोढियों का उपयोग करेंगे।

अभी बारडोली सरंजाम कार्यालय में ३ ” × ३ ” के पंखे के मोढिये बिक्री के लिये बनाये जाते हैं। कीमत आदि के बारे में व्यवस्थापक, सरंजाम कार्यालय, बारडोली (सूरत) से पत्रव्यवहार करना चाहिये।

विभिन्न चरखे : विवरण-काल में जापान के कुछ चरखों की बात भी चरखा संघ के सामने आयी और हिन्दुस्तान में भी कुछ प्रयोगकारों ने नये चरखे बनाये। जापान के नमूनों में पैर से चलनेवाला मगर अेक ही धागा कातनेवाला चरखा विशेष तौर पर हमारे यहाँ और ग्रामोद्योग समिति बंबअी के पूना के प्रयोग विभाग में आजमाया गया। हमारे सादे चरखे की अपेक्षा अुस पर कातने की गति कम आयी। दूसरा जापान का १० धागे अेकसाथ कातनेवाला नमूना बारडोली में आजमाया गया; अुसमें सभी धागें मिल कर नीचे लिखा काम हुआ:—

कताअी के घंटे	सूत कता तार	सूत का वजन	सूत अंक
२	२६१ (याने ३४८ गज)	३$\frac{9}{16}$ तोला	५·३२

अिससे पाया जायगा कि ये दोनों चरखे हमारे काम के नहीं है। १० धागे कातनेवाला चरखा तो केवल “वेस्ट—रुअी” कातने के काम का ही है।

हमारे देश में बने चरखों में दक्षिण भारत के अेक किसान नवयुवक माअी अेकंबरनाथन् के चरखे नें हमारा विशेष ध्यान आकृष्ट किया है। अुस पर आजमाअिश ली गयी, अुसका तफसील तालिका ७ में दिया गया है अुस पर से पता चलेगा कि करीब १२ अंक का १११ प्रति शत कस का ४८७८१ याने करीब ७½ गुंडी सूत ५ घंटे ३८ मिनट में कता है। सूत की समानता अुतनी अच्छी नहीं थी। दो तकुवे के नमूने पर अितनी कताअी हो सकी है। मगर अिस चरखे में ४ तकुवे भी अेक आदमी चला सकना संभव दिखता है। यह नमूना अभी अैसा नहीं बन सका है कि हर कातनेवाला अिसे आसानी से चला सके। अुस चरखे के लायक पूनी का खास आयोजन, मालाओं की फिसलन दूर करना आदि कुछ सुधार अिस चरखे में करना जरूरी है। संघ के प्रयोग-विभाग में अुसकी कोशिश जारी है।

श्रीयुत् काले जी का नाम अब चरखा-संशोधन के लिये मशहूर हो चुका है। पिछले ३० वर्ष से वे अिस काम के पीछे लगे हैं। अुन्होंने अेक नमूना बनाया है अुसमें ४ तकुओं पर कताअी होती है और पूनी भी अुसी में बनती है। अुनका कहना है कि यह मनुष्य-शक्ति से भी चल सकेगा। मिल के यांत्रिक सिद्धान्तों पर यह चरखा बना है। सूत अच्छा कतता है और अेक दिन में अेक मनुष्य २० अंक की १८ गुंडी सूत कात सकता है अैसा अुनका कहना है। मगर देहातों के घरेलू अुद्योग की दृष्टि से यह चरखा बहुत कीमती और यांत्रिक गुत्थियों से भरा हुआ है। अुसकी रचना

भी अैसी है कि अुसे विद्युत्-शक्ति से चला कर, मनुष्य-शक्ति से अुस पर हो सकने वाले अुत्पादन के साथ स्पर्धा सहज ही हो सकेगी। यह सब देखते हुअे घरेलू अुद्योग या स्वावलंबन के लिये वह अभी अनुकूल नहीं दीखता है। बडी बडी मिलों के बदले विकेन्द्रित यंत्र के तौर पर वह शायद अेक हद तक काम दे सके। लेकिन ये प्रयोग संघ की मर्यादा और दृष्टि के बाहर के हैं। अतः अिसकी जाँच में संघ नहीं पडा है। मालूम हुआ है कि बम्बअी सरकार अुस दिशा में कुछ जाँच करवा रही है। चरखे के संशोधन में दृष्टि क्या रहे अुस संबंधी चरखा-संघ के ट्रस्टी मंडल ने अपनी ता. ७-१-१९५१ की सभा में अेक प्रस्ताव किया वह परिशिष्ट १ में दिया गया है।

करघा : करघों के प्रयोगों में पेटी करघे और बांस करघे के प्रयोग विशेष अुपयोगी मालूम पडे। पेटी करघे की विशेषता यह है कि काम के बाद पेटी में करघा बन्द कर के हिफाजत से कहीं भी रखा जा सकता है। अिसलिये पाठशाला, प्रदर्शनी, शिबिर आदि के लिये पेटी करघा खास अुपयोगी मालूम पडता है। अिसमें ३२" अर्ज तक कपडा आसानी से बुना जा सकता है। बांस करघे की विशेषता यह है कि वह दूसरे करघों से बहुत सस्ता पडता है व बनाने में आसान रहता है। अिसलिये स्वावलंबी बुनाअी करनेवालों को बांस करघा विशेष काम का होगा।

प्रक्रियाअें घटाना : सरंजाम में सुधार कर के काम की गति बढाने के प्रयोग हुअे वैसे ही प्रयोग की अेक दूसरी दिशा यह रही कि अभी कपास से कपडा बनाने में जितनी प्रक्रियाअें करनी पडती हैं अुनमें कमी करने का संभव हो तो वह कर के उत्पादन के वक्त की बचत की जाय। करीब पांच या छः वर्ष पहले अैसा अेक प्रयोग किया गया था कि साफ सुथरा कपास सलाअी पटरी पर कलापूर्ण रीति से ओट कर अुस रुअी से सीधी पूनियां बना ली जायं। याने धुनने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अुडा दिया जाय। इस तरह धुनाअी अुडा कर सीधे पूनी बना लेने की पद्धति को पुनाअी नाम दिया गया था। पुनाअी की पद्धति में हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा सफलता मिली थी। मगर जहां कपास पैदा होता हो और वह भी लंबे तंतु का अच्छा कपास पैदा हो सके वहीं के लिये पुनाअी की पद्धति काम की मालूम पडी थी। साथ ही अच्छे कपास की रुअी से १६ या अधिक से अधिक २० अंक तक का सूत कातना हो तो ही वह पद्धति काम की दीखी। याने वह कल्पना प्रयोग में सफल जरूर हुअी पर सीमित रूप में।

अब जो प्रक्रिया घटाने का प्रयोग किया गया वह सूत की गुंडी बनाने की और अुसे फिर खोलने की प्रक्रिया उडाने का था। करीब पिछले ८ मास से यह प्रयोग चला हुआ है। अुसमें खासा अच्छा अनुभव आ रहा है। वक्त की बचत के लाभ के अलावा कपडा अच्छा बनने की तथा कातनेवाले की कमाअी में ठोस वृद्धि हो सकने

की पूरी संभावना अिस प्रयोग में पायी गयी है। अिस तरीके में १ वर्ग गज कपडा बनाने में करीब १ घंटे की बचत होती है और सूत के लेन-देन की व्यवस्था भी बचती है। अिसमें दिक्कत यह है कि सूत जहाँ कतता हो वहीं अुसीके साथ साथ बुनाअी का काम चलना चाहिये। लेकिन मजदूरी के लिये कातनेवाले कारीगरों के लिये, खादी विद्यालयों में, पाठशालाओं में और जहां चार छः व्यक्ति सामूहिक रूप से वस्त्र स्वावलंबन करें अुनके लिये यह पद्धति बहुत फायदेमंद मालूम पडती है। सेवाग्राम खादी विद्यालय के छः शिक्षकों ने मिल कर अिस पद्धति के प्रयोग किये अुसमें से १२ गज १४ अिंच लंबाअी का ४५ अिंची ४२ पोत का अेक थान बनाने में कितना वक्त लगा अुनके आंकडे नीचे दिये गये हैः—

प्रक्रिया	लागत समय घं. मि.	फी घंटा गति
धुनाअी	१३—०	१२। तोले
कताअी	९४—०	४२२ तार (बिना परेते)
ताना	८—१७	२ पुंजम्
सांध	२—८	७॥ ,,
माडी लगाना	५—८	—
करघा तैयारी	१—०	—
बुनाअी	१२—०	१ गज
कुल	१३५—३३	

चरखा संघ के मौजूदा दरों के अनुसार अिस थान को तैयार करने की कुल मजदूरी १७–२–६ होती है। यानी फी घंटा दो आना मजदूरी पडी। करीब १५॥ वर्गगज कपडा बना। अिस हिसाब से करीब ८ घंटा ४० मिनट में अेक वर्ग गज कपडा बना। सूत का अंक १६ था। रुअी ओटी हुअी तैयार ली गअी थी और धुनाअी के लिये पैर से चलनेवाला धुनाअी मोढिया काम में लाया गया था।

कमर करघा : अगर बुनाअी घर घर आसानी से हो सके तो वस्त्रस्वावलंबन के काम में बहुत सुविधा हो सकती है। अिस ख्याल से जैसे विभिन्न जगहों पर पेटी करघा, बांस करघा आदि के प्रयोग हुअे वैसे बिहार खादी समिति की ओर से कमर करघा का अनुभव लेने की कोशिश की गअी। कमर करघा आसाम प्रान्त का अेक पुराना करघा है और आज भी वहां लडकियों के लिये कमर करघे की बुनाअी सीखने की रूढि प्रचलित है। अुठते बैठते घर कामों में से जो कुछ वक्त मिले अुसमें कमर करघे पर आसानी से बुनाअी हो सकती है। यह करघा विशेष जगह भी नहीं रोकता और काम हो जाने पर खूंटी पर अुसका सब सामान टांग दिया जा

सकता है। बिहार के प्रयोगो में यह करघा भी वस्त्रस्वावलंबन के लिये अुपयुक्त मालूम पडा है।

सरंजाम सम्मेलन

सरंजाम सम्मेलन का सिलसिला चरखा संघ ने १९४७ में शुरू किया था। वैसे दो सम्मेलन विवरण-काल से पहले हुअे थे। विवरण-काल में तीसरा सरंजाम सम्मेलन सितम्बर १९४९ में सेवापुरी में और चौथा नवम्बर १९५० में मदुरा में किया गया। दोनों सम्मेलनों में देश भर से काफी प्रयोगकार व अिस काम में रुचि रखनेवाले प्रतिनिधि आये थे। खादी सरंजाम सुधार में मूल दृष्टि क्या हो अुसकी और बने हुअे सरंजाम के तांत्रिक व व्यावहारिक पहलुओं की तफसील से चर्चा अिन सम्मेलनों में हुअी। सेवापुरी सम्मेलन का पूरा अहवाल छपा है। मदुरा सम्मेलन का अहवाल अभी नहीं छप सका है।

सरंजाम उत्पत्ति–विक्री

पिछले तीन-चार वर्षों से सरंजाम की मांग कुछ ज्यादा रही। कुछ प्रान्तों में खास कर बम्बअी, मद्रास, बिहार आदि में पाठशालाओं में कताअी दाखिल करने का कार्यक्रम जारी किया जाने से चरखे, तकुवे, परेते, तकली, अटेरन आदि की बिक्री ज्यादा रही। अिस कारण से चरखा संघ के सरंजाम कार्यालयों के अुपरान्त खानगी सरंजाम कार्यालय भी चलने लगे। सरंजाम सम्मेलन के वक्त अुनके प्रतिनिधि भी निमंत्रित करने की नीति संघ ने रखी है। अिसके सिवाय अुन कार्यालयों की ओर से संघ को कोअी खास जानकारी नहीं मिलती है। अतः अुनमें उत्पत्ति-विक्री कितनी हुअी अुसके आंकडे हमारे पास नहीं हैं। चरखा संघ के कार्यालयों में नीचे लिखे अनुसार अुत्पत्ति हुअी:—

		रुपयों में (१९४९–५०)	रुपयों में (१९५०–५१)
१.	तिरुपुर	१,२८,०१६	१,०८,८८०
२.	बारडोली	९५,९६९	९०,४२५
३.	हुबली	२४,२१९	४१,७९५
४.	सेवाग्राम	६,७५५	९,०३७
५.	मूल	५०,२०६	८,६३४
६.	आदमपुर	६,३५८	७,७८३
७.	कालीकट	२१,७६५	१९,४७२
	कुल	३,३३,२८८	२,८६,०२६

अिसके अलावा नालवाडी के सरंजाम कार्यालय की अुत्पत्ति १९४९–५० में रुपये १,०९,९०० और १९५०–५१ में रुपये ७६,३५६ हुअी।

सरंजाम लोहा सामान संग्रह

खादी सरंजाम में लगनेवाली चीजें बाजार में फुटकर खरीदने में कभी कभी मिलना ही कठिन हो जाता था। मिली भी तो महँगी और चाहिये अुसी किस्म व जाति की मिलने में अक्सर दुस्वारी होती थी। अतः संघ ने अपने सरंजाम कार्यालयों के लिये व दूसरे सरंजाम कार्यालयों के लिये भी अुस तरह का लोहा सामान संग्रह रख कर आवश्यकता अनुसार अुसे मुहैया करने का सोचा। विवरण काल में करीब डेढ लाख रुपये का लोहा सामान खरीद कर उसके लिये बम्बअी में गोडाअुन बनाया गया है। विवरण–काल में करीब २४ हजार रुपयों का लोहा सामान विभिन्न सरंजाम कार्यालयों को मुहैया भी किया गया था। कुछ माल संघ ने भारत सरकार की इजाजत से सीधा परदेश से आयात किया है। वैसा माल यहाँ व्यापारी के जरिये लेने से अधिक महँगा पडता था। खास कर तकुवा व तकली के छड संघ की ओर से सीधे आयात किये गये हैं और अुसमें सरकार ने खास खादी काम की सहायता की दृष्टि से आयात कर का "रिफंड" दिया है, अिसलिये तकुवे और तकली बनाने के लिये जरूरी छड हमें काफी सस्ते पड सके हैं, जिसकी वजह से सरंजाम काफी सस्ता हम दे सके हैं। अुसी तरह तकली की तैयार चकतियाँ, घिर्री, नाभी-जोड व नाभी-सेट, पूनी सलाअी व ओटनी सलाअी के लिये ब्राअिट बार, विभिन्न बिजागरे व स्क्रू आदि सामान अुस गोडाअुन में रखे गये हैं, जो केवल अुन्हीं सरंजाम कार्यालयों को बेचा जाता है जो खादी का सरंजाम बनाते हों और चरखा संघ की सरंजाम सम्बन्धी नीति का पालन करते हों। अगर आम बिक्री के लिये रखा जाय तो यह माल तुरंत बिक सकता है। पर संघ वैसे व्यापार में पडना नहीं चाहता। केवल खादी-काम के लिये सरंजाम की सुविधा हो वही संघ की मर्यादा हो सकती है। काफी चीजें परदेश से आयात करने के कारण दो-तीन साल के लिये पर्याप्त हो सके अितना संग्रह मंगवाने की योजना संघ ने की और अुसके अनुसार अब गोडाअुन में आवश्यक करीब सभी लोहा सामान का अुतना संग्रह रखा जा सका है।

पोत सुधार

केन्द्र निरीक्षण में देखने में आया कि आजकल हमारे अच्छे-अच्छे अुत्पत्ति केन्द्रों में भी माल का पोत बहुत बिगड गया है। अगर अिस ओर ध्यान देकर जरूरी सुधार न किया गया तो न केवल व्यापारी खादी काम में लेकिन वस्त्र-स्वावलंबन के

काम में भी खराब बुनाअी के कारण बहुत हानि पहुँचेगी। अिस बारे में सोच कर ट्रस्टी मंडल ने खास प्रस्ताव पास किया कि पोत सुधार के काम के लिये तथा माल की निकासी के लिये प्रधान कार्यालय के अंतर्गत अेक अलग विभाग खोला जाय।

अुक्त प्रस्ताव के अनुसार प्रधान कार्यालय ने अेक अलग विभाग चालू किया और अुसकी जिम्मेवारी बम्बई शाखा के अेक कार्यकर्ता श्री. परशुरामजी ठाकुर पर सौंपी। विवरण-काल में अुन्होंने महाराष्ट्र, हैदराबाद, आंध्र, तामिलनाड, राजस्थान आदि प्रान्तों का दौरा किया। केन्द्रों में रह कर केवल हिदायतें न देते हुअे प्रत्यक्ष में कैसा काम करना चाहिये यह बतलाया। परन्तु यह काम अब स्थगित हो गया है। श्री. परशुरामजी ठाकुर ने संघ छोड कर खेत पर परिश्रमी जीवन बिताने की शुरुआत की है।

खादी स्पर्धाअें

वस्त्रस्वावलंबन और खादी-उत्पादन में समय की बचत के लिये चार दिशाओं में प्रयत्न किया जा सकता है। घरेलू और सस्तेपन की मर्यादा कायम रखते हुअे ज्यादा उत्पादन हो सके अैसे चरखों और दूसरे साधनों का आविष्कार, कपड़ा ज्यादा टिकाअू बने अैसी रुअी की प्राप्ति और धुनने-कातने-बुनने की प्रक्रियाओं को घटा देना और मौजूदा साधनों पर अुत्पादन की अधिक से अधिक गति हासिल करना। चरखा संघ अिन चारों दिशाओं में प्रगति करने के लिये प्रयत्नशील रहता आया है। पाठक देखेंगे कि पहली तीनों दिशाओं में संघ की ओर से जो कोशिशें हुअीं अुसका ब्यौरा अिसी विवरण में क्रमशः सरंजाम सुधार, कपास समस्या और खादी प्रक्रियाअें घटाना अिन तीनों विषयों की जानकारी में दिया गया है। अधिक से अधिक गति लाने की दिशा में प्रगति की दृष्टि से विवरण काल में संघ ने खादी प्रक्रियाओं की स्पर्धाओं का आयोजन किया। ओटाअी, धुनाअी, कताअी और बुनाअी अिन सभी प्रक्रियाओं में विविध तरह की अखिल भारत स्वरूप की स्पर्धाअें करवाअी गयीं। पहली स्पर्धा नवंबर १९४९ में सरंजाम संमेलन के वक्त सेवापुरी में, दूसरी स्पर्धा अप्रैल १९५० में अनगुल (उत्कल) के सर्वोदय संमेलन के मौके पर और तीसरी स्पर्धा अप्रैल १९५१ में हैद्राबाद के सर्वोदय संमेलन के वक्त हुअी। इसके लिये पहले स्थानिक स्पर्धाअें की गअीं और अुनमें से चुने हुअे स्पर्धार्थियों को अखिल भारत स्पर्धा में प्रवेश दिया गया। स्पर्धा संबंधी नियम आदि की पूरी जानकारी 'खादी स्पर्धाअें' नामक संघ से प्रकाशित पुस्तिका में दी गयी है।

मुकर्रर किये हुअे मान से अधिक गति बतलाने वाले हरएक स्पर्धार्थी को अपने स्थान से स्पर्धा के स्थान तक जानेआने का रेल किराया संघ की ओर से दिया

गया। हरतरह की स्पर्धा में नियत मान से अधिक गति दिखाने वाले प्रथम तीन व्यक्तियों को रेल्वे खर्च के अलावा क्रमशः तीन श्रेणियों के अिनाम भी संघ की ओर से बांटे गये। तीनों वर्षों में मिलकर ७२ स्पर्धार्थियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया, जिनमें नियत मान से अधिक गति तक पहुंचनेवालों की संख्या ४३ रही और पारितोषक मिलाने वालों की २८ रही। कुल मिला कर रु. १२८५ के पारितोषक दिये गये। स्पर्धा में उच्चतम गति बतलाने वालों के कुछ आंकडे तालिका २२ में दिये गये हैं।

खादी उत्पत्ति और बिक्री

अब तक के विवरण से पाठक देखेंगे कि वर्षों तक खादी अुत्पत्ति और बिक्री में चरखा संघ ने अपनी ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगायी थी अुसके बदले में वस्त्र-स्वावलंबन और खादी विचार-प्रचार की ओर संघ अपनी शक्ति ज्यादह लगा रहा है। यहां तक कि कहीं कहीं खादी अुत्पत्ति और बिक्री का काम घटा कर भी वह शक्ति अुपर्युक्त दिशा में लगाने की कोशिश विवरण-काल में संघ ने की है। अिस कारण से प्रत्यक्ष चरखा संघ की खादी-अुत्पत्ति विवरण-काल में घटी है। लेकिन अुत्पत्ति-बिक्री का काम प्रमाणित संस्थाओं खडी करके अुनके जरिये बढाने की ओर संघ ध्यान देता रहा। अिसके लिये संघ ने अपना अेक प्रमाणपत्र विभाग १९४९ से ही खास तौर पर जारी किया है। नीचे के अंकों से पाया जायगा कि चरखा संघ की खुद की खादी अुत्पत्ति और बिक्री का काम घटा है, परन्तु प्रमाणित केन्द्रों का काम बढने से कुल मिला कर अुत्पत्ति-बिक्री बढी है:—

	अुत्पत्ति (रुपयों में)	बिक्री (रुपयों में)
१९४८-४९		
चरखा संघ	५४,९४,३७६	४६,४८,२४४
प्रमाणित	४९,४८,५८९	४४,९३,१६८
१९४९-५०		
चरखा संघ	५१,९१,५०१	५६,५७,९३९ (अेजंट सहित)
प्रमाणित	५९,४९,४३५	७०,९२,२२७
१९५०-५१		
चरखा संघ	४४,७८,९०४	५६,४८,६४६ (अेजंट सहित)
प्रमाणित	८२,६६,३९१	१,०९,५७,०३२

अुपर्युक्त आंकडों का तफसील तालिका ८ से १२ तक मिल सकेगा। अुसे देखने से पता चलेगा कि अन्तिम वर्ष में बिहार प्रान्त में अुत्पत्ति विशेष रूप से बढी है। अुसका कारण यह है कि वहां अकाल के निमित्त कताअी के दाम करीब दुगुने देकर सरकार की ओर से बिहार खादी समिति के मार्फत काम करवाया गया।

पंजाब प्रान्त की प्रमाणित अुत्पत्ति-बिक्री अहवाल-काल के दूसरे वर्ष में बहुत कम हुअी है। अुसका कारण यह है कि पंजाब सरकार ने वह काम बहुत कम कर दिया है।

यहां अेक अुल्लेख कर देना अुचित होगा कि मद्रास सरकार के खादी विभाग का और चरखा संघ का संबंध विवरण-काल में टूट गया। अुनके १९५०-५१ के काम के आंकडे अुपर्युक्त आंकडों में शामिल नहीं है। अंदाजन १५ लाख की खादी–अुत्पत्ति अुस विभाग द्वारा हुअी होगी।

यह पाया जायगा कि १९५०-५१ में अुत्पत्ति के मुकाबले में बिक्री बहुत ज्यादह हुअी है। पिछले दो वर्षों से संघ की कअी शाखाओं तथा प्रमाणितों के पास माल संग्रहित रहा करता था वह १९५०-५१ में बहुत कुछ बिक गया। मिल कपडा मिलने की कठिनाअी के कारण खादी ज्यादह बिकी। यहां तक कि कअी जगह खादी की मांग पूरी न हो सकी, अिस कारण कुछ प्रमाणित संस्थाअें अपनी अुत्पत्ति बढाती चलीं। मगर आज फिर यह हालत दीख रही है कि खादी का संग्रह बढ रहा है। खादी के पिछले पचीस वर्ष के अितिहास में कअी बार अैसे प्रसंग आये हैं कि थोडे अर्से के लिये अेकाअेक बिक्री बढ कर फिर घट जाती है। अिससे खादी काम को बडा धक्का पहुँचा है। अुत्पादन में लगे कारीगरों को अिस तरह छोडने से अुत्पादन की शक्ति ही मर जाती है। खादी की अुत्पत्ति और बिक्री के लिये संरक्षित बाजार की बहुत जरूरत है। स्वराज्य मिलने के बाद भी अब तक यह नहीं हो पाया है। अगर स्पर्धा के बाजार में ही खादी को जिलाना हो तो बेहतर होगा कि खादी की अुत्पत्ति-बिक्री का काम ही देश में बंद किया जाय और केवल वस्त्रस्वावलंबन का ही काम किया जाय। लेकिन अगर खादी अुत्पत्ति देश में जारी रखनी है तो अुसे पूरा संरक्षण सरकार की ओर से मिलना चाहिये। वह नहीं मिलता है तब तक खादी की नैमित्तिक माँग के पीछे खादी-काम का ढाँचा खडा करना गलत होगा। वैसी दशा में समझबूझ कर और नित्य खादी का ही आग्रह रखनेवाले ग्राहकों के ही आधार पर खादी काम चलाना चाहिये, भले ही वह मर्यादित हो।

अूनी तथा रेशमी खादी

यद्यपि सूती खादी का काम चरखा संघ का मुख्य लक्ष्य रहा है, फिर भी खादी काम के शुरू से खादीधारियों की अूनी तथा रेशमी खादी की आवश्यकता यथासंभव पूरा करने की नीति संघ की रही है। काश्मीर शाखा अूनी खादी के लिये ही मुख्यतः चलती रही। राजस्थान तथा सिंध में थोडा अूनी काम होता रहा, लेकिन वह १९४२ के बाद से बंद-सा रहा। अहवाल-काल में रेशमी खादी बिहार, बंगाल व आसाम में प्रमाणितों द्वारा बनती रही।

अहवाल-काल में काश्मीर शाखा में १९४९–५० में करीब रुपये तीन लाख और ५०–५१ में रुपये ३॥ लाख की अूनी खादी बनी। १९५१–५२ का जाडे का मौसम हलका होने के कारण अूनी खादी की खपत बहुत कम रही। पश्मीना का अूनी माल धनी लोगों के लिये ही रहता है। लेकिन अब अुसके दाम अितने बढ गये हैं कि धनी लोग भी अुसे अधिक नहीं खरीदते। बम्बअी, कलकत्ता तथा दिल्ली में अुसकी बिक्री का संगठन हो तो शायद अुसे खपाने में कुछ आसानी हो सकती है। अिन स्थानों में संघ का प्रत्यक्ष बिक्री का संगठन न होने के कारण अिस वर्ष पश्मीना की खपत भी बहुत कम रही। परन्तु आगामी साल में वैसा संगठन करने का सोचा जा रहा है। आशा है कि अुससे पश्मीने की खपत बढायी जा सकेगी। लेकिन अुसके बाद भी वह न बढ सकी तो पश्मीने का काम संघ को बहुत ही घटा देना पडेगा। अभी तो काश्मीर की अूनी माल की अुत्पत्ति के संबंध में संघ ने यह नीति रखी है कि मौजूदा परिस्थिति में यथासंभव अधिक से अधिक अुत्पत्ति कर के वहां की गरीब जनता को मदद पहुंचायी जाय।

अूनी पट्टू केवल हाथ से ही बनते हैं। अुसमें मिलसूत मिश्रण होने की संभावना न होने से संघ ने अूनी पट्टू पर से प्रमाणपत्र हटा लिया है। अिसलिये प्रमाणित अपने लिये खुले बाजार से पट्टू खरीद करने लगे हैं और अुस परिमाण में संघ की अूनी पट्टू की खपत भी घट गअी है।

रेशमी खादी सीधे बाजार से खरीद करने की पद्धति रही है। वह रजिस्टर्ड बुनकरों से ही खरीद की जाय अैसा संघ ने अहवाल-काल में प्रस्ताव किया है। बिहार में भागलपुर, बंगाल में माल्दा तथा आसाम में राहा में रेशमी खादी की अुत्पत्ति पूर्ववत् होती रही। अिस वर्ष काश्मीर सरकार ने अपना मटका रेशम का अेक अलग विभाग खोल कर अुसके लिये संघ का प्रमाणपत्र लिया है। अंदर का कीडा अुड जाने से टूटे हुअे रेशम के कोओं को चरखे पर कात कर जो रेशम बनता है अुसे मटका रेशम कहते हैं। मटका रेशम में कातने की ही क्रिया होती है, रीलिंग की

नहीं। अिन सब केन्द्रों में दो साल में जो रेशम अुत्पत्ति हुअी अुसमें अंडी, मटका, टसर आदि सब तरह के रेशम का समावेश है।

सूतशर्त

१९४१–४२ में खादी काम में सूतचलन और सूतबदल के प्रयोग कहीं कहीं हुअे। गांधीजी भी अुन प्रयोगों में दिलचस्पी लेकर अुस दिशा में कुछ ज्यादह सोचने लगे और खादी-कार्यकर्ताओं के सामने अपने खुद के कुछ सुझाव भी रखने लगे। गांव की टकसाल के रूप में, गांव की बैंक के रूप में, किसी भी असहाय व्यक्ति के सहारे के रूप में सूतबदल, सूतचलन आदि की संभावनाअें जाँचने और सोचने का काम शुरू हुआ। सेवाग्राम में अेक सूतचलन-दुकान चलाअी गअी। चरखा संघ की महाराष्ट्र शाखा ने सूत के बदले खादी देने का अेक खास तरीका चलाया। अुसके लिये सूतचलन पत्रक और अुसका अेक शास्त्र बनाया। लेकिन १९४२ के देशव्यापी आन्दोलन में निरीक्षण परीक्षण की दृष्टि से यह काम बहुत आगे न बढ सका। १९४४ में खादी-काम के बारे में गांधीजी ने अेक नया दृष्टिकोण देश के सामने रखा। खादी से राहत देने की अपेक्षा राहत की आवश्यकता न रहे अैसे खादी-कार्यक्रम के स्वरूप पर वे सब का ध्यान आकर्षित करने लगे। अुन्हीं दिनों महाराष्ट्र शाखा का अंतिम सूतचलन पत्रक अुनके सामने रखा गया। पता नहीं अुस बारे में सोच कर या अुन्होंने पहले स्वतंत्र ही सोच रखा था अुसके अनुसार अुस पत्रक पर से खादी काम में यह शर्त अुन्होंने लागू करवायी। मगर काअियों को वह नहीं जंची। श्री गांधी आश्रम मेरट जैसी पुरानी और बडी संस्था ने अिसका विरोध करके सूतशर्त के कारण चरखा संघ का प्रमाणपत्र तक छोड दिया। कॉंग्रेस जनों में भी अिस शर्त पर बहुत नाराजी रही। यह सब देखते हुअे और खास कर के कांग्रेस ने जब अपने पंचायत के अुम्मीदवारों के लिये लाजिमी तौर पर खादी ही पहनने का प्रस्ताव किया तब चरखा संघ ने १९४८ में यह नीति अखत्यार की कि प्रमाणित संस्थाओं के लिये यह शर्त लाजिमी न रखी जाय, मगर चरखा संघ अपना काम सूत-शर्त के आधार पर ही करे। अिस संबंधी प्रस्ताव परिशिष्ट १ में दिया गया है। अहवाल-काल में करीबन सभी प्रमाणित संस्थाओं ने सूतशर्त छोड दी। चरखा संघ के केन्द्रों में वह जारी रखी गयी।

जब से प्रमाणित केन्द्रों द्वारा सूतशर्त छोड दी गयी तब से वह चरखा संघ में भी जारी रखी जाय या बन्द कर दी जाय अैसा सवाल अुठता रहा। चरखा संघ ने १९४८ में यह भी अेक प्रस्ताव किया था कि व्यापारी खादी-काम प्रमाणित संस्थाओं के मार्फत चला कर संघ अपनी सारी शक्ति वस्त्र-स्वावलंबन के काम में लगावे। अिस

दृष्टि से सूतशर्त अेक नियंत्रण के रूप में चरखा संघ के काम में बदल के लिये अच्छी थी। सूतशर्त के निमित्त अेक ओर से कुछ स्वावलंबी कातनेवाले बढ रहे थे व दूसरी ओर खादी-बिक्री पर अेक अैसी मर्यादा आ गयी थी कि केवल व्यापारिक दृष्टि से वह न बढे। वस्त्र-स्वावलंबी कताओ के पूर्तिरूप ही बिक्री बढे। यह अेक तांत्रिक कारण था जिससे चरखा संघ ने सूतशर्त जारी रखना ही ठीक समझा। लेकिन दरअसल सूतशर्त में अिस से गहरा अर्थ था। अुसका यहां थोडे विस्तार से विचार कर लेना सामयिक होगा।

अब तक के विवरण में अेक से अधिक बार यह बताया गया है कि संघ का अुद्देश्य चरखे से केवल कपडा पैदा करना नहीं है, मगर अुसके जरिये समाज-हित के लिये और समाज को आगे बढाने के लिये कुछ सिद्धान्तों की और नये मूल्यों की प्रतिष्ठा करना है। अहिंसक समाजरचना के लिये या शोषणरहित समाज संगठन के लिये यह आवश्यक है कि राष्ट्र का हरअेक नागरिक, चाहे वह राष्ट्रपति क्यों न हो, समझबूझ कर हर दिन कुछ न कुछ अुत्पादक परिश्रम अवश्य करे। अिसके लिये कताओ का परिश्रम सब से ज्यादह सार्वत्रिक होने लायक और राष्ट्र के लिये बहुत अुपयोगी पाया गया है। सूतशर्त के जरिये देश में अिस मूल्य की प्रतिष्ठा बढाओ जा सकती है कि जिस किसी को कपडा पहनना है अुसे सूत कातना चाहिये। और हरेक को कपडा पहनना है अिसलिये हरेक को कातना चाहिये। लेकिन सिद्धान्त के रूप में अिस विचार का प्रचार संघ अब तक बहुत नहीं कर सका है, यह कबूल करना चाहिये। चरखा संघ का काम अब तक तांत्रिक रूप से ज्यादह चलता रहा। अिसलिये स्वाभाविकतया ही हमारे सामने सुझाव आते रहे कि या तो सूतशर्त के जरिये सही वैचारिक प्रचार हो या फिर अुसे बंद कर दिया जाय। मगर संघ का लक्ष्य तो विशिष्ट विचारधारा के आधार पर खादी काम चलाने का है। अिसलिये सूतशर्त को संघ ने बहुत जरूरी समझा है।

तंत्रनिर्बंध और नयी मूल्यप्रतिष्ठा के अुपरान्त सूतशर्त के बारे में अेक व्यावहारिक अनुभव भी विवरण-काल में आया है। खादी के अितिहास में कभी अुत्पादन ज्यादह तो कभी बिक्री ज्यादह यह अनुभव लगातार आता रहा है। और अगर आज की बाजार पद्धति से खादी का काम होता रहा तो आगे भी यही अनुभव आते रहना लाजिमी है। क्यों कि अुस हालत में खादी की बिक्री कपडे के बाजार के रुख व हालत पर निर्भर रहेगी। अगर बाजार में मिल-कपडा कम, तो खादी की बिक्री ज्यादह। अगर वहाँ कपडे की अिफरात, तो खादी की मांग कम। पिछले दो वर्ष में कपडे की तंगी बढती गयी वैसे खादी की खपत बढती चली। और अिधर छे मास हुअे बडी तेजी के साथ वह बराबर घटती जा रही है। अिसके

लिये यह जरूरी है कि खादी को बाजार पर निर्भर न रहना पडे, बल्कि अुसकी खुद-खपत होती रहे। जिस घर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में वह तैयार होती हो अुसी घर, गांव या क्षेत्र में वह खप जाय और जो खादी बरतते हैं वे ही अुसे बना लेते जायँ तो बाजार के आसरे खादी को नहीं रहना पडेगा। अिस दृष्टि से चरखा संघ ने देखा कि कातनेवाले कारीगरों को भी खादी पहनने का आग्रह करना और खादी पहननेवालों को खुद कातने का आग्रह करना व्यावहारिक दृष्टि से भी खादी के बाह्य काम में बहुत सहायक हुआ है। जब-जब खादी का संग्रह बढा तब तब कारीगरों का खादी का अिस्तेमाल बहुत मददगार हुआ है, और अधिक सोचने से पता चलेगा कि खादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिये और अुत्पत्ति-बिक्री का संतुलन करने के लिये ये दोनों नियम बहुत महत्त्व के हैं।

यह बात सही है कि आज की कृत्रिम, केन्द्रित व नियंत्रित आर्थिक परिस्थिति में अूपर के दोनों नियम हमें काफी हद तक कृत्रिम रूप से चलाने पडते हैं। कृत्रिम रूप के कारण अुसमें बुराअियां भी पैदा होती हैं। ग्राहकों का सूतशर्त के लिये खरीदा सूत लाना और कारीगरों का कताअी मजदूरी के हिस्से में से खुद पहनने के लिये मिली खादी बाजार में बेच देना अैसे किस्से कहीं कहीं होते रहे हैं। मगर अिसका अिलाज भी क्षेत्र-स्वावलंबन में है, यानी छोटे दायरे में जनसम्पर्क के साथ काम करने में है।

अिस तरह सूतशर्त में सैद्धांतिक, व्यावहारिक और तंत्र-निर्बंध की सभी दृष्टियां अंतर्भूत हुअी हैं। मगर विरोधी व प्रतिकूल वायुमंडल में अब तक संघ अुसे अुतना कारगर नहीं बना सका है। जिस तरह खादी काम के लिये संघ को जूझना पडा है अुसी तरह अिन नियमों के बारे में भी बहुत शक्ति लगानी पडी है और पड रही है।

चरखा संघ की प्रमाणित संस्थाअें

चरखा संघ ने अपनी शक्ति वस्त्र-स्वावलंबन के काम में ज्यादह से ज्यादह लगाने का ठहराया तब से अुत्पत्ति और बिक्री का खादी का काम प्रमाणित संस्थाअें खडी कर के चलाने का सोचा, यह बात अूपर बतलायी जा चुकी है। अिन वर्षों में प्रमाणित संस्थाअें व अुन के काम के आंकडे नीचे लिखे अनुसार रहे :—

	संख्या	अुत्पत्ति	बिक्री	पूंजी
१९४९–५०	८८	५९,४९,४३५	७७,९२,२२७	अप्राप्त
१९५०–५१	१२८	८२,६६,३९१	१,०९,५७,०३२	१४० लाख
१९५१–५२	१३८	–	–	–

अिससे मालूम होगा कि अिस दिशा में भी खादी काम की कुछ प्रगति हो सकी है और अिसके जरिये संघ से बाहर की कितनी पूंजी व कितने कार्यकर्ता तथा कितना नया क्षेत्र खादी काम में लगा है। मगर सारे देश के खादी काम की दृष्टि से ये आंकडे भी बहुत संतोषजनक तो नहीं कहे जा सकते। अुसके कुछ कारण सोचने व समझने लायक हैं।

खादी बिक्री की अस्थिरता प्रमाणित संस्थाओं के काम में सब से बडी रुकावट है। खादी बिक्री के बारे में अिसी विवरण में अिस अनिश्चितता से होनेवाली रुकावट के बारे में लिखा गया है।

दूसरी रुकावट मतभिन्नता व स्वार्थ की है। चरखा संघ ने अपना काम विशेष सिद्धान्तों पर खडा किया है। अिसमें जीवन-वेतन, कारीगरों में खादी परिधान का आग्रह, खादीकाम में व्यक्तिगत स्वार्थ न रहना आदि की नीति चरखा संघ ने खादी की मूल दृष्टि को सामने रख कर लंबे अरसे से अपनायी है। कुछ लोग स्वार्थवश संघ की अिस नीति का गैरफायदा अुठा कर अप्रमाणित खादी-काम करते हैं। और कुछ अैसा गैरलाभ नहीं अुठाना चाहते, मगर व्यक्तिगत मालिकी छोड कर ट्रस्ट या सहकारी संस्था के रूप में यह काम संगठित करने में दिक्कत पाते हैं।

आजकल के मतभिन्नता के युग में कअी जगह केवल चरखा संघ का प्रमाण-पत्र टाल कर स्वतंत्र काम करने के प्रयत्न होते रहते हैं। यहाँ तक कि कोअी प्रान्तीय सरकार खुशी से चरखा संघ के प्रमाणपत्र को अपनाती है तो कोअी संघ के साथ का सम्बन्ध तोड कर स्वतंत्र काम करने लगती है।

यह सब होते हुअे संघ का प्रमाणित काम धीरे-धीरे बढ ही रहा है। चरखा संघ अपनी ओर से अिस में जो कुछ मदद दे सकता है वह देता आया है। अिस विवरण में आगे यह दिया गया है कि पूंजी की समस्या में सहायता पहुँचाने के लिये प्रमाणितों के लिये संघ ने दो-तीन वर्षों से कपास व रुअी के संग्रह की क्या योजना बनाअी है। अुसी तरह पूंजी के निमित्त प्रमाणितों को सहायता पहुँचे अैसी दूसरी अेक योजना संघ ने मध्यवर्ती तथा प्रान्तीय सरकारों की सेवा में भी भेजी है। यह योजना परिशिष्ट ४ में दी गयी है।

चरखा संघ को यहाँ पर अिस बात का उल्लेख करने में भी बडी खुशी होती है कि कुछ पुरानी खादी संस्थाओं ने भी संघ का प्रमाणपत्र छोड दिया था वह फिर से अपना लिया है। अिनमें खादी प्रतिष्ठान सोदपुर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सरकारों में काश्मीर, पंजाब, बिहार, बंगाल, आसाम तथा अुत्कल की राज्य सरकारों ने अपने खादी काम के लिये संघ से प्रमाणपत्र लिये हैं।

अभी अभी चरखा संघ ने अपने प्रमाणित विभाग का बढता हुआ काम देख कर अेक प्रमाणपत्र-सलाहकार-समिति भी नियुक्त की है। समिति के सदस्य नीचे लिखे अनुसार हैं : सर्वश्री १. विठ्ठलदास जेराजानी २. व्रजकिशोर साहू ३. भीमसेन वेदालंकार ४. कालिकाप्रसाद शर्मा ५. द्वारकानाथ लेले (संचालक)

लेकिन, संघ के सब प्रयत्नों के बावजूद प्रमाणित खादी काम भी तभी बढ सकता है जब शक्तिशाली व्यक्ति यह काम राष्ट्र के लिये एक महत्व का काम है अैसा समझ कर अपनी पूरी शक्ति अिस काम में लगावें। आज कअी जगह प्रमाणित खादीकाम भी संघ ही अपने प्रमुख व्यक्तियों की शक्ति से चलाते रहे अैसी अिच्छा प्रगट की जाती है। संघ के कार्यकर्ता तो अपने से जितना कुछ बन सके अुतना काम करते रहते हैं। पर बडे पैमाने में खादी-काम बढाना हो तो नयी पूंजी, नये क्षेत्र; नये कार्यकर्ता और नये संचालक–गणों को अिस काम में आगे आकर संघ की पूंजी, कार्यकर्ता व संचालकों को वस्त्र-स्वावलंबन, खादी विचार व शिक्षा के प्रचार के लिये मुक्त करना चाहिये।

अिन तीन वर्षों में संघ ने अपना हैद्राबाद शाखा का करीब सारा खादी अुत्पत्ति का काम स्थानिक प्रमाणित समिति के सुपुर्द कर दिया है। अिसी तरह राजस्थान शाखा में भी मध्यभारत खादी संघ व राजस्थान खादी संघ के जिम्मे संघ के बहुत सारे भंडार व अुत्पत्ति केन्द्र दे दिये गये हैं। आन्ध्र का खादी काम भी बहुत कुछ प्रमाणित संस्थाओं को सौंपा गया है। आन्ध्र में छोटी छोटी, प्रमाणित संस्थायें, जिन की संख्या दस है, संघ का काम संभालने के लिये संगठित हुअीं यह उल्लेखनीय बात है।

अिस सिलसिले में एक बात बडी सोचने लायक है। आज के जमाने में कोअी भी आयोजन बडे पैमाने में केन्द्रित व्यवस्था पर खडा किया जाय तो वह ज्यादह कार्यक्षम होता दीखता है, बनिस्बत विकेन्द्रित व छोटी अिकाअी या छोटे दायरों के काम के। अिसलिये खादीकाम में भी बडी अिकाअी में बडी संस्था बनाने की ओर लोगों का झुकाव स्वाभाविक है। और कोशिशें भी अैसी बडी संस्था खडी करने की होती हैं। अुसका यह एक बडा लाभ भी है कि वैसी बडी संस्था में आज के विरोधी वायुमंडल में और अनेक नयी-नयी कठिनाअियों में खडा रहने व जिन्दा रहने की ताकत ज्यादह रहती है। लेकिन अिससे छोटों को स्वतंत्र शक्ति पर जिन्दा रह सकने की जो ताकत नयी समाज-रचना में पैदा करने का खादी का लक्ष्य है अुस से कुछ दूर ही रहना पडता है। अुस लक्ष्य की दृष्टि से तो खादीकाम की जितनी छोटी और स्वतंत्र अिकाअियां खडी हो सकें अुतनी खडी करना वांछनीय है। आखिर तो वैसी रचना ही विरोधी प्रहारों के सामने अधिक से अधिक टिकना संभव है। शुरू में

उसकी नींव डालना कठिन है मगर खादी कार्य का लक्ष्य ही वह है तब हमें चाहिये कि प्रमाणित खादीकाम भी संभवतः छोटी छोटी अिकाअियों में और स्थानिक अुत्पत्ति और बिक्री का मेल बैठा कर खडा हो।

बडी संस्था की तरह खादी के अेकांगी काम की संस्था भी हम आज खडी कर रहे हैं। पर, परिस्थिति अुसमें भी हमें सावधान कर रही है। अेक जगह केवल अुत्पत्ति और सैकडों मील पर केवल बिक्री का प्रमाणित ढाँचा खडा है। मगर जरा-सी अुल्टी लहर अुस ढाँचे को क्षणभर में हिला देती है। आज खादी-बिक्री कम होते ही कअी जगह के विक्रेताओं ने खादी लेने से अिन्कार करने के कारण अुत्पत्ति करनेवाली संस्था को बडी ठेस पहुँच रही है। अगर खादी के समग्र विचार की बुनियाद पर और क्षेत्र-स्वावलंबन की विचारधारा पर खादी की अुत्पत्ति और बिक्री का प्रमाणित काम भी खडा हो तो वह ज्यादह ठोस और लाभदायी होगा।

अहवाल-काल में प्रमाणित संस्थाओं को सुविधा कर देने की दृष्टि से प्रमाणपत्र के नियमों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं।

पहले प्रमाणपत्र के नियम के अनुसार संघ द्वारा मंजूर किया हुआ व्यवस्था खर्च लेने के बाद जो बचत रहती थी, वह प्रमाणित संस्था को सारी कामगार सेवा कोष में जमा करनी पडती थी। प्रमाणितों की बचत का अुपयोग अपने मन के अनुसार करने की गुंजाअिश कर देने की दृष्टि से संघ ने यह सुविधा कर दी कि संस्था को संघ द्वारा मंजूर व्यवस्था-खर्च की मर्यादा में जो बचत होगी वह संस्था की रहेगी और संस्था अुसका अुपयोग अपने मन के अनुसार कर सकेगी।

दूसरी सुविधा प्रमाणितों को पूंजी बढाने की दृष्टि से की गयी। अभी प्रमाणित संस्थाअें खादी काम करती हैं अुसमें अुनके खर्च के लिये व्यवस्था खर्च अितना ही मंजूर किया जाता है कि जितने में अुनको हानि या लाभ न हो; अिस मुकर्रर की हुअी मर्यादा में अगर किफायत से बचत हो जाय तो वह अुस संस्था को रह जाती है और पूँजी बढाने में उपयोगी हो सकती है। पर अुस मर्यादा से अधिक खर्च हो तो अुसकी हानि अुस संस्था पर पडती है। यह व्यवस्था तो अैसी ही चलती रहेगी, पर अिसके अुपरांत यह सोचा गया कि संस्था की फुटकर बिक्री पर रुपये पीछे आधा आना अधिक लेने की अिजाजत दी जाय। अगर संस्था अपना काम किफायत से करेगी तो अिस आधे आने का अुपयोग अुसकी पूँजी बढाने में होगा। अिस तरह धीरे धीरे वह अपने काम के हिसाब से अपनी पूँजी बढा सकेगी। अिस रकम का बोझ ग्राहकों पर पडेगा। क्योंकि माल अुतना महँगा बेचना पडेगा। अिस सुविधा का लाभ ४–६ प्रमाणित संस्थाओं ने अहवाल काल में अुठाया।

श्री गांधी आश्रम मेरठ तथा बिहार खादी समिति जैसी लाखों रुपयों का खादी का काम करनेवाली बडी संस्थाओं को प्रमाणपत्र की फीस नियम के अनुसार बहुत ज्यादा देनी पडती थी। अुन्होंने फीस की कुछ अंतिम मर्यादा बांधने की मांग की थी। अुसपर विचार होकर यह तय किया गया कि प्रमाणपत्र फीस की दर पहले जैसी ही याने फुटकर बिक्री पर १ रु. प्रति हजार तथा थोक बिक्री पर २ रु. प्रति हजार रहे, लेकिन जिन संस्थाओं का अुत्पादन सालाना पाँच लाख रुपयों से अधिक हो अुनसे २५.० रु. सालाना से ज्यादा फीस न ली जाय। मगर अिस फीस के अुपरांत जब चरखा संघ का कोअी निरीक्षक भेजा जाय तब अुस का वेतन और मार्गव्यय प्रमाणित संस्था अुठावे।

जो सहकारी संस्थाअें मिल-सूत के वितरण का काम करती हैं अुन्होंने अगर अपनी एक अलग अुप-समिति बना कर अुस के द्वारा खादी काम करना चाहा: तो अुन्हें प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिये या नहीं अिस संबंध में अहवाल-काल में सवाल खडा हुआ था। अुस संबंध में विचार होकर अैसी संस्था को प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकेगा अैसा संघ ने तय किया। खादी काम के लिये स्वतंत्र समिति ही बननी चाहिये।

अहवाल काल में दो तीन प्रमाणित संस्थाओं में अशुद्ध खादी के काम की शिकायतें हुअीं, जिनकी संघ की ओर से जाँच की गयी और अेक संस्था का प्रमाण-पत्र रद्द किया गया तथा अन्यों को ताकीद दी गयी। अैसी घटनायें आगे न हों अिस दृष्टि से प्रमाणितों के काम का निरीक्षण और हिसाब की जाँच का अहवाल-काल में संघ ने विशेष प्रबंध किया और अुसके लिये अपने खास निरीक्षक और ऑडिटर रखे।

संघ की प्रमाणित संस्थाओं की सब को जानकारी हो, अप्रमाणित व्यापारी अपने को प्रमाणित बता कर लोगों की दिशा भूल न कर सकें अिस दृष्टि से संघ ने अहवाल काल में खादी केन्द्रसूची का प्रकाशन शुरू किया। अधिकृत केन्द्रसूची के चार संस्करण अब तक निकाले गये हैं। यह केन्द्रसूची चरखा संघ प्रधान कार्यालय सेवाग्राम से प्राप्त हो सकती है। प्रमाणपत्र संबंधी नियम व अन्य जरूरी जानकारी अुसमें में दी जाती है।

रुअी संग्रह योजना

अहवाल-काल में खादी-अुत्पत्ति-बिक्री का काम प्रमाणितों के जरिये चलाने की नीति संघ ने निश्चित की और अुसके मुताबिक जगह जगह प्रमाणितों द्वारा खादी अुत्पत्ति का तथा बिक्री का कार्य चालू हो गया। अिसमें खादी अुत्पत्ति का कार्य

अधिक जटिल है और अुसमें काफी पूंजी फँस जाती है, जिससे अुत्पत्ति का काम करनेवालों को पूंजी की विवंचना करनी पडती है। खास कर के कपास या रुअी के मौसम में खरीदने से ही वह थोड़ी सस्ती और अच्छी मिलती है। पूरे साल भर में यह मौसम २-३ महीने ही रहता है और साल भर की खरीद अुसी समय में करनी पडती है। देशभर में जो प्रमाणित संस्थाअें बनी हैं, अुनकी पूंजी परिमित है और रुअी-खरीद के लिये अुन्हें पैसे की बहुत तंगी भुगतनी पडती है। यह देख कर अहवाल-काल में संघ ने अिन संस्थाओं के लिये रुअी खरीद कर संग्रह करने के संबंध में सुविधा कर दी है। यह योजना परिशिष्ट ५ में दी गअी है।

अुपर्युक्त योजना जून १९५० में बनायी गयी। अुसके अनुसार सन १९५०-५१ में ३९२४ गांठें रुअी खरीद की गयी, जिसमें संघ को अपनी १५$\frac{3}{4}$ लाख रुपये पूंजी लगानी पडी। अिसमें मुख्यतः बारडोली में २०० गांठें, राजस्थान में ४८६ और वर्धा-नागपुर में ३०८८ गांठें रुअी खरीदी गयी और ३० प्रमाणित संस्थाओं को वह मुहैय्या की गयी।

सन १९५१-५२ में चरखा संघ की रकम लगाने की शक्ति है अुससे काफी ज्यादा रकम की रुअी व कपास संग्रह की मांग प्रमाणित संस्थाओं से आयी। संघ के लिये संभव थी अुतनी रकम संघ ने लगा दी। अिसके लिये करीब रुपये तीन लाख की सरकारी सिक्युरिटिज भी करीब २६ हजार का नुकसान अुठा कर संघ ने बेच दी। लेकिन अधिक रकम की जरूरत होने से वह कर्ज के रूप में गांधी निधि से ली जाय अैसा विचार सामने आया। गांधी निधि ने अिस काम के लिये सूद पर चरखा संघ को रु. ३० लाख तक का कर्जा देना स्वीकार किया। सामान्यतः कर्ज लेने की चरखा संघ की नीति नहीं है लेकिन प्रमाणितों से २५% रकम पेशगी लेकर रुअी में लगाने का जो तरीका संघ ने शुरू किया है, अुसमें विशेष खतरा न होने से अुसी मद के लिये गांधी निधि से कर्जा लेना अुचित माना गया।

लेकिन गांधी निधि से रु. ३० लाख का कर्ज अुठाने की जरूरत नहीं हुअी। केवल रु. ८ लाख के कर्ज से ही रुअी खरीद का काम चल गया।

रुअी खरीद के लिये बिहार खादी समिति तथा गांधी आश्रम मेरठ ने अपने प्रतिनिधि वर्धा भेजे। बाकी संस्थाओं की रुअी चरखा संघ के रुअी विभाग द्वारा खरीदी गअी।

हाथ ओटाअी

संघ का पुराना प्रस्ताव है कि हाथ ओटाअी की ही रुअी काम में लाने की अधिक से अधिक कोशिश की जाय। मगर कअी दिक्कतों के कारण अिस दिशा में

खास प्रगति अब तक नहीं हो पाअी। अुपर्युक्त कपास व रुअी संग्रह योजना का काम करते हुअे यह भी विचार किया गया है कि धीरे धीरे अिसमें हाथ ओटाअी का काम बढाया जाय। अिस अनुसार थोडी प्रारंभिक तैयारी अभी अभी हो पाअी है। आशा है कि अगले वर्ष हाथओटाअी का ज्यादा काम हो सकेगा।

पूंजी रिक्त हो तो ग्रामोद्योगों में मदद

कपास और रुअी के लिये अेकदम से जो पूंजी लगानी पडती है, वह जैसे जैसे खादी-अुत्पत्ति होकर बिक्री होती जाती है, वैसे-वैसे खुली होती रहती है। केन्द्रों को रुअी भेजने में तो संघ की रुअी में लगी हुअी रकम जल्दी ही खुली हो सकती है। अैसी खुली रकम बैंक में रखनी पडती है। वह बैंक में रखने के बजाय दूसरे मौसम तक रुअी के लिये खुली हो सके, अिस तरह यदि अन्य किसी ग्रामोद्योग में काममें आये तो अच्छा ही है, अैसा मानकर रुअी की पूंजी की जरूरत पूरी करने के बाद जो रकम खुली रहे वह ग्रामोद्योगों के कच्चे माल के लिये भी लगाअी जा सकेगी अैसा निर्णय संघ ने किया है।

अिस योजना के अनुसार तिलहन संग्रह के लिये ७०० रु. की नागपुर की ग्रामोद्योग सहकारी संस्था सावंगा की मांग पूरी की गअी। लेकिन बाद में रुअी खरीद में ही संघ की पूंजी लग जाने से ग्रामोद्योगों के लिये संघ अपनी पूंजी नहीं लगा सका।

जीवनवेतन

जीवन-वेतन का सिद्धांत चरखा संघ ने १९३५ में गांधीजी के मार्गदर्शन पर अपने कार्यक्रम में अंतर्भूत किया। आज तो समान वेतन या कम से कम फर्क का वेतन यह आदर्श सोचा व बोला जा रहा है। जीवन-वेतन तो अिन आदर्शों की प्रथम सीढी कही जा सकती है। तथापि अभी राष्ट्र अिस प्रथम सीढी तक भी ठीक से पहुंचा नहीं है। चरखा संघ भी जीवन-वेतन की कोशिश में अब तक बहुत कामयाब नहीं हुआ है। बल्कि १९३५ में अिस दिशा में संघ जितना आगे बढा था अुस हद तक टिकना भी अुस के लिये मुश्किल ही रहा। क्यों कि संघ ने अपना काम पैसे पर खडा किया और पैसा अपनी कीमत बदलता रहा। १९३५ में संघ ने यह तय किया था कि ८ घंटे की कार्यक्षम (क्षमता का मान अलग-अलग नंबर के अनुसार संघ ने ठहराया है। अुसकी जानकारी तालिका १३ व १४ में देखिये) कताअी के लिये तीन आना मजदूरी दी जाय। तीन आना का मान अुस हिसाब से ठहराया गया था कि अुससे पेटभर खाना व अपना कपडा तो कत्तिन पा ही सके। लेकिन धान्य के भाव बढते गये और अुस जमाने से चौगुने के आसपास

पहुँचे। मगर संघ कताअी मजदूरी चौगुनी नहीं कर सका। अुतनी मजदूरी बढा कर खादी बेचना संघ को असंभव लगा। कुछ अरसे तक दुगुनी याने तीन आने की जगह ६ आना मजदूरी के पैमाने पर संघ काम करता रहा। लेकिन यह पैमाना बहुत कम था। अिसपर विनोबाजी ने संघ का ध्यान खींचा। बहुत कोशिश करके जनवरी १९५१ से अप्रैल १९५१ के दरम्यान संघ की शाखाओं ने यह पैमाना ८ आने का कर दिया। आजकल वही जारी है। अंकवार कताअी दर या गुंडी खरीद दर क्रमशः तालिका १३ व १४ में दिये गये हैं।

कताई के जरिये जीवनवेतन का सवाल आज की आर्थिक परिस्थिति में अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है। संघ की पूरी कोशिश रहती है कि कातनेवालों को जीवनवेतन मिलना चाहिये। लेकिन यह खादीबिक्री पर अवलंबित है। अिसका ख्याल करके खादी के दाम बहुत ज्यादा न बढाते हुए कातनेवालों को ज्यादा मजदूरी प्राप्त हो सके इस दिशा में भी विवरण काल में विशेष विचार किया गया। इस विवरण के पिछले पृष्ठों में खादी बनाने में प्रक्रिया घटाने संबंधी प्रयोग की जानकारी दी गयी है। पुराने जमाने में कपास से कपडा बनाने तक की सभी प्रक्रियाएं अपने घर में कर के तैयार खादी बेचने का तरीका कअी जगह रूढ था। आज भी हैद्राबाद व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह पद्धति पायी जाती है। इस पद्धति से कातनेवाला परिवार कपडे तक का पूरा काम कर ले तो वह आसानी से जीवनवेतन प्राप्त कर सकता है।

कताअी व धुनाअी दर

१३-१४ तालिकाओं के आंकडे देखने से पता चलेगा कि अगरचे ८ घंटे की कताअी के लिये ८ आना प्राप्ति का मान ठहराया गया है, फिर भी अलग अलग अंकों के लिये वह थोडा कम ज्यादह रहता है। यह फर्क हिसाब की व्यावहारिक सुविधा के लिये करना पडा है। दूसरी अेक बात यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि विवरण काल में रुअी के दामों में बहुत चढाव घटाव आता रहा। तालिका में रुअी के दर दिये हैं अुनमें भी कुछ कमीबेशी होती रही। रुअी की जातियों में भी फर्क पडता गया। अुदाहरणार्थ शुद्ध रोझिया रुअी मिलना ही अिन वर्षों में मुश्किल हो गया। रोझिया के नाम पर जरीला मिश्रण की रुअी और जरीला के नाम पर रोझिया मिश्रण की रुअी मध्यप्रदेश के बाजार में आती रही। जिस रुअी का परिमाण ज्यादा अुसीके नाम पर अैसी मिश्रित रुअी बिकती रही। अैसी हालत में धुनाअी के दर क्या हों, किस रुअी में से कौन से अंक निकाले जायं, कीमतें

कैसे तय की जायं आदि बातें कुछ व्यावहारिक ढंग से चलानी पडीं। पूर्ण निश्चित दरें मुकर्रर करना कठिन रहा। तामिलनाड शाखा के दरों में पाया जायगा कि १४–१६ आदि अंकों का कताअी मजदूरी का मान ९ आना से भी ज्यादा पडता है। वह भी व्यावहारिक सुविधा के कारण करना पडा है। वहां पर मोटी और महीन गुंडी के क्रमशः ०–४–३ और ०–३–९ दाम ठहराये गये हैं। गुंडीपद्धति की छटाअी और संग्रह में अिस तरह कीमत के दो प्रकार रखने में भी कुछ कठिनाअी है। लेकिन अेक ही दर रखा जाय तो विभिन्न अंकों के लिये ८ घंटे की प्राप्ति के मान में अभी दीखता है अुससे भी ज्यादा फर्क दीखेगा। दो से ज्यादा प्रकार किये जायं तो स्टॉक व हिसाब रखने में दिक्कत आयगी। अिसलिये मध्यम मार्ग के तौर पर तामिलनाड शाखा ने अभी यह तालिका ठहराअी है। अेक विचार अुस में यह भी है कि १४ व अुसके आसपास के अंक के सूत की शाखा को ज्यादा जरूरत रहती है। अुस शाखा में धुनाअी के दर १८ अंक तक ०-८-० सेर रखे गये हैं, वह कुछ कम मालूम पडना संभव है। लेकिन वहां कत्तिनें खुद सादे धनुष से बहुत मोटी धुनाअी कर लेती हैं। घंटे में २० से ३० तोले पूनी वे अुस तरीके से बना लेती हैं। अिस गति की दृष्टि से ०-८-० दर कम नहीं है। यह धुनाअी अच्छी तो नहीं कही जा सकती मगर वहां की रुअी अच्छी होने से और आदत पड जाने से कत्तिनें अुस में से मोटा सूत ठीक निकाल लेती हैं। महीन सूत के लिये अच्छी धुनाअी की जरूरत होने से अुसके लिये धुनाअी के दर १८ अंक से अूपर के सूत के लिये अेकदम ज्यादा रखे गये हैं। दोनों तालिकाओं में धुनाअी दर के कॉलम के बाद के कॉलम में धुनाअी मजदूरी दी गयी है। ८ घंटे में सूत कताअी का जो परिमाण माना गया है अुसके लिये लगनेवाली पूनी बनाने की धुनाअी मजदूरी के वे आंकडे हैं।

बुनाअी दर

कताअी दरों का मान अूपर दिया गया है। अहवाल काल में बुनाअी दर बदलते रहे और अलग अलग प्रांतों में ये अलग अलग रहे। कहीं कहीं फी-पुंजम् फी-गज ६ पाई अर्थात् फी-बिशी फी-गज ८ पाई दर रहे, तो कहीं कहीं अिससे सवाये-ड्योढे तक बुनाअी दर देने के बावजूद कुछ अरसे तक बुनाअी की बहुत दिक्कत रही। बुनाअी के लिये मिल-सूत मिलने की अनिश्चितता, कपडे के बाजार-भावों का चढाव-घटाव, सूत और कपडे संबंधी कंट्रोल की सरकारी नीति आदि कारणों ने हाथ-बुनाअी पर अिन वर्षों में बहुत ही खराब असर डाला और अिसी कारण से पुराने अच्छे अच्छे खादीकेन्द्रों को भी बुनाअी

की दृष्टि से क्षति पहुंची। बुनाअी के लिये मिलसूत अपर्याप्त मिलता रहा, लेकिन साथ-साथ नियत मात्रा में मिलने वाला सूत काले बाजार में बेचकर बुनकर कअी जगह खासी अच्छी आमद करने लगे। अुससे अुनका आलस्य भी बढ़ा और बुनाअी का परिश्रम करने की वृत्ति कम हुअी। अैसी परिस्थिति में कअी जगह खादी बुनने की मजदूरी भी बढानी पडी। ज्यादा बुनाअी के कारण खादी के दाम भी बढे और स्वावलंबी कातने वालों को भी बुनाअी का ज्यादा दर बोझरूप मालूम पडा। अहवाल काल के आखिरी दिनों में यह हालत कुछ सुधरी है। लेकिन अिसकी निश्चितता के बारे में आज कुछ कहना कठिन है। खादी काम में अिस समस्या का हल भी ढूंढना होगा। अगर कातने वालों में आसान किस्मों का कपडा खुद बुन लेने की रुचि पैदा हो तो काफी हद तक यह समस्या सुलझ सकती है और कातनेवालों की आमद भी अुससे कुछ बढ सकती है। चरखा संघ ने अहवाल काल में अिस दिशा में भी कुछ प्रयत्न शुरू किया है।

कामगारों की संख्या

चरखा संघ तथा प्रमाणित संस्थाओं की कत्तिनों की संख्या १९४९–५० में १ लाख ९० हजार और १९५०–५१ में २ लाख २२ हजार रही, बुनकरों की संख्या क्रमशः करीब ११ हजार और १४ हजार रही। तथा कुल कामगारों की संख्या २ लाख और २ लाख ४० हजार रही। १९४९–५० और १९५०–५१ में खादी अुत्पत्ति क्रमशः वर्गगज ७१॥ लाख और ७३ लाख की हुअी है। दोनों वर्ष की उत्पत्ति में विशेष अंतर नहीं है। फिर भी कामगारों की संख्या १९४९–५० से १९५०–५१ में ४० हजार याने करीब २० प्रतिशत बढी है।

अिसका कारण यह है कि अहवाल-काल में चरखा संघ ने अपनी व्यापारी खादी उत्पत्ति काफी घटाअी, लेकिन अुस परिमाण में कत्तिनों और बुनकरों की संख्या कम नहीं हुअी। पुराने कत्तिन-बुनकर कम सही, लेकिन काम करते रहे। यानी काम घटने पर भी कामगारों की संख्या नहीं घटी। दूसरी ओर प्रमाणितों ने अुत्पत्ति बढाने के लिये कामगारों की संख्या बढाअी, लेकिन नये कामगार होने के कारण अुत्पत्ति अुतने परिमाण में नहीं बढी। और भी अेक बडा कारण यह है कि बिहार में अकाल पीडितों को राहत देने की दृष्टि से बहुत बडे पैमाने पर कताअी शुरू की गयी, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुअे। लेकिन यह काम अहवाल-काल में दो-तीन महीने ही चला, अिसलिये सालभर काम करने-वाले कामगारों से जितने परिमाण में खादी का अुत्पादन हुआ होता अुस अनुपात में दो तीन महीने काम करनेवालों का काम कम ही रहा। यह बात अन्य जगह भी जो नये कामगार लगाये गये और

जिन्होंने पूरे साल काम नहीं किया अुनको भी लागू होती है। अिसलिये अुत्पत्ति अुतनी ही होने पर भी कामगारों की संख्या अितनी बढी हुअी दिखती है। प्रान्तवार तफसील तालिका १५ में दिया गया है। दोनों वर्षों में कत्तिनों और बुनकरों की संख्या का अनुपात १०० : ६ रहा। याने अेक बुनकर के पीछे करीब १६ कत्तिनें रहीं।

कामगारों में बांटी गयी मजदूरी

१९४९–५० में कुल कामगारों को ६७ लाख ३१ हजार रुपये मजदूरी के रूप में बांटे गये, जिसमें कत्तिनों को ३०॥ लाख और बुनकरों को ३० लाख मिले। १९५०–५१ में वही आंकडे कुल कामगारों को ७३ लाख, कत्तिनों को ३५ लाख और बुनकरों को ३१ लाख रहे। तफसील तालिका १६ में दिया गया है।

कत्तिनों और बुनकरों की मजदूरी का अनुपात दोनों वर्षों में करीब ७ : ६ रहा। याने जितना सूत कातने के लिये कत्तिनों को १ रुपया मिला अुतना सूत बुनने के लिये बुनकरों को करीब चौदह आने देने पडे हैं अैसा दीखता है। लेकिन पूरे अंक नहीं मिल सके हैं। संभव है कि जितना सूत काता गया अुससे ज्यादा बुना गया हो जो कि पहले वर्ष अिकट्ठा हो गया था। कुछ प्रांतो में वस्त्रस्वावलंबन के सूत की कताअी नहीं देनी पडी है मगर बुनाअी काफी देनी पडी है।

संघ के कार्यकर्ता

चरखा संघ के नये कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से संघ के कार्यकर्ताओं को खादी की तांत्रिक तथा तात्त्विक ट्रेनिंग देने की ओर अहवाल-काल में संघ ने विशेष ध्यान दिया। संघ के अध्यक्ष तथा मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चाअें और विचारविनिमय किये तथा भाषणों द्वारा नयी भूमिका समझायी। जगह-जगह कार्यकर्ताओं के शिविर चलाये गये तथा कार्यकर्ताओं के संमेलन के आयोजन भी किये गये।

ग्रामस्वावलंबन की दृष्टि से और अर्थ की जगह श्रम की प्रतिष्ठा बढाने की दृष्टि से खादी की तात्त्विक भूमिका पर चरखा संघ ने जोर देना शुरू किया तब अुनके अमली कार्यक्रम का सवाल भी संघ के ट्रस्टी मंडल के और संघ के कार्यकर्ताओं के सामने आया। अुस पर विचार कर के संघ ने क्रमशः मिल-वस्त्र-बहिष्कार और भोजन में मिल-वस्तु-बहिष्कार का कार्यक्रम सोचा और श्रमिकों में जाकर अुन्हीं की तरह हर मास २४ घंटे परिश्रम करने का कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं को सुझाया। बहिष्कार संबंधी चरखा संघ ने कोअी प्रस्ताव नहीं किया। मगर संघ के अध्यक्ष ने अपने दौरे में, व्याख्यानों में और संघ के कार्यकर्ताओं के साथ की बातचीत में लगातार दो साल तक उस संबंधी खूब प्रचार किया। फलतः अिस दृष्टि से विचार करने की

जागृति न केवल चरखा संघ के कार्यकर्ताओं में वरन् सभी रचनात्मक संस्थाओं में आयी और अप्रैल १९५२ के सर्वोदय संमेलन में अिस संबंधी विशेष प्रस्ताव पास किया गया और देश के सामने रखा गया। उस संमेलन के बाद सर्व सेवा संघ की कार्यकारणी समिति ने अपने और जुडे हुअे सभी संघों के सदस्यों और कार्यकर्ताओं के लिये इसका अमल लाजमी हो अैसा प्रस्ताव पास किया। श्रमिकों में जाकर कार्यकर्ता स्वयं परिश्रम करें अिसके लिये चरखा संघ ने अपनी सितंबर १९५१ की ट्रस्टी मंडल की सभा में अेक खास प्रस्ताव किया। यह प्रस्ताव परिशिष्ट १ में दिया गया है।

अिसमें शक नहीं कि संघ के कार्यकर्ता आज तक कअी वर्षों से बहुत परिश्रमपूर्वक कम से कम वेतन में गरीबी पूर्वक खादी सेवा करते आये हैं। परंतु उपर्युक्त बातें अधिकतर कार्यकर्त्ताओं के लिये नयी हैं। और उसके लिये अपने जीवन में जिस बदल की जरूरत है वह लाने में कअियों को कठिनाअी भी महसूस हो रही है। लेकिन सारे समाज में जो बदल लाना है वह खुद के जीवन में भी करना होगा यह बात कार्यकर्ता समझते हैं और संघ को आशा है कि वे यथाशक्ति अिन नये सुझावों पर भी अमल करने लगेंगे। कुछ आरंभ तो कअी कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छापूर्वक शुरू भी कर दिया है

संघ के कुल कार्यकर्ताओं की संख्या अहवाल काल के प्रारंभ में करीब ११०० थी, वह अहवाल काल के अंत में ७५० ही रह गयी। राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद तथा आन्ध्र का बहुत सारा खादीकाम संघ ने प्रमाणितों को सौंपा, अुसके साथ वहां के संघ के कार्यकर्ता भी अुनको दिये गये, अिसलिये संघ के कार्यकर्ताओं की संख्या अितनी कम हुअी है।

कार्यकर्ताओं का अंतिम वेतनमान अहवाल-काल में पहले जैसा रु. १०० ही रहा। अिसके अलावा महँगाअी भत्ता २५% + १५ रु. दिया जाता रहा। १९५१-५२ में यह मान रु. १२५ किया गया, लेकिन महँगाअी भत्ता केवल २५ रुपये ही रखा गया। १९५०-५१ में संघ ने छोटे कार्यकर्ताओं को रु.६० और बडे कार्यकर्ताओं को रु. ९० अनाज के लिये विशेष भत्ता दिया। कार्यकर्ताओं का वेतन के अनुसार विभाजन तालिका १७ में दिया गया है। तालिका १८ में यह भी दिखाने की कोशिश की गयी है कि प्रति कार्यकर्ता प्रतिदिन अुत्पत्ति, बिक्री और स्वावलंबन का कितना काम हुआ। यह आंकडे कुछ अधूरे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की संख्या सालभर समान रही अैसी बात नहीं है। अलावा अिसके सरंजाम कार्यालय आदि के कार्यकर्ताओं की संख्या भी शायद अिसमें गिन ली गयी है। फिर भी ये आंकडे

मोटे तौर पर कार्यकर्ता व काम का प्रत्यक्ष अनुपात बतलाते हैं, अिसलिये तालिका में दिये हैं।

ग्राम संख्या

अहवाल काल में खादी-काम चल रहा हो अैसे ग्रामों की संख्या थोडी बढी है। दर असल जिस तरह हम वर्गगजों में और रुपयो में खादी कितनी बनी वह देखते हैं, अुसी तरह हमें यह भी देखना चाहिये कि कितने ग्रामों में चरखा पहुंचा और अुनमें से खास कर कितने ग्रामों में कपास से कपडे तक थोडी मात्रा में सही मगर सभी प्रक्रियाओं की कला चल निकली है। अिसका अेक बडा लाभ यह है कि अगरचे अभी खादी के अनुकूल जन-मानस नहीं बना है; मगर वह बने तो गांव बडी आसानी से अपना कपडा बना ले सकता है। क्यों कि सारी प्रक्रिया बीजरूप में वहां जीवित रहती है। अिस दृष्टि से हमने अब तक बीजरूप में चरखा पहुंचा हो अैसे गांवों की संख्या बढाने की ओर ध्यान नहीं दिया है। अभी जिन ग्रामों का आंकडा हमें मिला है वह तो अधिकतर मजदूरी के चरखे का मिला है। कअी जगह स्वावलंबन का चरखा भी पहुंचा है, अुसकी संख्या नहीं मिल सकी है। संभव हुआ तो अुसकी जानकारी भी प्राप्त करने की संघ की अिच्छा है। अभी मिली हुअी ग्रामसंख्या की प्रांतवार जानकारी तालिका १९ में मिलेगी।

आजतक का कुल खादी काम

चरखा संघ की स्थापना से लेकर अबतक कुल कितनी खादी बनी और कितनी मजदूरी अुसके जरिये बांटी गअी अुसके अंक तालिका २० और २१ में दिये गये हैं।

ट्रस्टीमंडल और चरखा संघ का तंत्र

चरखा संघ के आरंभ काल से यानें सन १९२५ से संघ का विधान बना हुआ ह और बादमें परोपकारी संस्था के रजिस्ट्रेशन कानून के अनुसार अुसका रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। विधान में समय समय पर कुछ तब्दीलियां होती रही हैं। अुस विधान के अनुसार बना हुआ ट्रस्टी-मंडल संघ का नीति-निर्णय और कार्य-संचालन करते आया है। कार्य-संचालन के लिये संघ के तंत्र में भी जरूरत के अनुसार कुछ बदल ट्रस्टी-मंडल करते रहा है। अहवाल काल में खादी-काम की अनेकविध प्रवृत्तियों के संचालन की दृष्टि से तंत्र में ऐसे कुछ फर्क किये गये हैं। मौजूदा ट्रस्टी-मंडल और तंत्र संबंधी जानकारी थोडे में यहां दी जाती है।

ट्रस्टी-मंडल—अहवाल-काल में आजीवन ट्रस्टियों में से श्रीमती आशा देवी ने अपनी सदस्यता का त्यागपत्र दिया। अुनकी जगह तारीख ७-८ जनवरी १९५१ की ट्रस्टी-मंडल की सभा में श्री अनंत वासुदेव सहस्त्रबुद्धे को आजीवन सदस्य चुना गया। शेष आजीवन ट्रस्टी वैसे के वैसे कायम रहे।

१९४९-५० में सालाना ट्रस्टी श्री ठाकुरदास बंग तथा श्रीमती अमलप्रभा दास का समय समाप्त होने के कारण वे बन्द हुअे। अुनकी जगह श्री ध्वजाप्रसाद साहू, श्री सिद्धराज ढड्ढा तथा श्री आर. गुरुस्वामी पिल्लै को तारीख ७-८ जनवरी १९५१ की ट्रस्टी मंडल की सभा में सालाना ट्रस्टी चुना गया। आज के ट्रस्टी ये हैं:—

आजीवन ट्रस्टी

(१) श्री. धीरेन्द्रभाअी मजूमदार, (अध्यक्ष) खादीग्राम, पो. मलेपुर, जि. मुंगेर, बिहार
(२) श्री. वि. वि. जेराजाणी, ३९६, कालबादेवी रोड, बम्बअी २
(३) श्रीमती रमादेवी चौधरी, बरीकटक, जिला कटक
(४) श्री. खान अब्दुल गफ्फारखान, चारसद्दा, जिला पेशावर (पाकिस्तान)
(५) श्री. रघुनाथ श्रीधर धोत्रे, बजाजवाडी, वर्धा (मध्यप्रदेश)
(६) श्री. नारायणदास गांधी, राष्ट्रीय शाला, राजकोट (काठियावाड)
(७) श्री. जुगतराम दवे, स्वराज्य आश्रम, वेडछी, पो. वालोड, जिला सूरत
(८) श्री. श्रीकृष्णदास जाजू, (कोषाध्यक्ष) बजाजवाडी, वर्धा
(९) श्री. कृष्णदास गांधी, सेवाग्राम, (वर्धा)
(१०) श्री. अनंत वासुदेव सहस्त्रबुद्धे, (मंत्री) सेवाग्राम, (वर्धा)

सालाना ट्रस्टी

(११) श्री. सिद्धराज ढड्ढा, सर्वोदय केन्द्र, खीमेल (राजस्थान)
(१२) श्री. ध्वजाप्रसाद साहू, खादी बोर्ड, पुनाअी चक, पटना-३
(१३) श्री. आर. गुरुस्वामी पिल्ले, गान्धी निकेतन, टी. कल्लुपट्टी पोस्ट मदुरै जिला, दक्षिण भारत

खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तान सरकार के जेल में बंद होने से उनसे संघ का संबंध टूट गया है। अन्य ट्रस्टी अहवाल काल में संघ के काम में सक्रिय हिस्सा लेते रहे हैं।

सभा की अवधि—ट्रस्टी मंडल की सभा अहवाल-काल के पहले साधारणतः साल में दो बार हुआ करती थी। सन १९४९-५० और १९५०-५१ में मिल कर वह

पाँच बार हुअी। अब यह निर्णय किया गया है कि साधारणतः तीन महीने के बाद ट्रस्टी मंडल की सभा रखी जाय।

अुपसमितियाँ—अहवाल काल में नीचे लिखी ट्रस्टी मंडल द्वारा बनायी गयी पुरानी और नयी अुपसमितियां काम करती रहीं। १. बजट समिति, २. शिक्षा समिति, ३. सरंजाम सुधार समिति, ४. कपास समिति, ५. प्रमाणपत्र समिति और ६. पोत सुधार समिति।

अिनके अलावा केन्द्रीय दफ्तर में १ कताअी मंडल विभाग, २ शिविर विभाग, ३ प्रमाणपत्र विभाग, ४ प्रयोग विभाग तथा ५ कपास विभाग ये कार्य विभाग भी बनाये गये। अिन अुपसमितियों तथा विभागों के काम के बारे में अहवाल में जानकारी दी ही गयी है। बजट समिति के अलावा अुन अुन समितियों के सदस्यों के नाम भी अुनकी जानकारी के साथ अहवाल में दिये हैं। आजकी बजट समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं—१ श्री. धीरेन्द्र मजूमदार, २ श्री अ. वा. सहस्रबुद्धे, ३ श्री. र. श्री. धोत्रे, ४ श्री. कृष्णदास गांधी. ५ श्री. द्वा. वि. लेले।

प्रान्तीय अेजन्ट (प्रतिनिधि)—महाराष्ट्र तथा पंजाब में क्रमशः श्री. रघुनाथ श्रीधर धोत्रे तथा श्री. गोपीचंद भार्गव ये दो प्रान्तीय अेजन्ट रह गये थे। बाकी प्रान्तों में अेजन्ट पहले ही बंद हो गये थे। अिस लिये अेजन्ट की पद्धति रखने न रखने के सम्बन्ध में अप्रैल १९५१ की हैदराबाद की सभा में विचार होकर प्रान्तीय अेजन्ट पद्धति बंद करना तय हुआ। अुसके अनुसार अब प्रान्तों में कोअी अेजन्ट नहीं है।

अध्यक्ष—अहवाल काल में मार्च १९५१ में अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र मजूमदार का तीन साल का कार्यकाल समाप्त हुआ। जनवरी १९५१ की सभा में अुनको फिर से तीन साल के लिये चरखा संघ का अध्यक्ष चुना गया।

मंत्री तथा सहायक मंत्री—संघ के मंत्री श्री कृष्णदास गांधी की तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर जून १९५० की बारडोली की सभा में अुनको फिर से मंत्री चुना गया। बाद में जनवरी १९५१ में अुन्होंने तिरुपुर में रह कर प्रयोग के काम में तथा दाक्षिण की शाखाओं के काम में परिवर्तन लाने की दृष्टि से विशेष रूप से कार्य करने का विचार किया और कअी महीने अपना मुकाम दक्षिण में ही रखा। अिस कारण प्रधान कार्यालय के हिसाब-विभाग का काम श्री द्वारकानाथजी लेले के सुपुर्द किया गया। बाद में सितम्बर १९५१ में श्री द्वारकानाथजी लेले सहायक मंत्री नियुक्त हुये। अुसी वक्त प्रधान मंत्री का कार्यकाल छः साल से अधिक न हो अैसा प्रस्ताव हुआ। लेकिन शाखा-मंत्री के लिये पांच साल की अवधि रखी है वही

संघ के विद्यमान मंत्री के लिये लागू रहे, अिस मान्यता के अनुसार श्री कृष्णदास गांधी का मंत्रीपद का पांच साल का कार्यकाल समाप्त होते आया था अिसलिये अुनकी जगह श्री अनंत वासुदेव सहस्त्रबुद्धे को प्रधान मंत्री चुना गया।

प्रबन्ध सहायक—प्रान्तों में प्रधान मंत्री का प्रतिनिधित्व कर सके अिस दृष्टि से नीचे लिखे अनुसार प्रबन्ध सहायक की योजना अहवाल काल में की गयी।

संघ के मौजूदा काम का स्वरूप देखते हुअे प्रधान कार्यालय के कार्यकर्ता के तौर पर कुछ अैसी नियुक्तियाँ की जानी जरूरी मालूम पडती हैं कि जो जब जहाँ जरूरत पडे अुस क्षेत्र में और प्रधान मंत्री जरूरत समझे अुन कामों में प्रधान मंत्री का प्रतिनिधित्व कर सके। काम की सुविधानुसार ये प्रबन्ध सहायक कुछ मुकर्रर क्षेत्र में ही सामान्यतः प्रधान मंत्री की सहायता करते रहेंगे। लेकिन नीति के तौर पर अुनके लिये कोअी मुकर्रर क्षेत्र नहीं रहेगा, बल्कि जहाँ कहीं जरूरत पडे वहां जा कर मंत्री की सहायता करना अुनका काम रहेगा। यह जरूरी नहीं है कि प्रबन्ध सहायक अपना निवास केन्द्रीय दफ्तर के स्थान में ही रखें। मोटे तौर पर जिस क्षेत्र में काम करना पडेगा अुसी क्षेत्र के किसी खादी विद्यालय में या किसी सघन क्षेत्र में या संघ के किसी खास खादीकेन्द्र में अुनका निवास रहना लाभदायी होगा। जहाँ तक हो सके प्रबंध सहायक पर संचालन व रुटीन का बोझ न रहे, मगर मंत्री व संचालकगणों को मार्गदर्शन व सहारा देने का रहे।

अिस प्रस्ताव के अनुसार श्री. आर. श्रीनिवासन् को अहवाल-काल में प्रबन्ध-सहायक नियुक्त किया गया और अुन्हें केरल, तामिलनाडु तथा आन्ध्र के नये विभागों का संगठन और प्रचार का काम सौंपा गया। शुरू में अिस पद का नाम मंत्री-सहायक रखा गया था, लेकिन सहायक-मंत्री और मंत्री-सहायक का भेद समझने में मुश्किल होने से बाद में मंत्री-सहायक के बदले प्रबन्ध-सहायक नाम रखा गया।

शाखा के विभाग—प्रान्तीय शाखाओं की जगह अपने नये काम की दृष्टि से छोटे छोटे विभाग बनाने की नीति संघ ने अहवाल काल में अख्तियार की। विभाग बनाने के पीछे चरखा संघ की दृष्टि अिस प्रकार रही:—

चरखा संघ का नया काम (वस्त्र-स्वावलंबन) करने की दृष्टि से जब विचार करते हैं तब यह महसूस होता है कि आज की प्रान्तीय-शाखा-व्यवस्था कार्यक्षम नहीं रह सकेगी। कारण सारे क्षेत्र में वस्त्र-स्वावलंबन तथा क्षेत्र-स्वावलंबन की दिशा में कार्य करने के लिये क्षेत्र के करीब करीब समूचे गाँवों से सम्बन्ध रखना होगा, वहां की परिस्थिति का अभ्यास करना होगा, जन-सम्पर्क बढाना होगा। यह सारा काम

प्रान्तीय दफ्तर की ओर से जमाना कुछ कठिन-सा होगा। प्रान्त में विभिन्न परिस्थिति के अलग अलग क्षेत्र रहना स्वाभाविक है अिस दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों के कार्यक्रम में भी कुछ भेद रहना स्वाभाविक हो जाता है, अिस विचार से प्रान्तीय शाखा की मार्फत काम चलाने के बदले विभिन्न विभागों की योजना बनाअी गअी है। यह योजना परिशिष्ट ६ में दी गअी है।

अिस नीति के अनुसार जैसे-जैसे संभव हुआ वैसे-वैसे शाखाओं को विभागों में बांटा गया। अब तक जिन जिन शाखाओं के विभाग बनाये गये अुनकी सूची और मुख्य केंद्र नीचे लिखे अनुसार है:–

१ आन्ध्र शाखा : कृष्णा विभाग, मछलीपट्नम्। गोदावरी विभाग, काकिनाडा, नेल्लोर विभाग, नेल्लोर। तेनाली विभाग, तेनाली। श्रीकाकुलम् विभाग, श्रीकाकुलम्।

२ कर्नाटक शाखा : हुबली विभाग, हुबली। कल्हाल विभाग, कल्हाल। गुर्लेहोसुर विभाग, गुर्लेहोसुर। कलादगी विभाग, कलादगी। दक्षिण कर्नाटक विभाग, चिकमगलूर।

२ केरल : पालघाट विभाग, पालघाट। कोझीकोड विभाग, एरानीपालम्। नागरकोअिल विभाग, नागरकोअिल।

४ तामिलनाड : तंजावूर विभाग, कुंबकोणम्। तिरुनेलवेल्ली विभाग, कोविलपट्टी। तिरुपुर विभाग, तिरुपुर। मदुरा-रामनाड विभाग, मदुरै। मदरास विभाग, मदरास।

५ महाराष्ट्र : बम्बअी विभाग, बम्बअी। पूना विभाग, पूना। नाग-विदर्भ विभाग, मूल।

अिनके अलावा काश्मीर तथा गुजरात शाखाअें अब शाखाअें नहीं रहीं, अुनको विभाग नाम दिया गया। गुजरात में अभी क्षेत्र के आधार पर विभाग नहीं बनाये जा सके हैं। लेकिन वहां कताअी मंडल, सरंजाम, प्रमाणपत्र और खादी-बिक्री के लिये चार कार्यविभाग किये गये हैं। संघ का ख्याल यह है कि वहां भी अैसे कार्यविभाग के बदले में अन्य शाखाओं की तरह क्षेत्र के आधार पर ही विभाग करना अच्छा होगा।

यह अनुभव आ रहा है कि विभाग कर देने के कारण पहले जो केन्द्रित अनुशासन और आर्थिक लेनदेन की कार्यक्षमता रहती थी वह कहीं कहीं घटी है। लेकिन दूसरी ओर अधिक कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी बांटी जाने से अुनकी शक्ति क्रमशः बढाने का और अपनी सूझ के अनुसार काम करने का अुन्हें मौका मिला है।

अिस चीज की जरूरत अब संघ जिस तरह का काम करना चाहता है अुसमें बहुत ही थी और विभागों की योजना के कारण अुस ओर प्रगति दीख पडी है।

संघ का प्रतिनिधित्व—सरकारी समितियों तथा अन्य रचनात्मक संस्थाओं की ओर से संघ के प्रतिनिधित्व की मांग आती रहती है। अहवाल काल में अलग अलग संस्थाओं पर संघ के जो प्रतिनिधि नियुक्त किये गये या चालू रहे अुनकी सूची नीचे लिखे अनुसार है:—

	प्रतिनिधि
१ कॉटन इंडस्ट्रीज बोर्ड, भारत सरकार—	श्री. विठ्ठलराव दट्ठा
२ इंडियन स्टैंडर्ड इन्स्टिट्यूशन, भारत सरकार—	श्री. द्वारकानाथ लेले
३ रचनात्मक समिति, अ. भा. कॉंग्रेस कमेटी—	श्री. श्रीकृष्णदास जाजू
४ संयुक्त प्रदर्शन समिति—	संघ के मंत्री (अभी श्री. अण्णासाहब सहस्रबुद्धे)
५ अ. भा. सर्व सेवा संघ—	श्री. धीरेन्द्र मजूमदार
६ मगन संग्रहालय, वर्धा—	श्री. कृष्णदास गांधी

राष्ट्रीय झंडा

राष्ट्रीय झंडा १९२१ से खादी का ही बनता रहा और चरखा संघ द्वारा अुसे बनाने व बेचने का काम होता रहा। आजादी के बाद राष्ट्रीय झंडा केवल जनता तक न रह कर वह सरकार के अधिकार क्षेत्र में चला गया। सरकार ने राष्ट्रीय झंडे का स्टैंडर्ड निश्चित करने के लिये अेक कमिटी मुकर्रर की, जिसमें चरखा संघ के प्रतिनिधि का भी समावेश किया गया। संघ ने श्री द्वारकानाथ लेले को प्रतिनिधि मुकर्रर किया। राष्ट्रीय झंडा खादी का ही हो अिसके लिये चरखा संघ ने विशेष प्रयत्न किये और अुसे बनाने तथा वितरण करने की जिम्मेवारी भी स्वयम् उठाने का भार स्वीकार किया। कमिटी ने राष्ट्रीय झंडे की खादी की बनावट का तथा रंग और आकार आदि का स्टैंडर्ड निश्चित किया है और अुस संबंध में अेक पुस्तिका प्रकाशित की है। झंडे के स्टैंडर्ड की सूती खादी बनाने का प्रबंध चरखा संघ ने अपने केन्द्रों में किया है और अुसके रंगाने-छपाने की व्यवस्था भी बम्बअी में की गअी है। सिर्फ सिलाअी का काम सरकार अपने लिये खुद कर लेगी। राष्ट्रीय झंडे जिस किसी को बिक्री के लिये या अपने अुपयोग के लिये चाहिये, अुनको वे "अ. भा. चरखा संघ, बम्बअी विभाग, ३९४ कालबादेवी रोड, बम्बअी नं. २" से मिल सकेंगे।

झंडे की अूनी तथा रेशमी खादी के स्टैंडर्ड अभी तक निश्चित नहीं हुअे हैं। वे तय होने पर अुस लायक कपडा बनाने की दृष्टि से संघ ने बीकानेर में अेक अूनी केन्द्र चालू किया है।

प्रकाशन

१९४९ के अगस्त में चरखा संघ ने अपने मुखपत्र "खादी जगत्" का प्रकाशन बंद किया और सभी रचनात्मक संघों का मुखपत्र अेक हो अिस विचार से सर्व सेवा संघ ने "सर्वोदय" का प्रकाशन तब से शुरू किया। खादी की और सर्वोदय की मूल विचारधारा अेक ही है। अतः विचार-प्रचार के लिये सर्वोदय मासिक चरखा संघ के व खादी-प्रेमियों के लिये विशेष अुपयुक्त होने से खादी जगत् बंद करने में चरखा संघ को आपत्ति नहीं मालूम हुअी। मगर कताअी मंडलों के व्यापक कार्यक्रम में अुनके आपसी व चरखा संघ के साथ के सम्पर्क के लिये छोटे से पत्रक की जरूरत दीखी। अिसकी पूर्ति के लिये कताअी मंडल पत्रिका जनवरी १९५१ से शुरू की गयी। ½ डेमी के ८ पृष्ठों की यह पत्रिका नियमित रूप से पाक्षिक के तौर पर चरखा संघ के कताअी मंडल विभाग कि ओर से प्रकाशित की जाती है। अुसका वार्षिक चन्दा १ रुपया है। ग्राहक संख्या और मुफ्त वितरण मिला कर मासिक १८५० तक अंक अहवाल-काल के अंत में प्रकाशित होते रहे। हाथ-कागज व ८ पृष्ठ होने से पत्रिका का वार्षिक खर्च करीब रुपया २-८-० प्रति अंक आता है। मगर प्रचारार्थ चरखा संघ घाटे में ही पत्रिका निकाल रहा है।

विवरण-काल में पुस्तक-बिक्री घटती गयी। प्रथम वर्ष रुपये ११,६९५ की और दूसरे वर्ष रुपये ८,८६१ की बिक्री हुअी। प्रधान कार्यालय के प्रकाशन विभाग की ओर से विवरण-काल में पुरानी और नयी किताबें मिलाकर १४ किताबें प्रकाशित की गयीं। संघ के प्रकाशन विभाग से मिल सकनेवाली किताबों की सूची अंत में दी गयी है।

प्रकाशन का कुछ कार्य प्रान्तीय भाषाओं में, खास कर दक्षिण भारत की भाषाओं में, करना विशेष आवश्यक था। अुसके अनुसार तामिल में "खदर मल्र्" और मलयालम् में "खादी जगत्" का प्रकाशन संघ की वहाँ की शाखाओं की ओर से चलाया गया। अिन दोनों भाषाओं में कुछ पुस्तक-प्रकाशन भी होता रहा।

विवरण-काल के अन्त में "खादी-वर्ल्ड" नामक अेक अंग्रेजी मासिक भी चरखा संघ की ओर से तामिलनाड शाखा के माजी मंत्री श्री० रामस्वामी के सम्पादन में तिरुपुर से प्रकाशित करना शुरू किया गया। अुसका वार्षिक चन्दा तीन रुपया है।

ग्राम सेवक

सन १९४४ में गांधीजी ने चरखे की अपनी मीमांसा अधिक स्पष्ट करने की कोशिश की, खादीकाम में आमूलाग्र परिवर्तन करने का सुझाव रखा और चरखा संघ

को गाँव गाँव में बंट जाने की अेवं विसर्जित हो जाने की सलाह दी। खादी को उमदा में अहिंसक-जीवन सिद्ध करना है और अुसके लिये हिंसक मूल्यों से छुटकारा पाते हुअे समाज के गुजारे के तरीके बनाना है, अन्न-वस्त्र जैसी गुजारे की मूल आवश्यकता से अिसका आरंभ भी होता है और नींव भी बनती है, अिसलिये स्वावलंबन और स्वयंपूर्णता पर आधारित खादीकाम की दृष्टि से और जिनके लिये वह काम करना है अैसे देहातों की दृष्टि से चरखा संघ का कार्यक्रम होना चाहिये अिस बात पर उन्होंने जोर दिया। अुसमें से समग्र ग्राम सेवक की कल्पना निकली और चरखा संघ ने अेक नअी योजना बनायी। चरखा संघ ने देखा कि पुराने सब कार्यकर्ता यह नया काम नहीं कर सकेंगे। अिसलिये अेक ओर से पुराने काम में धीरे धीरे परिवर्तन लाने और दूसरी ओर से नये सेवक ले कर काम करने का संघ ने विचार किया। जो सेवक अिस नयी दृष्टि से खादी-काम करना चाहें, गाँव में बैठना चाहें अुन्हें ५ वर्ष तक अुनके गुजारे के लिये निर्वाह-व्यय देते हुअे अपनी सूझ-बूझ से पूर्ण स्वतंत्रता से काम करने का मौका देने की यह योजना थी। मगर यह अेक नया विचार था, और अुसमें कूदने के लिये काफी साहस, त्याग व ज्ञान की जरूरत थी। अिसलिये बहुत ज्यादह कार्यकर्ता अिसमें नहीं गये। शुरू में १८ कार्यकर्ता अिस योजनानुसार गाँवों में काम करने लगे जिनमें से कुछ ने बाद में यह काम छोड दिया और कुछ ने यह योजना ही छोड दी।

बाद में अहिंसक समाज रचना के सर्वतोमुखी कार्यक्रम के लिये जब सर्व सेवा संघ बना तब ग्राम सेवक की योजना अुसी के आधीन व मार्गदर्शन में चलायी जाना अुचित मालूम पडा। विवरण-काल में अपना ग्राम-सेवक-विभाग चरखा संघ ने सर्व सेवा संघ के सुपुर्द कर दिया व जो सेवक थे अुनके खर्च की अुतनी रकम भी सर्व सेवा संघ को दी जो अुन सेवकों की ५ साल की मियाद पूरी होने तक काम आ सके।

सर्व सेवा संघ से संबंध

रचनात्मक कार्यक्रम के अलग अलग कामों के लिये चलनेवाली संस्थाअें संमिलित करने की कल्पना में से १९४८ में सर्व सेवा संघ की स्थापना हुअी। चरखा संघ सर्व सेवा संघ में विलीन हो जाय या जुडी हुअी मगर स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करता रहे यह सवाल विवरण काल में बार बार अुठता रहा। अुसका निर्णय करना आसान नहीं था। अेक ओर से देखा जाय तो चरखा संघ का अुद्देश्य भी अहिंसक समाज रचना की स्थापना का है। अिसी अुद्देश्य से मगर अुसके लिये जरूरी सारे रचनात्मक कार्यक्रम चलाने की दृष्टि से सर्व सेवा संघ की स्थापना हुअी है। तब

अुसी में चरखा संघ का विलीन हो जाना सयुक्तिक व सुसंगत लगता है। फिर भी कुछ कारण अैसे हैं जिनसे चरखा संघ ने निर्णय किया कि सर्व सेवा संघ में विलीन होने के बदले में सर्व सेवा संघ से जुडे हुअे रह कर अपने जिम्मे के विशेष काम को ही प्राधान्य दे। कारण ये हैं :

(१) चरखा संघ के लिये जनता से जो चंदा मांगा गया है वह खादी कार्य के लिये ही मांगा गया है और अुसे अुसी काम में लगाया जा सकता है। सर्व–सेवा–संघ के क्षेत्र में आनेवाले दूसरे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। इसलिअे विलीनीकरण का पूर्ण अुद्देश्य नहीं सध सकता है।

(२) सारे रचनात्मक कामों में खादी का काम सब से ज्यादा कठिन है। चरखे के सामने आज मिलें खडी हैं। अिसलिये खादीकाम को अेकमात्र और प्रधान लक्ष्य बना कर अुसमें अधिक से अधिक शक्ति लगानेवाली स्वतंत्र संस्था की जरूरत है। समग्र प्रवृत्तियों में मिला देने से खादीकाम की ओर दुर्लक्ष्य होना संभव है।

(३) सर्व सेवा संघ की रचना और संगठना अैसी है जिसमें अैसे व्यक्तियों का भी अंतर्भाव हो सकता है जो खादी पर वैसा विश्वास न रखते हों, जो कि चरखा संघ रखता है।

(४) अभी सर्व सेवा संघ के मुख्य सदस्यों में अनेक दृष्टिकोण पाये जाते हैं, जो तीव्र मतभेद का स्वरूप भी कभी-कभी ले लेते हैं। यह मतभेद खादीकार्य के संचालन में विघ्नरूप हो सकते हैं।

(५) सर्व सेवा संघ गांधीजी की समग्र रचनात्मक प्रवृत्ति चलाने के हेतु से बना है। यह रचनात्मक प्रवृत्ति अपने जीवन में अुनका अमल किये बिना नहीं पनप सकती है। चरखा संघ पचीस साल की पुरानी संस्था है। अुसके सारे कार्यकर्ता अेकाअेक समग्र दृष्टि का अमल कर सकेंगे अैसी हालत अभी नहीं है। वह अमल किये बिना विलीन होने से सर्व सेवा संघ की शक्ति नहीं बढेगी, बल्कि कमजोरी ही बढने की अधिक संभावना है।

चरखा संघ की राय में ये बातें अितने गंभीर स्वरूप की हैं कि संघ के ट्रस्टी सर्व सेवा संघ के प्रति पूरी आत्मीयता रखते हुअे अुसमें विलीनीकरण के लिये संमत नहीं हो सके हैं।

चरखा संघ जो काम कर रहा है वह कुछ सीमित मर्यादाओं में करते आया है। लेकिन अुसीसे वह अेक विशेष प्रकार से पनप सका है और अितने अधिक विपरीत वायुमंडल में खादी को निभाते रहा है। समग्रता के विचार से अुसका विरोध नहीं है। पर अपने काम में समग्रता के अमल की शक्ति अभी चरखा संघ

के पास नहीं है। सर्व सेवा संघ अेक अैसी संस्था बननी चाहिये, जिसमें यह अमल सर्वस्पर्शी व अधिक से अधिक हो। अुस अमल की पूर्व तैयारी के बिना किया हुआ विलीनीकरण खादी और समग्र सेवा दोनों कामों के लिये हानिकर होगा; क्यों कि समग्रता के नाम से खादी पर की केन्द्रित दृष्टि भी विचलित होकर अपने जिम्मे आया हुआ काम भी शिथिल या विसंघटित होगा और प्रत्यक्ष अमल के अभाव की त्रुटि रहेगी। तब तक समग्रता का विचार भी अपनी जड़ें नहीं जमा सकेगा। अिसलिये चरखा संघ ने यही अुचित माना है कि अपने मुख्य काम के साथ अन्न वस्त्र के लिये मिलों से बनी वस्तुओं का त्याग, व्यसन-मुक्ति, अुत्पादक परिश्रम करने का आग्रह, देहाती जीवन के हर पहलू का अभ्यास, खेती और आरोग्य के लिये आवश्यक सफाअी व खाद बनाना आदि कार्यक्रमों को जोडा जाय। विवरण काल में संघ अिस बारे में विशेष कोशिश करता रहा है और अब भी वह अिस ओर क्रियाशील है। सर्व सेवा संघ के काम में साथ देने का और पोषक बनने का यही तरीका चरखा संघ ने अुचित माना है।

समग्रता के नाम पर खादी के बारे में दुर्लक्ष्य होगा अिस विचार के बारे में भी यहां थोडा स्पष्टीकरण देना जरूरी है। अिसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि देश के अुत्थान के लिये और नवसमाज-निर्मिति के लिये अनेक कार्य देश में करने की जरूरत है। लेकिन विभिन्न कामों के विभिन्न पहलू और समस्यायें रहती हैं। आज दूसरे कामों के लिये वह कठिनाअी, वह अुदासीनता, वह विरोध देश में खडा नहीं है जो खादी के बारे में है। कपडे की मिलों के कारण खादी का काम अेक अति विकट समस्या का रूप ले रहा है। अुसके लिये बहुत ज्यादा व विशेष प्रकार से शक्ति लगाने की जरूरत है। आसान कामों की ओर झुकना यह मनुष्य स्वभाव है। समग्रता के नाम पर आसान कार्यक्रमों में बह जाने और खादी के बारे में अुदासीनता या निष्क्रिय वृत्ति आ जाने का खतरा भी विलीनीकरण में चरखा संघ महसूस करता है। अिसके अलावा अितनी बडी बडी समस्याओं के लिये अेक संघ बना कर केन्द्रीकरण करने के बदले स्वतंत्र अिकाअियाँ रख कर याने विकेंद्रित रह कर आपस में वह संबंधित व जुडी हुअी रहें यही कार्यपद्धति ज्यादा लाभदायी होगी, अैसा भी अेक मूलभूत विचार चरखा संघ के सामने है।

अिन सब विचारों से चरखा संघ ने विलीनीकरण के बदले स्वतंत्र संस्था के रूप में मगर सर्व सेवा संघ से जुडे रह कर और अुसकी नीति व मार्गदर्शन ले कर काम करने में ही सर्व सेवा संघ की और देश की ज्यादा सेवा होगी अैसा माना है। चरखा संघ के जो कार्य-विभाग सर्व सेवा संघ में विलीन कर देना लाभदायी मालूम पडता है वैसे विभाग सर्व सेवा संघ के सुपुर्द कर देने का निर्णय चरखा संघ ने किया है और अुस

के अनुसार विवरण काल में समग्र ग्राम सेवक विभाग पूर्ण रूप से अुन्हें सुपुर्द कर दिया गया है। प्रकाशन का त्रिक्री-विभाग भी अब सुपुर्द कर देने की योजना बन गयी है। सर्व सेवा संघ की तैयारी होने पर पूरा प्रकाशन विभाग अुन्हें सुपुर्द कर दिया जायगा। आगे चल कर विद्यालयों का काम भी सर्व सेवा संघ में मिला दिया जा सकता है। पर खादी-अुत्पत्ति, त्रिक्री व केवल खादी संबंधी अनेक व्यावहारिक काम आज की तरह स्वतंत्र रखना अिस कठिन हालत में चरखा संघ को बहुत जरूरी लगता है, जब कि मिलों की संस्कृति खादी को मारने के लिये कटिबद्ध है।

सर्व सेवा संघ के नियमानुसार चरखा संघ में जो सालाना वेतन दिया जाता है अुस पर ५% के हिसाब से करीब ३० से ३२ हजार रुपये सालाना चन्दा विवरण काल में चरखा संघ सर्व सेवा संघ को अदा करता रहा है।

गांधी स्मारक निधि

अिस निधि का विनियोग गांधीजी के सुझाये विविध रचनात्मक कामों के लिये करने का और कुल निधि का कितना हिस्सा अुन अुन मदों में खर्च किया जाय अुसका निर्णय गांधी स्मारक निधि के ट्रस्टी मंडल ने कर लिया है। खादी के लिये रुपये में आधा आना याने कुल निधि का ३२ वां हिस्सा अंकित रखने का तय किया गया है। अिस अंकित रकम के विनियोग के बारे में निधि की ओर से पूछा जाने पर चरखा संघ ने अपने ट्रस्टी मंडल में विचार कर के निधि को यह सुझाव भेज दिया है कि केवल वस्त्रस्वावलंबन के काम में, और वह भी आज की हालत को देखते हुए वस्त्रस्वावलंबियों के सूत की बुनाअी में सुविधा हो अैसे संगठन के काम में, खर्च किया जाय। अिस संबंधी एक तफसीलवार योजना बना कर वह चरखा संघ की ओर से निधि को भेज दी गयी है।

मद्रास सरकार और चरखा संघ

चरखा संघ ने अपने पिछले कअी अहवालों में मद्रास सरकार की खादी योजना के बारे में जानकारी दी है। अुसका फिर से यहाँ कुछ अुल्लेख करना होगा, क्यों कि अिस अहवाल के कार्यकाल में मद्रास सरकार की अुस योजना से चरखा संघ का संबंध छूटा और वह भी कुछ कटुता पैदा कर के।

भारत की आजादी के प्रसंग में जब १९४६ में कॉंग्रेसी मंत्रिमंडल बने तब मद्रास राज्य में श्री. टी. प्रकाशम् मुख्य मंत्री थे। अुनका खादीकाम से परिचय था। पुराने जमाने में कुछ समय तक वे चरखा संघ की आंध्र शाखा के मंत्री भी रह चुके थे। अुन्होंने खुद हो कर मद्रास सूबे के २७ फिर्कों में १८ महीनों में खादी

द्वारा पूर्ण वस्त्रस्वावलंबन करने की योजना बनायी। २७ फिरकों की जनसंख्या करीब १० लाख थी। अितनी बडी योजना कामयाब होने की चरखा संघ को आशा नहीं थी; और एकबार बडी योजना ले कर असफल होने की दशा में खादी के कार्यक्रम को हानि पहुँचती। अिस दशा में चरखा संघ ने अुनको कुछ छोटी योजना सुधार कर बनाने को लिखा। अुन्होंने अिस काम के अपने मुख्य अधिकारी को चरखा संघ के दफ्तर में और गांधीजी के पास भी भेजा। अिस सलाह मशविरे के फलस्वरूप सात फिरकों की वस्त्रस्वावलंबन की योजना बनायी गयी और मद्रास सरकार ने घोषणा की कि अिसके बाद मद्रास राज्य में कपडे की नयी मिलें नहीं खडी करने दी जायेंगी और पुरानी मिलों का विस्तार नहीं हो सकेगा। खादी के लिये अितना अनुकूल वातावरण हो जाने पर सात फिरको की वस्त्रस्वावलंबन की योजना सफल होने की पूर्ण आशा बंधी और अुसके बारे में अधिक शर्तें डालना जरूरी न देख कर चरखा संघ ने योजना सफल बनाने में पूरा सहयोग देना स्वीकार किया। चरखा संघ ने अपने खादी अुत्पत्ति के छः बडे केंद्र मद्रास सरकार को अपने कार्यकर्ताओं सहित सुपुर्द कर दिये। प्रांत की तीनों शाखाओं के मंत्री अिस काम के लिये "आनररी रीजनल आफिसर्स" मुकर्रर किये गये। ज्यादा अुत्पत्ति के अुत्तम केंद्र सरकार को सौंपने का अुद्देश्य यह था कि वहां कताअी बडे पैमाने पर चलती ही थी, लोगों को अुसका खुद अुपयोग करने की प्रेरणा देने से बहुत कुछ काम आसान हो जाता। आसपास में विशेष तादाद में कताअी चलते रहने के कारण जिन घरों में कताअी नहीं चलती थी वहाँ भी अुसे दाखिल करना आसान होता।

अूपर लिखी मद्रास सरकार की मिल संबंधी नीति का घोर विरोध हुआ। योजना शुरू होने के थोडे ही समय के बाद मंत्रि-मंडल बदला और श्री. ओ. पी. रामस्वामी रेड्डियार नये मुख्य मंत्री बने। अुनकी सरकारने श्री. प्रकाशम् की मिल संबंधी नीति को पलट दिया। पर सात फिरकों की वस्त्र-स्वावलंबन की योजना कायम रखी। अुस दशा में भी चरखा संघ का सहयोग पूर्ववत चालू रहा। १९४७ के जुलाअी महीने में चरखा संघ ने मुख्य मंत्रीजी के सामने यह बात पेश की कि अगर बदली हुअी परिस्थिति में यह वस्त्र-स्वावलंबन की योजना सफल करना हो तो दो बातें करना अत्यंत आवश्यक है :—

(१) अप्रमाणित व्यापारी अुन क्षेत्रों से सूत खरीद कर बाहर ले जाते हैं जिससे स्थानिक अिस्तेमाल के लिये सूत बच नहीं पाता। अुन व्यापारियों पर रोक लगानी चाहिये।

(२) अुन क्षेत्रों में मिल का कपडा नहीं पहुँचने देना चाहिये।

अगर ये शर्तें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं तो योजना सफल होने की आशा नहीं रखनी चाहिये और अुसे बंद करने का विचार करना चाहिये। प्रधान मंत्रीजी ने योजना चालू रखना तय किया और दोनों शर्ते अमल में लाने का आश्वासन दिया। अुसके बाद अप्रमाणित व्यापारियों पर रोक लगाने का कानून बना, पर अुसका अमल करने में बारह महीने से अधिक देरी यह कह कर हुअी कि पुराने चलते अप्रमाणित व्यापार का माल खपाने को अुन व्यापारियों को समय मिलना चाहिये, हालां कि माल खपाने पर तो कोअी रोक थी ही नहीं। प्रश्न तो अुन क्षेत्रों में नया सूत खरीदने पर रोक लगाने का ही था। दूसरी शर्त याने मिल का कपडा अुन क्षेत्रों में न आने देने के बारे में अमल होने के कोअी चिन्ह नहीं दीखे। दरमियान में श्री. रामस्वामी रेड्डियार की जगह श्री. कुमारस्वामी राजा प्रधान मंत्री बने, अर्थात् नया मंत्रिमंडल बना। चरखा संघ ने फिर से अुनके सामने वही बात रखी। बहुत देर के बाद अुस मंत्रिमंडल ने तय किया कि वह शर्त किसी रूप में पूरी नहीं की जा सकती। तब मूल योजना सफल होने की आशा न देख कर चरखा संघ अुस से हट गया और सरकार को कहा कि जब वस्त्र स्वावलंबन की योजना नहीं रह जाती है तो वस्त्र-स्वावलंबन योजना के लिये दिये गये केंद्र चरखा संघ को वापिस दे दिये जायँ। कानून और न्यायनीति से केंद्र वापस करना अुनका कर्तव्य होते हुअे भी अुन्होंने वैसा करने से अिन्कार कर दिया और अब वे केंद्र व्यापारिक खादी अुत्पत्ति के तौर पर सरकार ही चला रही है।

चरखा संघ ने अुस योजना से अपना संबंध तोडा तब वह काम मद्रास सरकार के मंत्री श्री. परमेश्वरन् के सुपुर्द था। अैसा दिखाअी पडा कि अुन्हें खादी-काम का ज्ञान कम था। जब धारा सभा में अुनसे अिस योजना के बारे में अनेक प्रश्न किये गये तब अुन्होंने अेक विधान यह किया कि खुद चरखा संघ ही मिल का कपडा अुन क्षेत्रों में न आवे अिस पर दृढ नहीं था। अुनका यह बयान बिलकुल गलत था। चरखा संघ ने मद्रास सरकार से जो संबंध छोडा वह अेक प्रकार से प्रेम के साथ ही छोडा था। अुसने अपना कोअी बयान शाया नहीं किया, न अुसकी अिच्छा अिस विषय में जाहिर में बोलने की थी। पर जब मंत्री महोदय चरखा संघ के खिलाफ बोले तब चरखा संघ को हरिजन पत्रों में अेक लेख प्रकाशित कर के अपनी स्थिति साफ करनी पडी। अुस लेख में मद्रास सरकार के लिखितों का ही अुपयोग किया गया था। वास्तव में मंत्री महोदय को अपना गलत बयान दुरुस्त कर लेना चाहिये था। पर सरकार की ओर से अुसके जवाब में अेक प्रेसनोट प्रकाशित किया गया जिसमें मुख्य प्रश्न का तो कोअी अुत्तर नहीं था पर चरखा संघ का योजना चलाने में जो सहयोग था अुसमें कअी त्रुटियाँ बतायी गयीं और चरखा संघ को दोष

दिया गया। अुसका भी अुत्तर चरखा संघ ने सरकारी लिखितों के अुद्धरण दे कर दिया। जो पाठक वह पढ़ना चाहें उन्हें उसकी नकलें चरखा संघ के दफ्तर से मिल सकेंगी। नकलें अंग्रेजी में हैं। यहाँ अिस विषय का अितना विस्तार करने का अेक कारण यह भी है कि वह सारा अध्याय समाप्त होने पर भी श्री. परमेश्वरन् ने १९५२ के मार्च महीने में भी कुछ पहले जैसी ही बातें कही हैं। अितना लिख देना जरूरी है कि वह योजना चलाने में चरखा संघ ने अपने दूसरे कामों में कठिनाअी सहन कर के भी अपने अनुभवी कार्यकर्ता, जिनका कि वेतन-मान चरखा संघ के सिद्धांत के अनुसार काफी कम है, अुस काम में दिये ताकि वह योजना कम से कम खर्च में चल सके।

अितने पर भी मद्रास सरकार अपनी त्रुटि कबूल करने के बदले चरखा संघ को ही दोष देने पर अुतरी। "King can do no wrong" की तरह शायद सत्ताधारी भी कभी गलती करते ही नहीं!

लाअिसेन्स–अिसके आगे की भी कथा कुछ दिलचस्प है। अुसका अुल्लेख कर देना अुचित होगा, ताकि सरकारों का और चरखा संघ के संबंध का चित्र जनता के सामने रहे। अूपर लिखे अनुसार मद्रास सरकार ने अप्रमाणित व्यापारियों पर रोक लगाने का कानून बनाया था; अुसमें अर्थात् यह बात आयी कि "लाअिसेन्स" लिये बिना खादी का व्यवसाय न किया जाय। लाअिसेन्स देने का अधिकार सरकारी अधिकारियों को दिया गया। चरखा संघ को लाअिसेन्स लेने से मुक्त रखा गया। अुस कानून के अनुसार आंध्र में करीब २०० व्यक्तियों को खादी काम के लिये लाअिसेन्स दिये गये हैं। तामिलनाड में चरखा संघ का अुस योजना से संबंध रहा तब तक किसी को लाअिसेन्स नहीं दिया गया। चरखा संघ का संबंध टूटने के बाद अब वहां भी लाअिसेन्स देना शुरू हुआ है। अिधर भारत सरकार ने अूनी और रेशमी तथा अिनके मिश्रण से बनी खादी का भी खादी की व्याख्या में समावेश करके अुसकी व्याख्या पूर्ण की और बिना प्रमाणपत्र के खादी के नाम पर कोअी व्यापार न कर सके अिसलिये कानून का अेक मसविदा बना कर राज्य सरकारों के पास भेजा है। बिहार राज्य सरकार ने वैसा कुछ कानून बना भी लिया है। अब दूसरी सरकारें कानून बनाने के बारे में सोच रही हैं। अिधर मद्रास सरकार ने जो अूपर लिखा कानून बनाया था अुस पर से खादी के अेक अप्रमाणित व्यापारी ने हाय-कोर्ट में मुकदमा किया। न्यायाधीशों ने निर्णय किया कि अपनी मर्जी पर लाअिसेन्स देने से अिन्कार करने का सरकारी कर्मचारी को अधिकार नहीं है और चरखा संघ को लाअिसेन्स लेने से मुक्त रखने में भेदभाव होता है, अिसलिये वह नियम रद है। खादीप्रेमी अच्छी

तरह जानते हैं की खादी का प्रमागपत्र खादी का प्रत्येक थान जांच कर के दिया नहीं जा सकता। वह तो अुन भरोसे के व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है जिनका निःस्वार्थ भाव का खादी-प्रेम पुराने परिचय से साबित हो चुका है, ताकि वे पूरा ख्याल रख कर शुद्ध खादी ही करवा लेंगे। सरकार के पास वैसा कोअी जरिया नहीं है जिससे वे खादी की शुद्धता सुरक्षित रख सकें। अब कानून के मुताबिक जो कोअी लाअिसेन्स लेना चाहेगा अुसको अिन्कार नहीं किया जा सकता, चाहे लाअिसेन्स के नियम कुछ भी हों। नियमों का ठीक अमल करना सरकारी कर्मचारियों की शक्ति के बाहर है। अिस दशा में खादी की शुद्धता को संरक्षण न मिल कर सरकारी लाअिसेन्स के भरोसे अशुद्ध खादी का व्यापार खुले आम चल सकता है। अिस समस्या का विचार करने के लिये सेवापुरी में ता. १५-४-५२- को प्रमाणित खादी-संस्थाओं के संचालकों की अेक सभा हुअी थी। अुसमें नीचे लिखा प्रस्ताव पास किया गया है, और चरखा संघ भी अुसे पसंद करता है:-

सेवापुरी-प्रस्ताव-भारत सरकार ने खादी की व्याख्या दुरुस्त करने का कानून सन १९५० में बना कर खादी के नाम पर किया जानेवाला व्यापार नियंत्रित करने की दृष्टि से हरेक राज्य सरकार को अुसकी ओर से पास करने के लिये अेक कानून का मसविदा भेजा है। अुसके अनुसार राज्य सरकारें अपने अधिकारियों द्वारा खादी-व्यापारियों को कुछ शर्तों पर लाअिसेन्स दे सकेंगी।

सन १९४६ में कॉंग्रेसी राज्यसत्ता स्थापित होनेपर सरकारें खादी के बारे में क्या करें अिसके संबंध की सूचनाअें चरखा संघ के ट्रस्टी मंडल ने गांधीजी की अध्यक्षता में प्रस्ताव पास कर के राज्य सरकारों को भेजी थीं। अुनमें यह भी अेक सूचना थी कि बिना चरखा संघ के प्रमाणपत्र के खादी के नाम पर कपडे का व्यापार न चलने दिया जाय। अुस समय राज्य सरकारों ने अिस विषय में कुछ भी नहीं किया। अब १९५२ में भारत सरकार की सूचना परसे अूपर लिखे अनुसार कानून बनाने का कहीं कहीं राज्य सरकारें विचार कर रही हैं। मद्रास सरकार ने करीब ३ वर्षों से लाअिसेन्स देने का कानून बना रखा है; और उस पर अमल भी हो रहा है। अुस कानून की अेक धारा यह है कि किसी को लाअिसेन्स देना या न देना सरकारी कर्मचारी की मर्जी पर अवलंबित है तथा चरखा संघ को लाअिसेन्स लेने की जरूरत नहीं है। मद्रास हायकोर्ट में मुकदमा हो कर न्यायाधीशों ने अिन धाराओं को भारत के संविधान के खिलाफ समझ कर रद्द माना है। अिस मुकद्दमे में खादी संबंधी सारे पहलू न्यायाधीशों के सामने थे अैसा नहीं दीखता। चरखा संघ को भी अुसमें शामिल नहीं किया गया था।

खादी प्रेमियों की राय है कि खादी के बारे में नीचे लिखी बातें होना आवश्यक है:—

१) हाथ-कते सूत में मिल-सूत का मिश्रण बिलकुल न हो।

२) खादी बनाने की सब प्रक्रियाओं में चरखा संघ के निर्णय के मुताबिक जीवन-निर्वाह-मजदूरी के सिद्धांत पर जो दर मुकर्रर हुअे हैं अुनसे कम मजदूरी न दी जाय।

३) खादी के व्यवहार में मुनाफाखोरी न हो तथा खादी का व्यवहार केवल परोपकारी सार्वजनिक संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं अथवा ट्रस्टों के ही हाथ में हो ताकि खादी का व्यवहार व्यक्तिगत स्वार्थ से परे रहे।

४) व्यावसायिक खादी का काम चलाने की पद्धति वस्त्रस्वावलंबन के आडे न आवे बल्कि अुसकी समर्थक हो।

अभी जो चरखा संघ के प्रमाणपत्र के नियम बने हैं वे अिन बातों को साधने की दृष्टि से बने हैं।

हमारी राय में अगर सरकार अपने खादी के कानून में लाअिसेन्स की शर्तों में इन बातों को ला सके अर्थात चरखा संघ के प्रमाण-पत्र के नियम अपना सके तो ही राज्य सरकारें खादी संबंधी कानून बनावें। अिसके अलावा खादी की शुद्धता के बारे में सरकार के पास अैसा कोअी जरिया नहीं है कि जिसके द्वारा सरकारें शुद्धता कायम रख सकें। हरेक कपडे के थान की जांच नहीं हो सकती। जिनका खादी पर पूरा विश्वास है और जिनकी अीमानदारी पर भरोसा किया जा सकता है अुनके द्वारा खादी-काम होने पर ही शुद्धता की रक्षा हो सकती है। अैसा साधन चरखा संघ के ही पास है। अिसलिये अुपस्थित सब भाअियों की अेक राय से निर्णय हुआ कि अगर सरकारें लाअिसेन्स का कानून बनावें तो अुसमें यह बात जरूर रहे कि जिसको चरखा संघ का प्रमाणपत्र प्राप्त है अुसी को लाअिसेन्स दिया जाय और जिसका जिस समय तक संघ का प्रमाणपत्र चालू रहता है अुस समय तक ही लाअिसेन्स चालू रहे। अगर अैसा कानून नहीं बन सकता है तो खादी-संरक्षण के लिये लाअिसेन्स देने का कानून बनाया ही न जाय और अगर कहीं बन गया है तो वह रद्द कर दिया जाय या अुसका अमल स्थगित कर दिया जाय।

अिधर मद्रास सरकार ने चरखा संघ को लाअिसेन्स लेने के बारे में पूछा है। अब चरखा संघ के सामने प्रश्न यह है कि जो लाअिसेन्स की पद्धति सरकार द्वारा

चलाओ गयी है अुस में संघ भी शामिल हो या न हो। यह बात तो स्पष्ट है कि अिस पद्धति में खादी की शुद्धता को कोओ संरक्षण नहीं मिलता है। अेक तरह से खादी की शुद्धता का नाश ही होता है। क्या चरखा संघ लाअिसेन्स ले कर अुसमें भी सहयोग दे ?

भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना

भारत सरकार की ओर से यह योजना अब शीघ्र ही अुसके अन्तिम स्वरूप में जाहिर होगी। योजना का पहला मसविदा करीब सालभर पहले प्रकट हुआ था। अुस के बाद अब करीब साल भर बीतने आया है और अिस दरमियान पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खादी योजना तय करने के बारे में समय समय पर विचारणा होती रही है। योजना समिति के कुछ सदस्यों, चरखा संघ के ट्रस्टी मंडल के सदस्यों तथा श्री. विनोबाजी और श्री किशोरलाल मश्रूवाला में अिस बारे में अनौपचारिक रूप से चर्चाअें अिस वर्ष होती रहीं। फलस्वरूप चरखा संघ ने खादी योजना का स्वरूप क्या होना चाहिये और अुसे कार्यान्वित करने के लिये क्या किया जाना चाहिये अुस सम्बन्धी कुछ मोटी बातें सोची हैं। हमें पता नहीं है कि अिस बारे में योजना समिति आखिरी निर्णय क्या करेगी और अुस निर्णय पर सरकार किस तरह से अमल करेगी; फिर भी अगर योजना समिति कोओ खादी योजना बनाये और अुसका अमल किया जाय तो मौजूदा खादी काम पर अुसका बहुत असर पडना संभव है। अिसलिये चरखा संघ की सोची हुअी बातें थोडे में यहाँ देना अुचित होगा।

दरअसल चरखा संघ ने स्वराज्य मिलने की हालत में देश में खादी काम की नीति क्या हो अुस सम्बन्धी कुछ मूलभूत बातें गान्धीजी के मार्गदर्शन में अुसी वक्त तय कर ली थीं, जब कि स्वराज्य बहुत सन्निकट दीख रहा था। खुद गांधीजी के बनाये मसविदे के अनुसार १९४६ के अक्टूबर मास की ९ तारीख की देहली की ट्रस्टी-मंडल की सभा में चरखा संघ ने अेक मूलगामी प्रस्ताव पास किया था, जिसमें अुन बातों को स्पष्ट किया गया था। वह प्रस्ताव देश की सभी सरकारों को भेज दिया गया था। अुस प्रस्ताव का महत्त्व और बुनियादी दृष्टिकोण समझने लायक होने से वह नीचे दिया जा रहा है :

“ १. अखिल भारत चरखा संघ को अपने अनुभव से विश्वास है कि हिन्दुस्तान में तथा दुनिया के अन्य मुल्कों में, जैसे कि मलाया आदि में, अभी जो कपडे की कमी है, वैसी दशा कहीं भी न हो, अैसी स्थिति बनाने का साधन चरखा और हाथ-करघा है। अेक हिंदुस्तान ही अैसा मुल्क है कि जहाँ पुराने जमाने से हाथ-कताओ

और हाथ-बुनाओी से खादी बनती आयी है और आज कपडे की मिलों की बहुतायत में भी अखिल भारत चरखा संघ की मार्फत शुद्ध खादी पैदा हो रही है। चरखा संघ के करीब २० साल के कार्यकाल में लगभग सात करोड रुपया देश की गरीब कत्तिनों और बुनकारों में बांटा गया है।

२. जो सरकारें ग्रामोद्योग की आर्थिक रचना को महत्त्व देकर खादीकाम करना चाहती हैं, अुन्हें नीचे लिखी बातों की व्यवस्था करना निहायत जरूरी है:

(अ) पांच वर्ष की योजना बना कर राज्यभर की सब प्राथमिक तथा मिडिल तक की पाठशालाओं में और नोर्मल स्कूलों में कताओी सिखाओी जाय व अेक महत्त्व की प्रवृत्ति के तौर पर चलायी जाय और हरअेक पाठशाला के साथ हाथ-सूत बुनने का कम से कम अेक करघा जरूर चले। शालाओं में बुनियादी तालीम जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक पैमाने पर शुरू करनी चाहिये।

(आ) बहुधंधी (मल्टीपर्पज) सहकारी समितियाँ स्थापित करके अुनके द्वारा ग्राम-सुधार के अंगभूत खादी-काम करना चाहिये।

(अि) जहाँ अभी कपास की खेती नहीं होती है, वहाँ कपास पैदा होने की व्यवस्था हो तथा अैसा प्रबन्ध हो कि कातनेवालों को रुओी, कपास तथा सरंजाम सुविधा से मिल सके।

(अी) खादी विशारद तैयार करने चाहिये। खादी के बारे में संशोधन का काम करना चाहिये।

(अु) ग्रामोत्थान के काम में कताओी का किसी प्रकार संबंध आवेगा ही, अिसलिये सरकार के सहकारी (कोऑपरेटिव्ह) विभाग, शिक्षा-विभाग, कृषिविभाग तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल बोर्ड, ग्राम पंचायत आदि के सब कर्मचारियों को खादी-प्रवेश परीक्षा पास कर लेनी चाहिये और यह परीक्षा पास किये बिना किसी को अिन विभागों में नये सिरे से नौकरी में नहीं लेना चाहिये।

(अू) अभी मिल के सूत से हाथ-करघे पर बने कपडे के मूल्य पर नियंत्रण नहीं है, वह होना चाहिये।

(अे) अप्रमाणित खादी का व्यापार खादी के नाम पर नहीं करने देना चाहिये।

(अै) सरकारी टेक्सटाअिल विभाग में तथा बुनाओी शालाओं में केवल हाथ-सूत को स्थान रहे। जेलों में हाथ-कताओी व हाथ-सूत की बुनाओी चलनी चाहिये।

३) प्रान्तीय सरकारों तथा देशी रियासतों से प्रार्थना की जाती है कि वे अन्य बातों के साथ अूपर लिखी बातें करके खादी व्यापक बनाने की कोशिश करें। अिस काम को अंजाम देने के लिये चरखा संघ और अुसकी शाखाअें भरसक मदद करने को तैयार हैं।

४) चरखा संघ से मशविरा हो कर सरकार और मिलों द्वारा अैसा प्रबन्ध हो कि जिस प्रदेश में हाथ-कताअी-हाथ-बुनाअी से कपडे की जरूरत पूरी हो सके, वहाँ मिल का कपडा व सूत न भेजा जाय। अिसके अलावा नयी मिलें न बनाअी जायँ तथा पुरानी मिलों में कताअी-बुनाअी के नये सांचे न लाये जाय। मिलों का कारोबार सरकार और चरखा संघ की सलाह के मुताबिक चलाया जाय। देश में किसी प्रकार का परदेशी सूत और कपडा कतअी न आने पावे।

अिस काम में सरकार जरूरी कानून पास करे और अुस पर अमल करे।

मिल-मालिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अिस करोडों के काम में मदद करें और प्रजा का साथ दें।"

लेकिन यह दृष्टिकोण हमारी स्वराज्य-सरकार को मंजूर नहीं हुआ। सरकार यह तो कहती रही कि देश में चरखा चलना चाहिये। लेकिन देश में कपडे की अिफरात होनी चाहिये, लोगों को कपडा मुहैया करने की जिम्मेवारी सरकार टाल नहीं सकती। अिस विचारधारा को लेकर मिलों पर या मिल कपडे पर पाबंदी लगा देने वाली कोअी भी बात करने को सरकार तैयार नहीं हुअी। अितना ही नहीं परदेशी कपडे की आयात भी सरकार ने होने दी। चरखा संघ मानता है कि अिस नीति के अनुसार चरखे का असली लाभ देश को नहीं मिल सकेगा और चरखे का काम देश में ज्यादा फैल भी नहीं सकेगा। अेक ओर से देहातों में चरखे के जरिये मदद पहुंचाना और दूसरी ओर से मिल का सस्ता कपडा देहातों में भेज कर चरखे को मारना और देहात की संपत्ति शहरों में घसीट ले जाना अैसी दोतरफा नीति से देश की शक्ति और संपत्ति का ह्रास होगा। अिसलिये चरखा संघ की पुनः पुनः यही मांग रही कि देश में परदेशी कपडा या सूत बिलकुल नहीं लाना चाहिये और मिलों पर क्रमशः पाबंदियां लगा कर चरखे का काम बढने देने में अधिक से अधिक मदद पहुंचे अैसी नीति सरकार को अख्तियार करनी चाहिये। अिस तरह सरकार की नीति और चरखा संघ की दृष्टि में बुनियादी अंतर अब तक रहते आया है। पंचवर्षीय योजना के बारे में भी अैसा ही कुछ विचारों का अंतर नियोजन-समिति और चरखा संघ के बीच में रहा है। फिर भी सरकार अपनी है अिस ख्याल से चरखा संघ लगातार यह विचार करता रहा

है कि जहां तक हो सके सरकार को खादी काम में चरखा संघ की मदद रहे। अिस दृष्टि से चरखा संघ सोच रहा है कि अेक ओर से मिलों का आधार छोडने की बात लोगों को समझाने के लिये मिल-वस्तु-बहिष्कार का आन्दोलन देश में चलाया जाय और खादी के हक में मिलों पर पाबंदी लगाने के लिये सरकार की शक्ति बढे अैसा अनुकूल वायुमंडल पैदा किया जाय। दूसरी ओर से सरकार जो पंचवर्षीय योजना बना रही है अुसमें खादी के कदम किसी तरह पीछे न पडे अिसकी सावधानी रखते हुअे संघ का अधिक से अधिक सहयोग सरकार को दिया जाय। अिस विचार को लेकर चरखा संघ ने अूपर लिखे देहली के प्रस्ताव की नीति आवश्यक है अैसा मानते हुअे भी शर्त के रूप में अुसका आग्रह फिलहाल न रखना ही ठीक समझा है। और अिस वर्ष अूपर लिखे अनुसार जो विचार विनिमय हुआ अुस पर से पंचवर्षीय योजना समिति के सदस्यों के सामने अपने कुछ नये सुझावों को रखा है जिन्हें चरखा संघ खादी योजना के आरंभ की प्राथमिक आवश्यकता मानता है। ये सुझाव नीचे लिखे अनुसार हैं:—

(१) ग्रामों में जो कच्चा माल अुपलब्ध है अुसका पक्का माल, जिसकी गाँव में जरूरत ह, गाँव में ही बनाया जाय। अिस दृष्टि से गाँव का कपडा, जो गाँव की अन्न के बाद की मुख्य आवश्यकता ह, गाँव में चरखे के जरिये पूरा करना चाहिये अैसी स्टेट पॉलिसी सरकार जाहिर करे। और अुसके लिये जैसे सब लोगों को साक्षर बनाना सरकार अपना कर्तव्य समझती है वैसे सब लोगों को चरखा सिखाना सरकार अपना कर्तव्य समझे।

(२) खादी के लिबास को ही देश की सभ्य पोशाक के तौर पर मान्य करके सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को, कम से कम जब वे काम पर रहेंगे, खादी ही पहनना लाजिमी किया जाय।

(३) सरकार अपने सभी विभागों में खादी का ही कपडा अिस्तेमाल करे। फौज और सिपाही की पोशाक के लिये फिलहाल अपवाद हो सकता है।

(४) सरकार यह आश्वासन दे कि जो कताअी करना चाहेगा अुसके सूत की खपत कर देने की जिम्मेवारी सरकार लेगी, बशर्ते कि कातने वाले खुद भी अपने अिस्तेमाल में क्रमशः खादी का ही कपडा अिस्तेमाल करेंगे।

(५) सभी प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में कताअी का विषय और अुसकी परीक्षा अनिवार्य की जाय।

(६) हरअेक गाँव को अधिकार दिया जाय कि वह यानी गाँव की ग्राम-पंचायत चाहे तो अपने गाँव के अुद्योगों के संरक्षण के लिये बाहर से आनेवाला

कपडा, तेल, शक्कर आदि किसी भी सामान पर सेस (cess) लगा कर अुसका विनियोग अुन अुद्योगों के संरक्षण के लिये कर सके या अुन चीजों पर रोक लगा सके।

(७) मिल-कपडे पर सेस बैठाने में विलंब न किया जाय। प्लॅनिंग कमिशन के मसविदे में लिखा गया है कि पहले अन्य मार्गों को आजमाने के बाद ही जरूरत पडे तो सेस लगाया जाय; लेकिन हमारी राय में अैसा न करते हुअे अभी से मिल कपडे पर सेस बैठा कर अुसकी आमदनी में से खादी काम बढाने के लिये योजना की जाय।

(८) अिस तरह के सेस में से केवल सबसीडी दे कर खादी का कपडा मिल कपडे के भाव से बेचने का विचार न किया जाय, लेकिन चरखा संघ की योजनाओं के अनुसार खादी के बढावे की अन्य योजनाओं पर जोर दिया जाय। अैसी जो योजनायें बनेंगी वह और सरकार हाथ-कता सूत खरीदेगी वह योजना भी चरखा संघ के दरों के अनुसार, नीति के अनुसार, और संघ के माध्यम से चलायी जाय।

(९) सेस की आमद में से गांवों में खास खादी-सेवक वेतन देकर बैठाये जायें, जो कि खुद कपास से ले कर कपडे तक पूरी प्रक्रियायें जानते हों और अुस काम का प्रचार और शिक्षा दे सकते हों।

(१०) अैसे खादी-सेवक, पाठशाला के खादी-शिक्षक तथा दूसरे ग्राम-योजना में लगाये जानेवाले कार्यकर्ता चरखा संघ की खादी-परीक्षा पास हों या 'सेवा-प्रवेश' पास हों तो अुन्हें प्राथमिकता दी जाय।

(११) चरखा संघ अगर अिस काम में शामिल होता है तो अुसे काम करने में स्वतंत्रता रहनी चाहिये व सरकारी विभागों के रूटिन के कारण जो रुकावटें आती हैं या तकलीफें खडी होती हैं वैसी नहीं होनी चाहिये अैसा कुछ प्रबन्ध सोचा जाय।

अिन कलमों में मिल-कपडे पर सेस बैठाने की कलम चरखा संघ ने बहुत ही आवश्यक मानी है; क्यों कि प्रत्यक्ष पाबंदियाँ नहीं तो भी धीरे धीरे लोगों को मिल-कपडे से परावृत्त कर के खादी की ओर ले जाने की नीति का स्वीकार अुसमें अन्तर्भूत है। अगर अभी सरकार खादी के लिये अितना भी कर सके तो यह आशा रखी जा सकती है कि मौका पा कर खादी के लिये वह और भी सुविधायें कर सकेगी।

अिसके अनुसार सरकार व चरखा संघ दोनों की शक्ति लगा कर खादी-काम किया जाय तो पांच साल में वह किन किन दिशाओं में करना चाहिये, किन लक्ष्यों को ले कर करना चाहिये और कितना काम हो सकेगा अुसका मोटा अंदाज चरखा

संघ ने किया है। अुस अंदाज की जानकारी भी खादी-प्रेमी जनता व खादी-काम करने वाले कार्यकर्ता जानने की अिच्छा रखेंगे अैसा मान कर थोडे में यहाँ दी जाती है।

खादी काम के कअी पहलू हैं। जैसे कि बेकारी निवारण, फुरसत के समय का अुपयोग, सहायक अुद्योग, वस्त्र-पूर्ति, ग्राम-स्वावलंबन और अकाल या युद्ध जैसी आकस्मिक हालत में संकट निवारण। अिनमें ग्रामस्वावलंबन के पहलू को चरखा संघ ने स्वराज्य मिल जाने के बाद का खादी का प्रमुख हेतु माना है। दूसरे पहलू ग्राम-स्वावलंबन में अंतर्भूत हो ही जाते हैं। सरकारी पंचवर्षीय योजना हमारे देश के पुनरुत्थान के लिये बन रही है। गाँवों को अूपर अुठा कर ही देश की हालत सुधर सकती है। अहिंसक तरीके से और शोषण के बिना गाँवों का विकास साधना हो तो जीवन की प्राथमिक जरूरतों के लिये अुन्हें आत्मनिर्भर बनना होगा। अिस हेतु को नजर में रख कर गाँव अपनी निजी जनशक्ति के भरोसे कपडे के लिये आत्मनिर्भर अेवं स्वयंपूर्ण बनें यही पंचवर्षीय योजना का भी मुख्य लक्ष्य होना चाहिये। सरकारों को भी खादी काम में अिसी मूल हेतु को प्राधान्य देना चाहिये। यह प्राधान्य देते हुअे खादी योजना के अंतर्गत विविध दिशाओं में खादी काम चलाया जाना चाहिये। चरखा संघ ने सोचा है कि निम्न लिखित दिशाओं में यह काम चलेः—

१. **वस्त्र-स्वावलंबन**—अिस में अपने ही गाँव में कपास अुपजाने से ले कर कपडे की बुनाअी तक की सारी प्रक्रियाअें समाविष्ट समझनी चाहिये। बालक से ले कर बूढे तक हर कोअी कताअी करे व दूसरी प्रक्रियाअें जो कातनेवाला स्वयं न करे वह गाँव में ही हों। अिसके के लिये मिल-वस्त्र का बहिष्कार करने की आवश्यकता लोगों को समझाना और अपना कपडा बना लेने की कला लोगों को सिखाना।

२. **खादी की बिक्री और अुत्पत्ति**—कोअी भी गरजमंद व्यक्ति अगर रोजी के लिये सूत कताअी का या खादी पैदा करने का काम करना चाहे तो अुससे वह खरीद कर बेचने का प्रबन्ध। अिस में जीवन-वेतन, प्रादेशिक स्वयंपूर्णता, सहकारी पद्धति का अवलंबन, व्यक्तिगत स्वार्थ या मुनाफाखोरी न करना और कारीगर खुद खादी पहने अिन सिद्धान्तों का आग्रह रखा जायगा।

३. **कताअी शिक्षा**—पाठशालाओं में कताअी दाखिल करवाना, प्रौढों को कताअी सिखलाने के लिये शिबिर या घूमते वर्ग की आयोजना और परिश्रमालयों का संचालन।

४. खादी कार्यकर्ता तैयार करना–अिसके लिये खादी विद्यालय चला कर निश्चित परीक्षाअें जारी करना।

५. खादी सरंजाम—खुद के लिये जरूरी सरंजाम संभव हो अुतना हर देहात में बने अैसी शिक्षा देना व जो सामान किसी केन्द्रित जगह बनाना लाजिमी हो वह वैसी जगहों पर बनवा कर मुहैया करना।

६. संशोधन (रिसर्च)–प्रयोगशालाओं का संचालन, खादी सरंजाम में सुधार, खादी के अनुकूल कपास की जातियों का संशोधन और खादी की विविध प्रक्रियाओं की शास्त्रीय तुलना करना।

७. खादी साहित्य–खादी की सैद्धान्तिक दृष्टि, योजना संबंधी व्यावहारिक जानकारी व खादीशास्त्र संबंधी साहित्य निर्माण करना तथा अुसका प्रचार करना।

अब तक जो खादी-काम होता रहा अुसकी प्रगति का नाप सामान्यतः कारीगरों को साल भर में कितने रुपये मजदूरी के रूप में बँटे गये या कितने वर्गगज खादी पैदा हुअी या कितने रुपये की खादी बिकी अुस पर निकालने की परिपाटी चलती आयी है। लेकिन पंचवर्षीय खादी योजना के जरिये देश में जो मौलिक शक्ति पैदा करने की तैयारी करनी है अुन मूल्यों की दृष्टि से अूपर लिखे आंकडों के अलावा मुख्य कसौटी यह रखनी होगी कि देश में कताअी के जानकारों की संख्या कितनी बढी और कितने देहातों में चरखे ने प्रवेश किया। मुमकिन है कि मिल का कपड़ा मौजूद होने के कारण कताअी की जानकारी रहते हुअे भी खादी की प्रत्यक्ष अुत्पत्ति तुलनात्मक दृष्टि से योजना काल में कम हो। लेकिन युद्ध आदि के कारण मौका आवे तो, या लोग खादी का महत्त्व समझने लगें तो प्रत्यक्ष अुत्पादन के कअी गुना ज्यादा खादी पैदा कर सकने की शक्ति देश में आ जानी चाहिये। अभी जो खादी-काम देश में चल रहा है वह बहुत अल्प है। बड़े पैमाने पर खादी योजना के लिये यह जरूरी होगा कि अेक साल प्रारंभिक तैयारी का रहे। अुस तैयारी के बाद पांच साल खादी योजना चलाअी जाय तो नीचे लिखे परिणामों की आशा रखी जायः—

(१) पांच वर्ष के अन्त में देश में कताअी के जानकारों की संख्या कम से कम ७५ लाख की हो।

(२) कातने वालों की यह संख्या अगर पूरा वक्त कताअी करे तो सालभर में १५० करोड वर्गगज खादी अुत्पादन करने की शक्ति रखेगी। सिर्फ अेक घंटा रोज का औसत काम करें तो भी २० करोड वर्गगज खादी साल भर में पैदा होगी।

(३) योजना के अन्त तक १ लाख देहातों में चरखे का प्रवेश हुआ होगा।

(४) ४५००० पाठशालाओं में चरखे की शिक्षा शुरू हो सकेगी।

(५) ७००० खादी-सेवक देहातों में फैले होंगे जिनका मुख्य काम खादी का विचार-प्रचार और खादी की शिक्षा लोगों को देने का रहेगा। साथ ही वे ग्रामोद्योग की विचारधारा का प्रचार भी करेंगे।

(६) प्रत्यक्ष खादी-अुत्पादन और बिक्री के काम में योजना के वर्ष में अूपर लिखे प्रसारकों के अलावा पचास से साठ हजार कार्यकर्ता लगे होंगे।

(७) योजना की तैयारी के बाद पहले वर्ष में पांच करोड रुपये की और क्रमशः हर साल पांच करोड रुपये की वृद्धि होते हुअे योजना के आखिरी साल में २५ करोड रुपये की खादी पैदा होगी।

(८) योजना के प्रथम वर्ष में सरकारी कर्मचारियों में अेक करोड रुपये की खादी बिकनी चाहिये। यह आंकडा योजना के आखिरी साल में चार से पांच करोड रुपयों तक पहुँचना चाहिये।

(९) सरकारी विभागों में पहले साल अेक करोड रुपये की खादी का अिस्तेमाल होगा और आगे चल कर पौने दो करोड का।

(१०) खादी बनाने वाले कारीगरों में खादी के कुछ उत्पादन की कम से कम $\frac{१}{८}$ और ज्यादा से ज्यादा $\frac{१}{४}$ खादी खपेगी। नयी नयी जगहों में काम खडा होगा वहां यह अनुपात पहले थोडा कम रख कर धीरे धीरे बढाना होगा। अंदाजा यह है कि पहले साल करीब ६२ लाख रुपये की और पांचवें साल ४ से ५ करोड रुपये की खादी कारीगरों में बिकेगी।

(११) अिस तरह योजना की तैयारी के बाद पहले वर्ष में आम जनता में करीब ढाअी करोड रुपयों की खादी बेचनी पडेगी और आखिरी वर्ष में १२$\frac{१}{२}$ करोड की।

(१२) वर्गगजों में ५ करोड रुपये की करीब ३ करोड वर्ग गज खादी बनेगी। अिस में अूनी और रेशमी खादी भी शामिल है। अिसमें दो सूती और बटे हुअे सूत की कुछ विशेष मजबूत खादी भी होगी। करीब १५ से १६ करोड गुंडियां अिसके लिये कातना जरूरी होगा, यानी रोजाना औसत ४ से ५ लाख गुंडी की कताअी और बुनाअी का अितजाम हमें करना होगा।

(१३) तैयारी के बादके पहले वर्ष में १० से १२ प्रतिशत सूत पाठशालाओं में और स्वावलंबी कातनेवालों की मार्फत कतेगा अैसा मान कर बाकी सूत कातने में पूरे वक्त के करीब डेढ लाख कातनेवालों को या पूरक धंधे के रूप में करीब ४ लाख कातने वालों को और बुनाअी में करीब ५० हजार व्यक्तियों को काम मिल सकेगा यानी पांचवें साल के अन्त में करीब २५ लाख व्यक्तियों को पूरक और पूर्ण धंधे के रूप में कताअी व बुनाअी के जरिये काम मिल सकेगा।

(१४) क्षमतापूर्वक काम करनेवाले कारीगरों की कताअी में फी घंटा डेढ आना और बुनाअी में औसत फी घंटा तीन आने मजदूरी पडे अैसे दर रहने चाहिये। अनुभव यह है कि अधिकतर कारीगर कुशल काम के मुकर्रर दर के $\frac{3}{4}$ जितनी ही प्राप्ति कर सकते हैं।

(१५) शुरू में पूँजी ३ करोड रुपये और पांचवें साल १५ करोड रुपये की मानी गयी है। आज गैर-सरकारी पूँजी से जो खादी-काम चल रहा है अुसी में अेक करोड रुपये पूँजी की सहूलियत करने से खादी-काम दुगुना बढ सकता है।

(१६) सबसिडी के तौर पर तैयारी के बाद पहले वर्ष में अेक करोड रुपये और पांचवें वर्ष में ५ करोड रुपये खर्च की जरूरत रहेगी। शिक्षण, प्रचार और तैयारी के लिये क्रमशः दूसरा डेढ करोड और ८$\frac{1}{2}$ करोड खर्च होगा यानी कुल मिलाकर तैयारी के बाद के पहले वर्ष में करीब ढाअी करोड और पांचवें साल में साढे-तेरह करोड रुपया खर्च होगा।

(१७) खादी की बिक्री-कीमत कृत्रिम रूप से मिल कपडे की बराबरी में नहीं रखी जायगी। लेकिन रुअी के दाम तथा कताअी बुनाअी के पूरे दाम लगा कर खादी बेची जायगी। अुत्पत्ति और बिक्री में लगनेवाला पूरा व्यवस्था-खर्च सबसिडी के रूप में करना होगा यानी खादी पर वह खर्च नहीं चढाया जावेगा।

(१८) सबसिडी का तथा दूसरा सारा खर्च मिल कपडे पर सेस लगा कर अुससे प्राप्त रकम में से किया जाय। अिस तरह मिल कपडे के दाम कुछ बढेंगे। मिल कपडे के भाव से खादी के दाम करीब दो से ढाअी गुना रहेंगे। प्लैनिंग कमिशन ने जो हिसाब लगाया है अुस हिसाब से "फाअिन" व "सुपर फाअिन" कपडे पर अेक पैसा सेस बैठाने से करीब दो करोड रुपये की आमदनी होती है। अिस पर से यह दीखता है कि पांचवें वर्ष भी सेस का मान बढाना तो पडेगा, पर बहुत ज्यादा नहीं।

अन्त में यहां पर दो अेक बातें स्पष्ट कर देना अुचित होगा। यह साफ है कि मिल के कपडे की अपेक्षा खादी का कपडा महंगा ही रहेगा। मिल

कपडा रहते हुअे अगर खादी को बढावा देना है तो अुसे संरक्षण और सबसिडी की जरूरत रहेगी। यह सबसिडी किस हद तक दी जाय यह बहुत विवेकपूर्वक तय करना होगा। अूपर की मदों में यह बताया गया है कि खादी मिल कपडे के भाव से बिक सके अुतनी सबसिडी न दी जाय। यह बात सही है कि अगर खादी को अुतनी सबसिडी दी जाय और मिल कपडे के भाव में वह बेची जाय तो फिर खादी बेचने की समस्या बहुत कुछ हल हो जायगी; फिर ज्यादा शक्ति अुसके उत्पादन के लिये ही हम लगा सकेंगे। लेकिन वैसा करने से कपडे की आवश्यकता को पूरा करने के लिये मिल आधारित व्यवस्था को ही सदा आवश्यक व अनिवार्य मानना दृढतर होता जायगा। आज तक खादी ने अेक नया आर्थिक दृष्टिकोण और भावना पैदा की है वह मिट जायगी। यह मिटने पर खादी अेक बोझ ही मालूम पडेगी; और अुस दशा में नवसमाज निर्मिति की ओर जाने की खादी की शक्ति खत्म हो जायगी। अगर आखिर में मिल का आधार न रखना पडे अिस हेतु से खादी को चलाना है तो खादी का बिक्री-भाव कृत्रिम रूप से न घटा कर अुसके स्वाभाविक दरों पर ही वह बेचने की नीति रखना अुचित होगा। अुससे वस्त्रस्वावलंबन के काम को भी पोषण मिलेगा। स्वाभाविक दरों में हम व्यवस्था-खर्च को नहीं जोडते हैं। आज मिल-सूत की मिलावट न हो अिसी की देखभाल में खादी अुत्पादन में ४ से ५ प्रतिशत व्यवस्था-खर्च हो जाता है। अलावा अिसके खादी जहां बने वहीं बिके और बिके वहीं बने अैसी आखिरी हालत हमने मानी है। वैसी परिस्थिति में आज का दूर दूर खादी भेज कर बेचने का व्यवस्था-खर्च भी नहीं होगा। यह व्यवस्था-खर्च दरअसल कृत्रिमता के कारण खादी पर लग जाता है। अिस खर्चे जितनी सबसिडी देकर खादी के भाव अुतने सस्ते रखकर बेचना हानिकारक नहीं होगा। ढुलाअी आदि मिला कर यह व्यवस्था-खर्च अुत्पत्ति से लेकर बिक्री तक २० फी सदी के करीब होता है। अिसलिये अिस मद में खादी बिक्री पर २० फी सदी सबसिडी दी जाय अैसा विचार किया गया है। नया खादी काम खडा करने में जो खादी बनेगी वह सारी की सारी स्टॅंडर्ड किस्म की न बन पाये अैसी संभावना है। अिसके लिये भाव घटा कर बेचने के लिये कुछ मदद दी जाना जरूरी रहेगा। अुसके लिये पहले साल १८ लाख रुपया और पांचवें साल ८० लाख रुपये खर्च गिना गया है।

अिस तरह खादी योजना का मोटा तफसील अूपर दिया गया है। देश अपना कपडा अगर चरखे के जरिये बना लेना चाहे तो, अुसके लिये देश में कम से कम दस करोड लोगों को कताअी जानना जरूरी है। लेकिन पंचवर्षीय योजना में हम मुश्किल से पौन करोड लोगों को ही अिस कला के जानकार बना देंगे अैसा लगता

है। फिर भी अगर पांच वर्ष में अुतनी तैयारी हो सके तो बाद में खादी को अनेक गुना व्यापक बनाने के लिये अनुकूल वायुमंडल हो जायगा और आगे हमारे विशेष यत्न के बिना भी नये नये लोग कताअी सीखकर, जैसे कि अब तक परंपरा से सीखते आये हैं, अपने आप तैयार होंगे। योजना काल में भी हमारे बिना प्रयत्न के कअी लोग खुद होकर कताअी सीख लेंगे अैसी आशा है।

अुपसंहार :

अिस तरह अहवाल-काल में खादी-कार्य अनेकविध पहलुओं से विविध दिशा में चलाने की संघ ने कोशिश की है। संघ की खुद की खादी की व्यापारी-अुत्पत्ति जो पहले १९४८–४९ में करीब रुपये ५५ लाख और ३२ लाख वर्गगज तक पहुँची थी वह कुछ घट कर सन १९५०–५१ में करीब रुपये ४५ लाख और २५ लाख वर्ग गज तक आ गयी है। पर प्रमाणित खादी-अुत्पत्ति जो पहले १९४८–४९ में करीब ४९॥ लाख रुपये तथा ३७॥ लाख वर्गगज थी, वह बढ कर १९५०–५१ में ८२॥। लाख रुपये तथा ४८ लाख वर्ग गज तक पहुँची है। संघने अपनी शक्ति वस्त्रस्वावलंबन के काम में अब लगाअी है। अुसके लिये अब प्रचार, शिक्षण और वस्त्र-स्वावलंबन-कारीगरी की अभिवृद्धि अिन तीन तरह से संघ का काम बढ रहा है। संघ का व्यापारी काम तो आर्थिक हानि के बिना चलता था। पर प्रचार, शिक्षण और वस्त्र-स्वावलंबन के काम में संघ को अब करीब दो लाख रुपये सालाना घाटा रहेगा। फिर भी केवल कुछ गरीबों को राहत देने का ही संघ का लक्ष्य नहीं है। अिसलिये सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का अपना मूल लक्ष्य सामने रख कर संघ यह खर्च कर रहा है, और नीचे लिखे नीति-मूल्यों की प्रस्थापना के लिये खादी कार्य चले अैसा आग्रह रख रहा है।

(१) हर गाँव में स्थानिक प्रेरणा, नेतृत्व व सहकार पैदा हो कर अुसी के बल पर गाँव का काम चलना चाहिये। अिस लक्ष्य की पूर्ति के लिये :

(अ) आर्थिक शोषण दूर करने के लिये हरेक को सर्वस्पर्शी राष्ट्रीय अुत्पादक परिश्रम करना चाहिये।

(आ) शोषित न होने के लिये व्यक्तियों तथा गाँवों को अपनी जिन्दगी के आधार-रूप अन्न-वस्त्र में स्वावलंबी बनना चाहिये।

(अि) श्रम का मूल्यांकन पैसे के जरिये नहीं करना चाहिये। करना ही पड़े तो वहां जीवन-वेतन का आग्रह रखना चाहिये।

(औ) जिस यांत्रिक पद्धति से मूलभूत स्वावलंबन टूटता है अुस तरह से बननेवाली याने बडे बडे कारखानों में बननेवाली अन्न-वस्त्र सम्बन्धी चीजों का बहिष्कार करना चाहिये।

(२) जहां आज खादी का काम वस्त्र-स्वावलंबन की दृष्टि से या राहत की खादी की दृष्टि से चल रहा है वहाँः–

(अ) खादी प्रक्रियाओं का बंटवारा न कर के सब जगह सारी क्रियाअें हो सकनी चाहिये।

(आ) खादी काम में व्यक्तिगत माल्किी नहीं रहनी चाहिये और न नफाखोरी होनी चाहिये।

(अि) और जहाँ तक हो सके वहाँ तक व्यक्ति-स्वावलंबन तथा क्षेत्र-स्वावलंबन की दिशा में खादी का काम चलना चाहिये।

आज की सारी सामाजिक व आर्थिक रचना अिन मूल्यों के विरोध में खडी है। अैसी हाल्त में चरखा संघ के काम में अिन मूल्यों की प्रतिष्ठा में सहज सफल्ता की आशा रखना गल्त होगा। लेकिन हमें सावधानीपूर्वक यह खयाल रखना होगा कि राहत की खादी के नाम पर अिन मूल्यों को तोडने का काम न हो।



तालिकाएं

और

परिशिष्ट

तालिका १

कताओ मंडलों की संख्या

	प्रांत	सन १९५० जून		सन १९५१ जून		सन १९५२ जून	
		मान्यता प्राप्त	उम्मीदवार	मान्यता प्राप्त	उम्मीदवार	मान्यता प्राप्त	उम्मीदवार
१	आसाम	–	–	३	–	३	–
२	आंध्र	८३	४९	८२	५०	८३	५४
३	उत्कल	९३	–	६५	२२	६८	२५
४	उत्तरप्रदेश	–	–	१७	१४	१५	२७
५	कर्नाटक	२५	१२	२५	१२	२२	२५
६	काश्मीर	–	–	–	–	–	–
७	केरल	१०१	३०	१०१	४०	१०१	४०
८	गुजरात	५४	८	५४	८	५४	९
९	तामिलनाड	१६७	–	१६८	–	१६८	–
१०	पंजाब	३१	५	३०	४	३२	५
११	बिहार	–	२८	–	६०	२१	६५
१२	बंगाल	५०	६०	५८	५३	६०	६५
१३	बम्बई	८	–	१२	–	१५	–
१४	महाकोशल	३१	३२	२४	३८	३०	४२
१५	महाराष्ट्र	४८	३२	६५	३६	८१	८१
१६	राजस्थान	३५	९०	४८	९५	५१	१०३
१७	सौराष्ट्र	–	–	–	–	–	–
१८	हैद्राबाद	८	११	१५	८	१५	८
	कुल	७३४	३५७	७६७	४४०	८१९	५४९

प्रादेशिक कताई मंडल सम्मेलन

	स्थान	प्रान्त	उपस्थिति
१	सेवापुरी	उत्तर प्रदेश	८०
२	मोहझरी	महाकोशल	५०
३	यवतमाळ	विदर्भ	६५
४	सावली	नागविदर्भ	४०
५	अकातेतरा	केरल	१५०
६	इडुवाई	तामिलनाड	१७५
७	चितलदुग	कर्नाटक-मैसूर	१००
८	कराडी	गुजरात	१००
९	खिपवली	बम्बई	६०
१०	पंढरपुर	महाराष्ट्र	१५०
११	बाँसा	राजस्थान	५०
१२	आदमपुर	पंजाब	७५
			१०९५

वस्त्रस्वावलंबन खादी के तुलनात्मक अंक

तालिका ३

	प्रांत	१९४९ – ५०		१९५० – ५१	
		वर्गगज	रुपये	वर्गगज	रुपये
१	आसाम	—	—	—	—
२	आंध्र	२९,२२६	४५,७६४	३४,६४२	५६,४८९
३	उत्कल	—	—	५,४५०	६,१२५
४	उत्तर प्रदेश	१०,३५९	१४,१२८	१३,०३७	२२,०२९
५	कर्नाटक	४३,८११	७६,७७१	३३,७८५	५५,२६३
६	काश्मीर	—	—	—	—
७	केरल	३९,३१८	५०,१४४	४२,८३५	६२,५०९
८	गुजरात	१,८८,८६७	२,८४,१६१	२,५८,९११	३,६८,५४४
९	तामिलनाड	१,४१,७३९	१,५४,१६६	१,४०,१९२	१,६९,११८
१०	पंजाब	१४,५५६	१८,६६१	३३,८७४	४४,१३८
११	बिहार	९,९११	१६,५२८	* २,६६३	३,५६०
१२	बंगाल	२,२५५	४,०९६	२,५५९	३,७९५
१३	बंबई	११,७७८	२०,६१२	९,८८४	१३,२८५
१४	महाकोशल	३,६४६	४,७३८	९,५५३	१३,६९६
१५	महाराष्ट्र	३१,९८८	५२,१३७	३६,३८२	५९,८३४
१६	राजस्थान	१९,२२४	३१,९०९	२०,८१९	३३,५९८
१७	सौराष्ट्र	(गुजरात में शामिल हैं)		२६,०३१	३९,१४०
१८	हैद्राबाद	१,१६८	१,६७१	१,७५९	२,३७६
	ल	५,४८,०२६	७,७६,२८६	६,७२,४५६	९,५४,३७९

सहयोगी और स्वा.... .....ों की संख्या <u>तालिका ४</u>

[१९५०-५१]

खादी शिविर संख्या और सदस्यों की संख्या <u>तालिका ५</u>

[१९५०-५१]

	सहयोगी	वस्त्र स्वावलंबी	प्रान्त	शिविर संख्या	शिविर विद्यार्थी	बांस चरखे बने
१	—	२२	आसाम	—	—	—
२	१,०५२	१,१३८	आंध्र	८	४२	४९४
३	४३	८,८९१	उत्कल	९	२३०	११०
४	१२	३५५	उत्तर प्रदेश	—	—	—
५	२५५१	२७४१	कर्नाटक	—	—	१४३०
६	—	—	काश्मीर	—	—	—
७	१,१६४	१,२२४	केरल	३	९१	७७
८	३०९	२,०८४	गुजरात	५	१०४	१०२
९	१६५	१,४४१	तामिलनाड	७	३३१	४४५
१०	५६५	३५१	पंजाब	३	७०	—
११	४३	९	बिहार	१०	१५१	—
१२	५३	६५७	बंगाल	३	३९	८७
१३	६८	६६२	बम्बई	—	—	—
१४	६५१	५१६	महाकोशल	—	—	५७
१५	७४९	१,०७८	महाराष्ट्र	१०	४४५	५१६
१६	५५२	२०१	राजस्थान	५	१२२	१२६
१७	१३२	१,२९४	सौराष्ट्र	३	८०	१६
१८	१८१	६२	हैद्राबाद	—	—	६७
कुल	[illegible]	[illegible]		६६	[illegible]	[illegible]

तालिका ६

अ० भा० चरखा संघ खादी शिक्षा समिति की परीक्षाओं

जुलाई १९४९ से जून १९५१ तक

क्र.	खादी विद्यालयोंके नाम	पाठशाला शिक्षक: खादी प्रवेश विद्यार्थी बैठे	पाठशाला शिक्षक: खादी प्रवेश विद्यार्थी उत्तीर्ण	पाठशाला शिक्षक: कताई विद्यार्थी बैठे	पाठशाला शिक्षक: कताई विद्यार्थी उत्तीर्ण	पाठशाला शिक्षक: दुबटा बुनाई विद्यार्थी बैठे	पाठशाला शिक्षक: दुबटा बुनाई विद्यार्थी उत्तीर्ण	खादी प्रवेश विद्यार्थी संख्या बैठे	खादी प्रवेश विद्यार्थी संख्या उत्तीर्ण	खादी प्रवेश विद्यार्थी संख्या अनिर्णीत	कताई कार्यकर्ता विद्यार्थी संख्या बैठे	कताई कार्यकर्ता विद्यार्थी संख्या उत्तीर्ण	कताई कार्यकर्ता विद्यार्थी संख्या अनिर्णीत	बुनाई कार्यकर्ता विद्यार्थी संख्या बैठे	बुनाई कार्यकर्ता विद्यार्थी संख्या उत्तीर्ण	बुनाई कार्यकर्ता विद्यार्थी संख्या अनिर्णीत	दुबटा बुनाई विद्यार्थी बैठे	दुबटा बुनाई विद्यार्थी उत्तीर्ण	दुबटा बुनाई विद्यार्थी अनिर्णीत	कुल जोड विद्यार्थी बैठे	कुल जोड विद्यार्थी उत्तीर्ण	कुल जोड विद्यार्थी अनिर्णीत
१	खादी विद्यालय सेवाग्राम	२५	२४	३४	२७	३२	२६	५	३	१	५९	३८	१०	३९	३१	३	१३	९	-	२०७	१५८	१४
२	खादी विद्यालय वीरपांडी (तामिलनाड)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	६	३	-	-	-	-	१८	१६	-	२४	१९	-
३	खादी विद्यालय कोमरगोलू (आंध्र)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	११	५	-	-	-	-	-	-	-	११	५	-
४	खादी विद्यालय पालघाट (केरल शाखा)	-	-	-	-	-	-	१	१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१	१	-
५	खादी विद्यालय बारडोली (गुजरात)	-	-	१७	१३	५	४	-	-	-	-	-	-	२	१	-	-	-	-	२४	१८	-
६	सरस्वती मंदिर अकोला * (म.प्रदेश)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	७	६	-	-	-	-	७	६	-
७	खादी विद्यालय रायपूर * (म.प्रदेश)	-	-	-	-	-	-	७	५	-	२५	१४	-	-	-	-	-	-	-	३२	१९	-
	कुल	२५	२४	५१	४०	३७	३०	१३	९	१	१०१	६०	१०	४८	३८	३	३१	२५	-	३०६	२२६	१४

एकंबरनाथन् के ऑटोमेटिक चरखे का जाँच–अहवाल

तिरपुर में श्रीयुत् एकंबरनाथन् ने एक ऑटोमेटिक चरखा बनाया था। उसकी जाँच का अहवाल इस प्रकार है :—

हाथ-धुनकी से धुनी हुई कंबोडिया रुई दी गयी। पतली पूनी बनाने के लिये कुल घंटे ३, मिनट ९ में २७ तोले पूनियाँ बनीं। कताई में कुल घंटे ५, मिनट ३८ में गुंडी ७, तार १२० सूत काता गया। कुल समय में १३३ दफा सूत टूटा था। परेतने का समय अलग।

कातने के यंत्र में दो तकुवे लगे हुए थे। पतली की हुई पूनी में से सूत कतता था और साथ साथ बॉबिन पर लपेटा जाता था। यंत्र का हत्था एक मिनट में करीब ७५ से ८० दफा घुमाया जाता था।

हत्थे के एक फेरे में तकुवा १२० बार घूमता था। इसलिये तकुवे की गति प्रति मिनट ९००० से ९६०० थी।

हाथ की धुनी रुई होने से टूटन ज्यादह आयी और उससे कताई की गति पर भी असर हुआ।

सूत की जाँच :

कुल लम्बाई ...	७ गुंडी, २०१ तार	कुल वजन ...	२६। तोले
औसत अंक ...	११$\frac{3}{5}$	औसत मजबूती	१११ प्रतिशत
औसत समानता ...	८३ प्रतिशत	छीजन ...	$\frac{3}{4}$ तोले

यंत्र के सामान्य दोष :

१. कातते वक्त रुई के अच्छे तंतु भी हवा में उड जाते थे। वह शायद हाई-ड्राफ्ट के कारण होता होगा।

२. रोलर पर बार बार रुई चिपकती थी।

३. रिंग की रील अपने आप ऊँची होती थी और हाथ से नीचे उतारनी पडती थी। वह ऑटोमेटिक कर सकते हैं।

४. मालाएँ ढीली–तंग होती ही थीं।

५. परेतने की व्यवस्था साथ में नहीं थी। वह होनी चाहिये।

६. सिंग के रोल और घिर्रियां बनायी गयी हैं। वह शायद जल्दी घिस जायं ऐसी संभवना है।

खादी उत्पत्ति के तुलनात्मक अंक (मूल्य में)

तालिका ८

	प्रांत	शाखा		प्रमाणित संस्थाएं		शाखा तथा प्रमाणित	
		१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१
१	आसाम	—	—	* ९,५००	§ ३५,५३५	९,५००	३५,५३५
२	आंध्र	४,१२,८५२	२,२१,१८९	१,०३,९७०	९०,४८८	५,१६,८२२	३,११,६७७
३	उत्कल	—	—	—	× १,२३,०९०	—	१,२३,०९०
४	उत्तर प्रदेश	—	—	२१,६७,४४६	§ ३१,०३,९३१	२१,६७,४४६	३१,०३,९३१
५	कर्नाटक	३,१०,१७२	२,४२,२१७	७२,२५६	३३,७३७	३,८२,४२८	२,७५,९५४
६	काश्मीर	२,९७,४४९	३,५०,२०५	—	१,२६,२१०	२,९७,४४९	४,७६,४१५
७	केरल	२,९५,७४३	२,२५,३९८	२८,८४८	२५,१७५	३,२४,५९१	२,५०,५७३
८	गुजरात	७,०५३	७,४८१	३,९९,८१६	६०,४७६	४,०६,८६९	६७,९५७
९	तामिलनाड	३०,०४,२५६	२८,७६,५५४	२,४३,००१	२,४७,५५१	३२,४७,२५७	३१,२४,१०५
१०	पंजाब	२,५२,५८६	* २,७४,८७७	* ७,८२,८६४	१,९७,०००	१०,३५,४५०	४,७१,८७७
११	बिहार	—	—	१३,८४,२४५	२८,८३,९२६	१३,८४,२४५	२८,८३,९२६
१२	बंगाल	—	५,३७४	१९,५५६	१,५७,०५१	१९,५५६	१,६२,४२५
१३	बंबई	२,९८०	१,२७९	—	—	२,९८०	१,२७९
१४	महाकोशल	१,७४३	२,८३८	५०,७०५	३७,४३८	५२,४४८	४०,२७६
१५	महाराष्ट्र	१,९६,७९५	७९,९८४	२२,०६६	४८,९८१	२,१८,८६१	१,२८,९६५
१६	राजस्थान	१,१२,३५३	१,०७,१८०	५,५४,९३०	७,६०,१६८	६,६७,२८३	८,६७,३४८
१७	सौराष्ट्र	—	—	—	१,२२,४४०	—	१,२२,४४०
१८	हैद्राबाद	२,९७,५१९	८४,३२८	१,१०,२३२	२,१३,१९४	४,०७,७५१	२,९७,५२२
	कुल	५१,११,५०१	४४,७८,९०४	५९,४९,४३५	८२,६६,३९१	१,११,४०,९३६	१,२७,४५,२९५

* राज्य सरकार के खादी विभाग की उत्पत्ति। § इसमें रु. १,१९,००० के करीब रेशम की उत्पत्ति का समावेश है।

खादी उत्पत्ति के तुलनात्मक अंक (वर्ग गजों में)

तालिका ९

	प्रान्त	शाखा		प्रमाणित संस्थाएँ		शाखा तथा प्रमाणित	
		१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१
१	आसाम	—	—	७,२४०	८,८०४	७,२४०	८,८०४
२	आंध्र	२,३४,५३३	१,२१,४८२	९८,९०४	५०,७९२	३,३३,४३७	१,७२,२७४
३	उत्कल	—	—	—	१,१६,१९२	—	१,१६,१९२
४	उत्तर प्रदेश	—	—	१३,६९,६९५	१७,७३,६२८	१३,६९,६९५	१७,७३,६२८
५	कर्नाटक	१,७०,२०१	१,३३,६३१	३५,९३०	१९,०६४	२,०६,१३१	१,५२,६९५
६	काश्मीर	५०,२५१	५०,२२१	—	२९,६७५	५०,२५१	७९,८९६
७	केरल	१,९९,११८	१,४३,२३३	१९,०३२	२८,२५१	२,१८,१५०	१,७१,४८४
८	गुजरात	३,५१७	३,७४२	२,२२,८७०	३०,८६०	२,२६,३८७	३४,६०२
९	तामिलनाड	१८,८७,१०६	१६,७४,४९७	१,६२,११४	१,६५,०८०	२०,४९,२२०	१८,३९,५७७
१०	पंजाब	१,७४,६६९	१,७५,७९९	६,५९,२५४	१,४३,९७४	८,३३,९२३	३,१९,७७३
११	बिहार	—	—	९,२४,४८२	१७,०२,७१४	९,२४,४८२	१७,०२,७१४
१२	बंगाल	—	३,९०९	२४,८७१	३७,९३२	२४,८७१	४१,८४१
१३	बम्बई	१,७०२	१,०३१	—	—	१,७०२	१,०३१
१४	महाकोशल	१,३६१	१,६८१	३९,०४५	२४,२०३	४०,४०६	२५,८८४
१५	महाराष्ट्र	१,१८,४६०	४६,२५८	१२,४२३	२६,९५८	१,३०,८८३	७३,२१६
१६	राजस्थान	१,००,४१९	६५,५७२	३,६७,१८०	४,४६,७९५	४,६७,५९९	५,१२,३६७
१७	सौराष्ट्र	—	—	—	७७,५३३	—	७७,५३३
१८	हैद्राबाद	२,०५,२३६	५२,३००	६८,९८६	१,३२,९२०	२,७४,२२२	१,८५,२२०
	कुल	३१,४७,३७३	२४,७३,३५६	४०,१२,०३४	४८,१५,३४५	७१,५९,४०७	७२,८८,७०१

तालिका १०

खादी उत्पत्ति के तुलनात्मक अंक (वजन पौंडों में)

	प्रांत	शाखा		प्रमाणित संस्थाऐं		शाखा तथा प्रमाणित	
		१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१
१	आसाम	—	—	२,४१४	२,८२८	२,४१४	२,८२८
२	आंध्र	६६,६२२	३६,९७५	२२,९५६	१६,२२९	८९,५७८	५३,२०४
३	उत्कल	—	—	—	४२,५६०	—	४२,५६०
४	उत्तर प्रदेश	—	—	४,४७,९४०	५,६२,०८५	४,४७,९४०	५,६२,०८५
५	कर्नाटक	४९,६००	२५,२८२	१२,८९६	५,५०५	६२,४९६	३०,७८७
६	काश्मीर	२३,९३०	३०,९७४	—	११,२२६	२३,९३०	४२,२००
७	केरल	४९,९९०	३५,३८०	४,८०४	७,४११	५४,७९४	४२,७९१
८	गुजरात	६८०	७७९	६६,५०६	७,२४१	६७,१८६	८,०२०
९	तामिलनाड	४,६१,३६०	४,१८,७६५	४१,०९८	४२,०१२	५,०२,४५८	४,६०,७७७
१०	पंजाब	६२,२४०	६६,९८८	२,८८,५१४	७२,३२०	३,५०,७५४	१,३९,३०८
११	बिहार	—	—	२,२९,३८०	३,३४,२०६	२,२९,३८०	३,३४,२०६
१२	बंगाल	—	१,१६२	७,६४२	*५,१५१	७,६४२	६,३१३
१३	बंबई	४८६	३३०	—	—	४८६	३३०
१४	महाकोशल	३५०	४८१	१२,३७२	४,०९४	१२,७२२	४,५७५
१५	महाराष्ट्र	३०,५२२	१३,७५२	३,०८८	७,१०६	३३,६१०	२०,८५८
१६	राजस्थान	३४,७९०	२४,३३४	१,३१,९३८	१,६२,६७८	१,६६,७२८	१,८७,०१२
१७	सौराष्ट्र	—	—	—	१९,३१४	—	१९,३१४
१८	हैद्राबाद	५९,८७०	१४,५३७	२६,८००	४३,६८२	८६,६७०	५८,२१९
	कुल	८,४०,४४०	६,६९,७३९	१२,९८,३४८	१३,४५,६४८	२१,३८,७८८	२०,१५,३८७

तालिका ११

फुटकर खादी बिक्री के तुलनात्मक अंक [मूल्य में]

	प्रान्त	शाखा		प्रमाणित संस्थायें		शाखा तथा प्रमाणित	
		१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१
१	आसाम	—	—	४७,५५०	४३,३९९	४७,५५०	४३,३९९
२	आंध्र	३,५९,४३५	२,८१,७४९	२०,३०३	३८,९५६	३,७९,७३८	३,२०,७०५
३	उत्कल	—	—	—	१,७५,३५१	—	१,७५,३५१
४	उत्तर प्रदेश	—	—	३५,७६,५९१	३७,७७,७७५	३५,७६,५९१	३७,७७,७७५
५	कर्नाटक	३,३६,१९८	१,४५,७५६	७३,९१९	५५,८०९	४,१०,११७	२,०१,५६५
६	काश्मीर	† २,८३,६३२	‡ ३५,९२५	—	—	२,८३,६३२	३५,९२५
७	केरल	३,१७,४२९	२,७९,८२८	३१,४०९	२३,४०४	३,४८,८३८	३,०३,२३२
८	गुजरात	२,८१,२००	३,१९,९९८	६,६८,४८१	९,०४,७०४	९,४९,६८१	१२,२४,७०२
९	तामिलनाड	२८,४९,६४२	३४,३०,३३६	१,२२,२३७	१,६३,१८३	२९,७१,८७९	३५,९३,५१९
१०	पंजाब	२,१०,९६९	१,९३,१५३	१,०७,३३०	५,१७,१४१	३,१८,२९९	७,१०,२९४
११	बिहार	—	—	१९,५३,१८७	२६,०३,१५४	१९,५३,१८७	२६,०३,१५४
१२	बंगाल	—	—	१,८५,८०४	५१,५६१	१,८५,८०४	५१,५६१
१३	बंबई	७७,७७९	१,२२,१३५	१,३९,२३८	८,७९,३२४	२,१७,०१७	१०,०१,४५९
१४	महाकोशल	५,१२३	५,२४८	१,५६,९९१	१,२१,०४३	१,६२,११४	१,२६,२९१
१५	महाराष्ट्र	२,६६,८१४	१,४६,५४७	१,०७,५००	५,९२,५२१	३,७४,३१४	७,३९,०६८
१६	राजस्थान	२९,२६५	३२,०२२	५,९९,६७७	* ७,५४,५६२	६,२८,९४२	७,८६,५८४
१७	सौराष्ट्र	—	—	—	१,०४,३४२	—	१,०४,३४२
१८	हैद्राबाद	१,०७,१५९	७५,८५२	२,०१०	४३,८०३	१,०९,१६९	१,१९,६५५
	कुल	५१,२४,६४५	५०,६८,५४९	७७,९२,२२७	१,०८,५०,०३२	१,२९,१६,८७२	१,५९,१८,५८१
	शाखाओंकी एजंटद्वारा फुटकर बिक्री	५,३३,२९४	५ ८०,०९७			५,३३,२९४	५,८०,०९७

तालिका १२

एजंटों द्वारा खादी-विक्री के तुलनात्मक अंक (मूल्य में)

चरखा संघ शाखायें

	प्रान्त	१९४९-५०	१९५०-५१
१	आसाम	–	–
२	आंध्र	१४,६८७	२२,७३६
३	उत्कल	–	–
४	उत्तर प्रदेश	–	–
५	कर्नाटक	१,३५,९६५	१,५६,१०१
६	काश्मीर	–	–
७	केरल	५,३७६	–
८	गुजरात	२१,७४७	३६,३२५
९	तामिलनाड	१,६०,७२३	१,७६,२३१
१०	पंजाब	७७,२१२	९१,१७३
११	बिहार	–	–
१२	बंगाल	–	–
१३	बंबई	३,५५७	२,१७५
१४	महाकोशल	१,७७८	४०२
१५	महाराष्ट्र	६३,००३	३९,६०२
१६	राजस्थान	६,११७	१७,४७८
१७	सौराष्ट्र	–	–
१८	हैद्राबाद	४२,३२९	३७,९७४
	कुल	५,३३,२९४	५,८०,०९७

सूत मजदूरी चार्ट [अंक वजन पद्धति] नागविदर्भ

<u>तालिका १३</u>

नंबर	प्रतिघंटा गति	८ घंटे का काम			सूत वजन			घटसहित रुअी दर १ सेर का			रुअी कीमत		धुनाअी दर १ सेर का		धुनाअी मजदूरी १ सेर की		सूत कताअी १ सेर की		कताअी मजदूरी ८ घंटे की		सूत कीमत १ सेर		१ गुंडी की कीमत	
		गुं.	ल.	तार	छ.	तो.	आना	रु.	आ.	पा.	आ.	पा.	रु.	आ.	आ.	पा.	रु.	आ.	आ.	पा.	रु.	आ.	आ.	पा.
१०	३००	३	३	-	३	-	-	२	०	-	६	-	-	८	१	६	२	१०	७	१०॥	५	२	४	१ २/५
११	२९७	३	२	१३६	२	४	१४	२	०	-	५	१०	-	८	१	६	३	-	८	९	५	८	४	-
१२	२८८	३	२	६४	२	२	-	२	०	-	४	१०	-	८	१	२॥	३	४	७	९॥	५	१२	३	१०
१४	२८०	३	२	-	२	-	-	२	०	-	४	-	-	१०	१	३	४	-	८	-	६	१०	३	१०
१६	२७४	३	१	११२	१	३	९	२	०	-	३	५।	-	१०	१	३/४	४	१०	७	११	७	४	३	११
१८	२७०	३	१	८०	१	२	८	२	६	-	३	५।	-	१०	-	११।	५	६	८	३/४	८	६	३	८ ३/५
२०	२६७	३	१	५६	१	१	११	२	६	-	३	२	१	-	१	४	६	-	७	११	९	६	३	९
२२	२६४	३	१	३२	१	१	-	२	६	-	२	१०।	१	-	१	२।	६	१०	८	-	१०	-	३	८ २/११
२४	२६२	३	१	१६	१	-	७	२	६	-	२	६	१	-	१	१	७	४	७	११	१०	१०	३	६॥
२६	२६०	३	१	-	१	-	-	२	१३	-	२	९॥।	१	४	१	३	८	-	८	-	१२	१	३	९ १/१३
२८	२४९	३	-	७२	-	४	७	२	१३	-	२	६	१	४	१	१॥	९	-	८	२	१३	१	३	८ २२/१४
३२	२३३	२	३	१०४	-	३	१०	२	१३	-	२	२	१	४	-	११॥	११	-	८	५॥	१५	१	३	९
३६	२६६	३	१	४८	-	३	११	२	१३	-	२	२।	१	४	१	-	१३	-	९	७	१७	१	३	९॥
४०	२५४	३	-	११२	-	३	३	२	१३	-	१	९॥	१	४	-	१०	१५	-	९	७	१९	१	३	९॥।

तालिका १४

...मिलनाड

...	कीमत		१ गुंडी की खरीद कीमत		सूत कीमत			कताओी मजदूरी ८ घंटों की	
...आ.		पा.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.	आ.	पा.
		६	४	३	१	—	—	७	६
		४	४	३	१	—	—	७	८
		१०॥	४	३	—	१५	३॥	८	५
		८	४	३	—	१४	११	९	३
		११	४	३	—	१४	६	९	७
		३	३	१	—	१२	८	८	५
		१०	३	१	—	१२	७	७	१
		४	३	१	—	१२	५	८	१
	२	११।	३	१	—	१२	३।	८	४
	२	१०	३	१	—	१२	२	८	४
	२	५॥।	३	१	—	११	८	८	३।
	२	९	३	१	—	१०	११	८	२
	२	९॥	३	१	—	१२	५॥	९	८
	२	५॥	३	१	—	११	१०॥	९	५

तालिका १३ और १४ में धुनाओी-दर के बाद के कॉलम में धुनाओी-मजदूरी के आंकडे दिये गये हैं। ये आंकडे अुतनी धुनाओी मजदूरी के हैं कि जितनी पूनी अुस अुस अंक के सूत की आठ घंटेकी कताओी के लिये आवश्यक मानी गयी है।

तालिका १३ में आठवें कॉलम के शीर्षक में जहाँ "धुनाओी-मजदूरी १ सेर की" छापा गया है वहां "१ सेर की" शब्द गलती से पडे हैं। वे छोड कर पढा जाय।

सूत मज...

सूत अंक	आवश्यक गति प्रतिघंटा	आवश्यक काम ८ घंटों का			सूत वजन		
	तार	गुंडी	लटी	तार	छ.	तो.	आना
१०	३००	३	३	—	३	—	—
११	२९७	३	२	१३६	२	४	१४
१२	२८८	३	२	६४	२	२	—
१४	२८०	३	२	—	२	—	—
१६	२७४	३	१	११२	१	३	९
१८	२७०	३	१	८०	१	२	८
२०	२६७	३	१	५६	१	१	११
२२	२६४	३	१	३२	१	१	—
२४	२६२	३	१	१६	१	—	७
२६	२६०	३	१	—	१	—	—
२८	२४९	३	—	७२	—	४	७
३२	२३३	२	३	१०४	—	३	१०
३६	२६६	३	१	४८	—	३	११
४०	२५४	३	—	११२	—	३	३

तालिका १३

कुल कामगारों की संख्या

तालिका १५

चरखा संघ शाखाऐं तथा प्रमाणित संस्थाऐं

	प्रान्त	कत्तिन		बुनकर		अन्य		कुल	
		१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१
१	आसाम	—	१,६५१	—	४४३	—	५	—	२,०९९
२	आंध्र	८,७८४	६,९८४	४६४	३४५	१२०	१०५	९,३६८	७,४३४
३	उत्कल	—	४,९६४	—	५३९	—	३	—	५,५०६
४	उत्तर प्रदेश	४२,२२१	४७,६१५	२,११५	२,६१९	२९६	३५६	४४,६३२	५०,५९०
५	कर्नाटक	८,५००	३,३९५	५६०	३७५	५०	१४२	९,११०	३,९१२
६	काश्मीर	७६९	७६९	९०	९०	७७	७७	९३६	९३६
७	केरल	६,९०३	१,३४३	५२१	९००	६३	१००	७,४८७	२,३४३
८	गुजरात	३,०००	३,२३५	४००	३६१	२१५	११६	३,६१५	३,७१२
९	तामिलनाड	६२,९४०	६२,९४५	१,७२६	१,७४९	४७७	४५७	६५,१४३	६५,१५१
१०	पंजाब	७,५००	६,५००	१,७५०	१,७५०	२०	३०	९,२७०	८,२८०
११	बिहार	३०,३१२	५६,३९७	१,२००	१,८६९	१०३	१३३	३१,६१५	५८,३९९
१२	बंगाल	५००	१,०५०	३३	६३	२२	२२	५५५	१,१३५
१३	बंबई	—	—	७	७	—	—	७	७
१४	महाकोशल	८६५	८६५	१५०	१५०	२०	२०	१,०३५	१,०३५
१५	महाराष्ट्र	२,५८५	१,९१५	२७७	२५१	६७	७९	२,९२९	२,२४५
१६	राजस्थान	८,५८४	१३,५७१	७५५	१,५०१	१८९	४००	९,४६८	१५,४७२
१७	सौराष्ट्र	—	२,२८४	—	३३१	—	८११	—	३,४२६
१८	हैद्राबाद	६,६२५	७,००१	११३	१,१०७	२७४	२८०	७,८१२	८,३८८
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

कामगारों को दी गयी मजदूरी [रुपयों में]

तालिका १६

चरखा संघ शाखायें

	प्रान्त	कत्तिनों को		बुनकरों को		अन्यों को		कुल	
		१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५२	१९४९–५०	१९५०–५१
१	आसाम	—	—	—	—	—	—	—	—
२	आंध्र	९०,०१९	५६,७५३	१,०१,७०२	४९,१८४	३४,२६०	१६,६३०	२,२५,९८१	१,२२,५६७
३	उत्कल	—	—	—	—	—	—	—	—
४	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
५	कर्नाटक	९६,९६८	२८,३४७	८८,७६२	४५,१५२	१०,७७२	१९,९६९	१,९६,५०२	९३,४६८
६	काश्मीर	३५,१२२	३५,०४५	२४,९३८	२४,०११	३२,६७७	३७,४६७	९२,७३७	९६,५२३
७	केरल	८७,४८९	४८,९८९	७४,०२३	१२,८१५	५,७९३	८,७८६	१,६७,३०५	७०,५९०
८	गुजरात	४२,८५८	४५,३४०	९२,१४१	१,१९,७०३	५,४५३	३३,१४७	१,४०,४५२	१,९८,१९०
९	तामिलनाड	१०,२४,०७०	१०,४१,३९२	८,१३,७७७	५,६४,६८६	१,२०,९८९	१,३७,४२१	१९,५८,८३६	१७,४३,४९९
१०	पंजाब	७५,७२८	४२,९७१	६७,१३३	६९,०१०	१६,६३३	—	१,५९,४९४	१,११,९८१
११	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—
१२	बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—
१३	बंबई	—	—	५,९४९	४,९९१	२,७१५	२,३४५	८,६६४	७,३३६
१४	महाकोशल	२३	१०२	४१५	—	६१	९७२	४९९	१,०७४
१५	महाराष्ट्र	६५,५१०	१८,३२२	४६,६५१	१८,२१५	१७,५६९	४,२१४	१,२९,७३०	४०,७५१
१६	राजस्थान	३२,६०९	२६,८३४	३२,४५२	१८,७६६	५,९१५	११,४३१	७०,९७६	५७,०३१
१७	सौराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—
१८	हैद्राबाद	६६,८५८	६,१६८	७३,१२७	१९,६०५	२१,१०७	२,८४७	१,६१,०९२	२८,६२०
	कुल	१६,१७,२५४	१३,५०,२६३	१४,२१,०७०	९,४६,१३८	२,७३,९४४	२,७५,२२९	३३,१२,२६८	२५,७१,६३०

तालिका १७

चरखा संघ के कार्यकर्ताओं का मासिक वेतन के अनुसार विभाजन

	प्रांत	१९५०–५१					कुल
		रु. १५ तक	रु. १६ से ३०	रु. ३१ से ५०	रु. ५१ से ७५	रु. ७६ से १००	
१	आसाम	—	—	—	—	—	—
२	आंध्र	३	३१	१५	२	—	५१
३	उत्कल	—	—	—	—	—	—
४	उत्तरप्रदेश	—	—	—	—	—	—
५	कर्नाटक	६	१८	१९	११	०	५४
६	काश्मीर	—	११	१७	११	३	४२
७	केरल	—	३०	२५	५	—	६०
८	गुजरात	—	—	९	६	५	२०
९	तामिलनाड	३	९४	१३०	५६	२२	३०५
१०	पंजाब	१	३०	३३	१०	३	७७
११	बिहार	—	—	—	—	—	—
१२	बंगाल	—	—	—	—	—	—
१३	बम्बई	—	—	३	६	२	११
१४	महाकोशल	—	२	२	१	—	५
१५	महाराष्ट्र	१	९	१४	४	२	३०
१६	राजस्थान	—	११	१०	६	२	२९
१७	सौराष्ट्र	—	—	—	—	—	—
१८	हैद्राबाद	—	६	४	२	—	१२
१९	प्रधान कार्यालय सेवाग्राम	५	७	५	२	२	२१
२०	खादी विद्यालय सेवाग्राम	—	१३	२३	११	३	५०
	कुल	१९	२६२	३०९	१३३	४४	७६७

वेतन के अलावा महंगाओी भत्ता वेतन के २५% + १५ रु. था। गुजरात, पंजाब और काश्मीर शाखा में महंगाओी भत्ता अूपर के परिमाण से ५ रु. ज्यादा था।

तालिका १८

फी कार्यकर्ता प्रतिदिन की उत्पत्तिबिक्री

	प्रांत	उत्पत्ति (वर्गगजों में)		वस्त्रस्वावलंबन (वर्गगजों में)		फुटकर बिक्री (रुपयों में)	
		१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१
१	आसाम	—	—	—	—	—	—
२	आंध्र	१२·६	६·४९	१·६३	१·८६	११·३९	१५·१३
३	उत्कल	—	—	—	—	—	—
४	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—
५	कर्नाटक	८·६३	७·०९	२·२२	१·७१	१५·०७	७·४
६	काश्मीर	३·३	३·२८	—	—	२·५	२·३४
७	केरल	१०·४८	६·५४	१·८२	२·२६	१४·५	१२·७९
८	गुजरात	·४८	·५१	२५·८७	३५·४७	३८·५२	४३·८३
९	तामिलनाड	१८·१४	१६·०९	१·३६	१·३४	२७·३९	३२·९
१०	पंजाब	६·२२	६·२५	·५२	१·२	७·५	६·८७
११	बिहार	—	—	—	—	—	—
१२	बंगाल	—	—	—	—	—	—
१३	बंबई	·४२	·२५	२·१४	२·४६	११·३७	३०·४२
१४	महाकोशल	·७४	·१२	२·०	५·२३	२·८	२·८९
१५	महाराष्ट्र	१०·८२	४·२२	२·११	३·३२	२४·३८	१३·३८
१६	राजस्थान	९·४८	६·११	१·८१	१·१६	२·७६	३·०२
१७	सौराष्ट्र	—	—	—	—	—	—
१८	हैदराबाद	१७·५७	११·९४	·१	·३१	९·१७	१७·३२

कार्यक्षेत्र के ग्रामों की प्रान्तवार तादाद

तालिका १९

चरखा संघ की शाखाऐं तथा प्रमाणित संस्थाऐं

	प्रांत	ग्रामसंख्या		कत्तिनों की संख्या		बुनकरों की संख्या	
		१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१	१९४९–५०	१९५०–५१
१	आसाम	७५	७५	—	१,६५१	—	४४३
२	आंध्र	१८७	१६७	८,७८४	६,९८४	४६४	३४५
३	उत्कल	३६६	३३६	—	४,९६४	—	५३९
४	उत्तर प्रदेश	१,५२०	१,७२०	४२,२२१	४७,६१५	२,११५	२,६१९
५	कर्नाटक	२०६	१४२	८,५००	३,३९५	५६०	३७५
६	काश्मीर	२०	२५	७६९	७६९	९०	९०
७	केरल	३६१	४७५	६,९०३	१,३४३	५२१	९००
८	गुजरात	२९५	२७५	३,०००	३,२३५	४००	३६१
९	तामिलनाड	३,५६४	३,५६४	६२,९४०	६२,९४५	१,७२६	१,७४९
१०	पंजाब	४००	४००	७,५००	६,५००	१,७५०	१,७५०
११	बिहार	१,०७१	१,५७१	३०,३१२	५६,३९७	१,२००	१,८६९
१२	बंगाल	१३०	१०२	५००	१,०५०	३३	६३
१३	बंबई	१	१	—	—	७	७
१४	महाकोशल	२९	३०	८६५	८६५	१५०	१५०
१५	महाराष्ट्र	१२५	१०४	२,५८५	१,९१५	२७७	२५१
१६	राजस्थान	१७५	१५४	८,५२४	१३,५७१	७५५	१,५०१
१७	सौराष्ट्र	११०	११०	—	२,२८४	—	३३१
१८	हैद्राबाद	३२५	१७५	६,६२५	७,००१	९१३	१,१०७
	कुल	८,९३०	९,४२६	१,९०,०२८	२,२२,४८४	१०,९६१	१४,४५०

कुछ आंकडे अंदाजी हिसाब से लेने पडे हैं।

तालिका २०

चरखा संघ तथा प्रमाणित संस्थाओं की कुल खादी अुत्पत्ति तथा बिक्री

सन १९२४ से १९५१ तक

वर्ष	अुत्पत्ति (रुपयों में)	अुत्पत्ति (वर्गगजों में)	बिक्री (रुपयों में)
१९२४ – २५	१९,०३,०३४		३३,६१,०६१
१९२५ – २६	२३,७७,६७०	२,२९,५६,१४०	२८,९९,१४३
१९२६ – २७	२४,०६,३७०		३३,४८,७९४
१९२७ – २८	२४,१६,३८२		३३,०८,६३४
१९२८ – २९	३१,५५,४३७	६२,६१,८१२	३९,४९,०७७
१९२९ – ३०	५४,९१,६१०	१,१६,७६,९३०	६६,१९,८९३
१९३० – ३१ (महीने १५)	७२,१५,५०२	१,७५,७६,५७६	९०,९४,१३२
१९३२	४४,८७,१९५	१,१५,०३,८८६	५८,१२,५३७
१९३३	३८,६८,८१०	१,०२,२४,३४४	५१,७५,९२३
१९३४	३४,०६,३८०	९५,८०,९८६	४६,६७,१२५
१९३५	३२,४४,१०५	८५,६१,७३७	४६,९०,०१३
१९३६	२४,२८,२५७	६२,२३,६९७	३४,४७,७४१
१९३७	३०,१५,३३९	७२,६९,८७७	४५,३२,७२९
१९३८	५४,९९,४८६	१,२५,५९,५९४	५४,७८,७२०
१९३९	४८,२९,६१०	१,०८,९५,६०८	६४,१३,००२
१९४०	५१,३६,९८३	९५,९१,४३८	७७,६२,७५०
१९४१ – ४२ (महीने १८)	१,२०,०२,४३०	२,१५,८४,०७६	१,४९,८५,५१३
१९४२ – ४३	७८,६२,३६८	१,००,४५,२१४	१,०७,९०,४१०
१९४३ – ४४	१,२७,५२,२३३	१,०८,८०,७३९	१,३२,६१,६४२
१९४४ – ४५	१,३४,५८,०६९	१,०२,६३,९०३	१,६७,८७,९७०
१९४५ – ४६	७०,६३,२१९	५१,७६,९९५	१,०४,८६,५३०
१९४६ – ४७	१,०५,६८,८७०	७०,०५,४७३	१,११,९५,१३१
१९४७ – ४८	६५,७४,६८९	४३,५१,६४६	७२,४६,६०४
१९४८ – ४९	१,०४,४२,९६५	६९,३३,९४८	९१,४१,४१२
१९४९ – ५०	१,११,४०,९३६	७१,५९,४०७	१,३४,५०,१६६
१९५० – ५१	१,२७,४५,२९५	७२,८८,७०१	१,६४,९८,६७८
कुल	१६,५४,९३,२४४	२३,५५,७२,७२७	२०,४४,०५,३३०

तालिका २१

चरखा संघ तथा प्रमाणित संस्थाओं द्वारा बाँटी गयी मजदूरी

सन १९२४ से १९५१ तक

वर्ष	कत्तिनों को रुपये	बुनकरों को रुपये	अन्य काम-गारों को रुपये	कुल दिये रुपये
१९२४–२८	२२,०२,५४०	२२,७५,६१४	२,२७,५६०	४५,०५,७१४
१९२८–२९	७,११,८३३	८,३५,१५६	९४,६६२	१६,४१,६५१
१९२९–३०	१३,८८,४६९	१३,८०,४७५	१,९२,२०६	२९,६१,१५०
१९३०–३१	१४,४४,९०८	१७,९५,१२१	३,६०,७७२	३६,००,८०१
१९३२	११,०३,३५१	१२,७६,६११	२,६९,२३१	२६,४९,१९३
१९३३	८,३५,७२७	७,४७,७२७	२,७८,८१६	१८,६२,२७०
१९३४	७,५७,४८९	६,६९,९६७	२,७२,५१०	१६,९९,९६६
१९३५	६,८०,०११	६,७७,१८८	२,९१,१६९	१६,४८,३६८
१९३६	९,२२,६२४	५,२२,१७६	२,४२,४२५	१६,८७,२२५
१९३७	१२,१९,२५६	६,९७,८३७	३,०१,५३३	२२,१८,६२६
१९३८	२३,५४,९०६	१२,१८,८०३	५,७७,१३१	४१,५०,८४०
१९३९	२०,२३,६५०	१०,९८,८७८	५,५२,२०५	३६,७४,७३३
१९४०	२०,९०,३७८	१०,८१,४५४	५,१६,३११	३६,८८,१४३
१९४१–४२ (१८ महीने)	४६,३०,२७३	२४,३१,७३३	१०,५०,९८७	८१,१२,९९३
१९४२–४३	२२,४५,९३४	१४,४१,६६८	५,३२,०५४	४२,१९,६५६
१९४३–४४	४१,८६,४८८	२६,७९,९६९	९,१७,८५९	७७,८४,३१६
१९४४–४५	३६,४१,६७१	३१,२९,७११	९,९२,१५१	७७,६३,५३३
१९४५–४६	२५,०८,०४२	२०,६१,५८३	६,१० ८२६	५१,८०,४५१
१९४६–४७	३१,६७,३०३	२९,४०,७७४	८,०९,१३९	५९,१७,२१६
१९४७–४८	१८,११,३६०	१३,२०,१२७	४,६३,९३९	४५,९५,४२६
शाखा				
१९४८–४९	२७,६९,२३७	२५,७६,४३९	५,३४,४९०	५८,८०,१६६
१९४९–५०	३०,३१,८२८	३०,०२,३१३	६,९६,८९१	६७,३१,०३२
१९५०–५१ *	३५,०४,४८८	३१,१६,२७१	६,७३,७६९	७२,९४,५२८
कुल	४,१०,३१,७६६	३,८९,७७,५९५	१,१४,५८,६३६	९,१४,६७,९९७

*: अधिकतर प्रमाणितों के आंकडे न मिलने स अंदाजी हिसाब करना पडा है।

तालिका २२

खादी-स्पर्धाअें

	तार	अंक	मजबूती	समानता	स्पर्धा-स्थान
चरखा संयुक्त कताअी (समय दो घंटे) परेतने सहित गति					
१ श्री. वैरवलिंगम्, तामिलनाड	७९२	१५।	८७	८९	हैद्राबाद, अप्रैल १९५१
२ ,, दानप्पन्नवर, कर्नाटक	७०३	१९॥	८३	८४	,, ,,
३ ,, लक्ष्मण सोलंकी, कर्नाटक	६९८	१६॥।	८६	८१	,, ,,
४ ,, अजाबराव मुळे, सेवाग्राम	६८५	१७	८७	८३	सेवापुरी, नवंबर १९४९
५ ,, यादवराव चौधरी, महाराष्ट्र	६३६	१७	८३	८९	,, ,,
चरखा तेज कताअी (समय दो घंटे) परेतने सहित गति					
१ श्री. गोविंदराव वानखेडे, महाकोशल	१०२१	१७।	७३	८०	हैद्राबाद, अप्रैल १९५२
२ ,, श्रीकान्त झा, बिहार	९९८	१५।	६२	८५	,, ,,
३ ,, सिद्रामप्पा, सेवाग्राम	९९७	१७	७८	८८	अनुगुल, अप्रैल १९५०
४ ,, लक्ष्मण सोलंकी, कर्नाटक	९७३	१५।	८४	८८	हैद्राबाद, अप्रैल १९५१
५ ,, अजाबराव मुळे, सेवाग्राम	९७२	१८॥	९४	८६	सेवापुरी, नवंबर १९४९
तकली कताअी (समय अेक घंटा) बिना अटेरे गति					
१ श्री. शंकर ताकसांडे, सेवाग्राम	२७२	१९॥	७९	८३	अनुगुल, अप्रैल १९५०
२ ,, गोकुलदास बारसागडे, रायपुर	२६६	१८	८८	७९	,, ,,
३ ,, रणछोडभाई, गुजरात	२४१	२०	९०	८२	,, ,,

तकली तेज कताअी (समय अेक घंटा) बिना अटेरे गति

१ कोंडिवा तुकाराम कुकडे,

सेवाग्राम	२५७	१८	७१	८७	हैद्राबाद, अप्रैल १९५१

ओटाअी— सलाई पटरी पर (समय अेक घंटा)

१ श्री. सिद्रामप्पा, कर्नाटक	५०॥=	तोले	अनुगुल,	अप्रैल	१९५०
२ ,, दानप्पन्नवर, कर्नाटक	५०	,,	,,	,,	
३ ,, हल्कूप्रसाद, महाकोशल	४५॥≡	,,	,,	,,	
४ ,, अरुणकुमार भट्ट, गुजरात	४४८≡॥	,,	,,	,,	
५ ,, चैतराम, महाकोशल	३६८–॥	,,	,,	,,	

धुनाअी— मध्यम धुनकी पर (समय दो घंटे) पूनी बनाने सहित गति

१ श्री. कंचनगोडा पाटील, कर्नाटक	५४॥=	तोले	,,	,,
२ ,, बलराम, महाकोशल	४१॥–	,,	,,	,,

बुनाअी— झटके करघे पर (सूत खोलने से लेकर बुनने तक)

	पुं. वार इंच	घं. मि.	पोत	अनुगुल
१ श्री. पांडुरंग गोसावी, सेवाग्राम	१६×८×४५	१७–४७	४३	अप्रैल १९५०
२ ,, लक्ष्मण सोलंकी, कर्नाटक	,,	२२–१८	४४	,,
३ ,, अप्पना कडकोल, सेवाग्राम	,,	२३–५७	४२	,,

बुनाअी— हाथ करघे पर (सूत खोलने से लेकर बुनने तक)

१ ,, लक्ष्मण सोलंकी, कर्नाटक	९॥×६×२७	१३–४८	४६	,,
२ ,, गणपतराव कोल्हे, सेवाग्राम	,,	१४–४५	४२	,,
३ ,, महादेवराव कोल्हे, सेवाग्राम	,,	२२–४	४२	,,



परिशिष्ट

[१] चरखा संघ के कुछ महत्त्व के प्रस्ताव

(१) पाठशालाओं के लिये बांस चरखा (ता. ४ सितंबर १९५१)

देश के विभिन्न राज्यों में कहीं कहीं पाठशालाओं में कताअी दाखिल की गअी है, और सभी जगहों से संघ के पास सरंजाम-समस्या संबंधी सूचनाअें तथा सवाल आते रहते हैं। अिस पर चर्चा हो कर निश्चित हुआ कि पाठशालाओं के लिये बांस चरखे का ही अिस्तेमाल होना चाहिये अैसा सुझाव संघ की ओर से जाहिर किया जाय; क्यों कि संघ की राय में पाठशालाओं में हर दृष्टि से अिस चरखे का अिस्तेमाल वांछनीय है। यह चरखे बना लेने का काम भी पाठशालाओं में ही होना चाहिये।

(२) सरंजाम कार्यालयों में बांस चरखा- (ता. ४ सितंबर १९५१)

संघ की मौजुदा नीति के अनुसार सरंजाम कार्यकर्ताओं की शक्ति व्यापारी काम में से अधिक से अधिक निकाल कर प्रयोग, स्वावलंबन तथा सरंजाम शिक्षण के काम में लगायी जाय अिसकी आवश्यकता संघ महसूस करता है और अब तक के अनुभव से पूंजी की बचत, सरंजाम-स्वावलंबन तथा कातने की गति में बांस चरखा श्रेष्ठ पाया गया है; अिस हालत में संघ के सरंजाम कार्यालयों में पेटी व किसान चरखे के अुत्पादन तथा बिक्री का जो काम बड़े पैमाने पर होता है, वह जारी रखना कहां तक ठीक है, अिस पर चर्चा होकर तय किया गया कि अैसे अुत्पादन का काम घटा दिया जाय और हर जगह बांस चरखे स्थानिक बनने लगें, अैसी कोशिश की जाय।

(३) चरखा संशोधन संबंधी प्रस्ताव-(ता. ७ और ८ जनवरी १९५१)

"मदुरा सरंजाम संमेलन का नीचे लिखा प्रस्ताव ट्रस्टी मंडल की सभा में पेश किया गया—

(१) "यह संमेलन अिस बात पर संतोष जाहिर करता है कि घर घर और गांव गांव कपडा बना लेने के उद्देश्य को सफल बनाने के लिये अच्छा और ज्यादह सूत कत सके अैसे सुधार चरखे में करने की कोशिश प्रयोगकारोंने की है। अिस तरह के जो चरखे यहां आये हैं, वे प्रयोगावस्था में ही हैं। मगर अिन प्रयोगों को

आगे बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न मर्यादाअें क्या क्या रहनी चाहिये अुसका साफ़ चित्र प्रयोगकारों के सामने आना जरूरी है। अिस संमेलन में आये हुअे प्रयोगकार चरखा संघ से अनुरोध करते हैं कि अिस बारे में अधिक साफ़ मार्गदर्शन करें।"

अिस विषय के सिलसिले में नीचे लिखे विचार अुपस्थित होते हैं :

कताअी दो उद्देश्यों से होती है-: (१) वस्त्रस्वावलंबन के लिये (२) रोजी कमाने के लिये। अपने कृषि-प्रधान देश की आज की दशा में दोनों काम फ़ुरसत के समय में ही करने के हैं।

वस्त्रस्वावलंबन में भी दो वर्ग पाये जाते हैं। अेक वर्ग अैसा है जो वस्त्रस्वावलंबन के उद्देश्य से ही कताअी करता है, और दूसरा वर्ग अैसा है जो वस्त्र-स्वावलंबन के साथ आर्थिक बचत की भी अपेक्षा रखता है।

और अेक वर्ग अैसा है जो चरखे द्वारा रोजी की भी अपेक्षा रखता है।

चरखा संघ की राय है कि सरंजाम-स्वावलंबन, सब के हथियाने लायक सरलता, काम करने में मानसिक शांति, सहज व्यक्तिविकास, और कम से कम कीमत में प्राप्त होना, अिन दृष्टियों से मौजूदा चरखा ही अुत्तम है। अधिक अुत्पत्ति की दृष्टि से नया चरखा कैसा भी बनाया जाय तो भी जहां पैसे की आमद की दृष्टि बदल्ती नहीं है वहां नये चरखे के प्रलोभन में आज के चरखे का अवलंबन कदापि कम न किया जाय।

जिनको वस्त्र-स्वावलंबन के साथ साथ पैसे की बचत की जरूरत है अुनके लिये अैसे चरखे का संशोधन आवश्यक है कि जिसमें आज के चरखे के अधिक से अधिक गुण कायम रहते हुअे अुत्पत्ति में थोडी ही क्यों न हो, वृद्धि हो सके।

जिनको चरखे द्वारा रोजी कमाना है अुनके लिये तो अैसे चरखे की आवश्यकता है कि जो आज के चरखे की अपेक्षा कअी गुना अधिक सूत दे सके ताकि बाजार में अुस सूत के दाम मिल्सूत की कीमत के आसपास पहुँच सकें।

अिसलिये अूपर लिखे अनुसार सब बातों का खयाल रखते हुअे नये चरखे अीजाद करने के प्रयोग चलने चाहिये।

रोजी की दृष्टि से अधिक अुत्पादन के चरखे में नीचे लिखी मर्यादाअें आवश्यक मानी जायं।

(क) चरखा मानव शक्ति से चल सकना चाहिये, और दूसरी शक्ति से चले तो वह मानव शक्ति की कताअी का मारक न बने।

(ख) अुसके पुर्ज़े अपने देश में आज की हालत में भी बन सकने चाहिये, भले ही वे कारखानों में बनने लायक हों।

(ग) आज की ग्रामीण जनता अुसे चला सके तथा मामूली बिगाड का सुधार करने की तालीम आसानी से हासिल कर सके।

(घ) वह घरेलू कताअी का साधन रहे। अर्थात् वह अैसा न हो कि धनी आदमी पूंजी के बल पर या कारखानों के बल पर अुसे चला कर स्पर्धा या शोषण कर सके। चरखा संघ को अैसा होने का पूरा भय है। और अिस दिशा में सरकार के कानून की मदद की जरूरत होगी। वह हरेक घर की अिकाअी में बैठने लायक साधन हो, न कि घानी की तरह ग्राम-अिकाअी के लायक साधन हो।

(ङ) अुसकी घिसाअी, अुस में लगी पूंजी पर व्याज तथा चालू खर्च यह सब मिल कर मध्यांक के अेक रत्तल सूत के पीछे दो आने से ज्यादा खर्च न होने पावे।

(च) धुनाअी से लेकर कताअी तक फी घंटा दो गुंडी देनेवाले चरखे की कीमत ज्यादा से ज्यादा रु. १५० हो तथा अेक गुंडी देनेवाले की ज्यादा से ज्यादा रु. ५० तक हो। यह गति चरखे की साफ़सफाअी, माल आदि ठीक करने आदि का वक्त मिला कर समझी जाय।

(छ) अिस चरखे पर कते सूत के दाम मिल्सूत की कीमत के आसपास रह सकें।

(४) प्रमाणितों को सूतशर्त से बरी करने का प्रस्ताव (ता. २७ मार्च १९४८)

कॉंग्रेस पंचायत के अुम्मीदवारों के लिये खादी पहनना लाजमी कर के कॉंग्रेस ने अेक भारी कदम अुठाया है अैसा चरखा संघ महसूस करता है। अिसलिअे सब को सहूलियत से खादी मुहैया हो अैसे खयाल से खादी को प्रमाणित करने की शर्तों में से सूत-शर्त को चरखा संघ उठा लेता है। प्रमाणित करने की बाकी की शर्तें जो कि शुद्ध खादी और मजदूरों के हित में हैं, रहेंगी। अितना करने के उपरांत चरखा संघ अपना पूरा ध्यान अिसके आगे वस्त्र-स्वावलंबन के काम पर देगा, याने उत्पत्ति-बिक्री का काम केवल उत्पत्ति-बिक्री के लिये वह नहीं करेगा। वस्त्र-स्वावलंबी लोगों की पूर्ति में अगर कुछ खादी वह दे सका तो कुछ समय के लिये यह देने की कोशिश करेगा। चरखा संघ को अिस तरह अपने को परिवर्तित करने में जो समय लगेगा अुस दरम्यान चरखा संघ के द्वारा जो बिक्री होगी वह अुसी तरह सूत-शर्त से होगी जैसी अभी हो रही है।

(५) शरीरश्रम करने बाबत प्रस्ताव (४ सितंबर १९५१)

चरखा संघ के कार्यक्रम में शोषणहीन समाजरचना के हेतु जब तबदीली करना मंजूर कर लिया, तब हमारी दृष्टि अर्थ-प्रधान व्यापार-मूलक कार्य से हटकर स्वावलंबन की तरफ विशेष रूप से आगे बढना स्वाभाविक ही है। परिणामतः श्रमनिष्ठा या अुत्पादक-परिश्रम की बात ज्यादा महत्त्व की हो गअी है। अुसी हेतु अनेकविध कार्यक्रम हाथ में लिये जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य वर्गविहीन साम्यवाद या सर्वोदय है। संघ यह महसूस करता है कि यह तभी हो सकेगा जब कि मनुष्य मात्र अुत्पादक परिश्रम के तत्त्व को कार्यान्वित करने पर अुद्युक्त हो।

अतएव चरखा संघ कार्यकर्ताओं से यह अपेक्षा रखता है कि वे अपने यहां चलनेवाले शरीरश्रम के कार्य में श्रमिक वर्ग के साथ निग्रहपूर्वक और वर्गविहीनता के विचार से समरस होने का आग्रह रखें और संभव हो तो संस्था के बाहर दूसरे लोगों के यहां भी अुसी दृष्टि से प्रत्यक्ष मजदूरी कमाने का कार्य महीने में कम से कम २४ घंटे किया करें और अुसकी वाजिब मजदूरी संघ में जमा करें। अपने अपने केन्द्र में काम करने के बजाय बाहर जाकर मजदूरी का काम करने से वर्ग-विषमता दूर करने की दिशा में हम अधिक आगे बढ सकेंगे।

[२] सिप्पिपारै शिबिर के निर्णय

(तामिलनाडु व केरल शाखा के चुने हुवे करीब ५० कार्यकर्ताओं का पंद्रह दिन का अेक शिबिर मअी-जून १९५१ में सिप्पिपारै नामक तामिलनाड के कोविल पट्टी विभाग के अेक छोटे से गांव में हुवा। चरखा संघ का खादी की अुत्पत्ति-बिक्री का पुराना काम वस्त्रस्वावलंबन और क्षेत्रस्वावलंबन की दृष्टि से बदलने के बारे में शिबिर में बहुत तफसील से चर्चा और विचार विनिमय हुवा। शिबिर के अंत में प्रत्यक्ष अमल में लाने के कार्यक्रम के रूप में कार्यकर्ताओं ने तय की हुअी बातें सारांश रूप में यहाँ दी गयी हैं।)

(१) चरखा संघ का मुख्य लक्ष्य चरखे के जरिये केवल वस्त्र-समस्या को हल करने का नहीं, बल्कि सर्वोदयी समाजरचना को नजदीक लानेवाली वस्त्रोत्पादन पद्धति को प्रस्थापित करने का है। यह पद्धति "वस्त्रस्वावलंबन प्राधान्य पद्धति" ही हो सकती है। याने जिसमें वस्त्रस्वावलंबन की मौलिकता की समझ, प्रतिष्ठा और गुंजाअिश समाज में रह सके, अैसी वह पद्धति होनी चाहिये। अिसी हेतु को सामने रख कर समझ-बूझ कर किया जाने वाला वस्त्र-स्वावलंबन देश में बढाने का काम आयंदा हमारा मुख्य कार्य रहेगा। अिसके लिये वस्त्र-स्वावलंबन

व अुसके पीछे रही हुअी मूल विचारधारा का अध्ययन व प्रचार करने की ओर तथा वस्त्र-स्वावलंबन को सरल व आकर्षक बनाने के तरीकों को खुद सीख कर दूसरों को सिखलाने की ओर हम ज्यादा ध्यान देंगे व अपने केन्द्र तथा तंत्र में अैसे बदल करेंगे जो अिस हेतुपूर्ति के लिये अुपयोगी हों।

(२) अगले साल देश भर में पचीस लाख वर्ग-गज वस्त्र-स्वावलंबी कपडा बने, अैसी कोशिश करने का विचार हैदराबाद के मंत्री व संचालकों की सभा में किया गया है। अुसमें तमिलनाडु प्रदेश का हिस्सा कितना रहेगा, अिसका विचार हुआ। आज वस्त्र-स्वावलंबन में भी अनेक प्रकार हैं : (१) समझ-बूझ कर और संकल्पपूर्वक कातनेवालों का, (२) मजदूरी के लिये कातनेवालों का, (३) संघ के कार्यकर्ताओं का और (४) पाठशाला तथा अन्य अुसी तरह की संस्थाओं में कते सूत का। अिनमें कुछ सूत बुनवा दिया जाता है तथा कुछ के बदले में तैयार कपडा दिया जाता है। अगर ये सब आँकडे मिलाये जायँ तो करीब आठ लाख वर्गगज का वस्त्र-स्वावलंबन काम होगा अैसा अंदाज किया गया। लेकिन हैदराबाद की सभा में की गयी व्याख्या के अनुसार अब नये ढंग से आँकडे रखने की कोशिशें करनी होंगी। जिसने संपूर्ण खादीधारी रहने का संकल्प किया है, अैसे समझ-बूझ कर कातनेवालों के ही आँकडे अुन २५ लाख वर्ग-गज में गिने जायँ, अैसी मर्यादा वहाँ तय हुअी है। वे आँकडे अलग निकालना कहाँ तक संभव है, यह भी देखना होगा। वह निकालने पर भी आज की कपडा कम मिलने की हालत में अपने कते सूत के नाम पर खरीदा सूत आने की संभावना सूत बुनवा देने के तरीके में है और सूत-भी बदल के तरीके में भी। अिन सबका विचार करते हुए तामिलनाडु शाखा के लिअे विभागवार लक्ष्य नीचे लिखे अनुसार तय किया गया :—

विभाग	सूत बुनाअी	सूत बदल	अन्य मार्ग से	कुल वर्गगज
मद्रास	८,४००	४,८००	१,८००	१५,०००
तंजावूर	१०,०००	५,०००	६५,०००	८०,०००
मदुरै	४०,०००	६०,०००	१,५०,०००	२,५०,०००
तिरुनेल्वेली	५,०००	३५,०००	८५,०००	१,२५,०००
तिरुप्पुर	६०,०००	९०,०००	२,००,०००	३,५०,०००
कुल वर्गगज	१,२३,४००	१,९४,८००	५,०१,८००	८,२०,०००

अन्य आँकडों में कत्तिनों के आँकडे भी लिये जायेंगे, जिनमें कताअी-मजदूरी काट कर दी जानेवाली खादी अभी तो कुछ दिन गिनी जायगी, मगर शीघ्र ही वह

प्रथा ही न रह कर नयी प्रथा के अनुसार के आँकडे अिसमें शामिल रहेंगे, जिसके अनुसार कत्तिनें स्वयं सूत हमारे यहां जमा रख कर बुनवा लेंगी या संपूर्ण सूत के बदले में खादी लेंगी। पाठशाला आदि संस्थाओं के भी आंकडे अिसमें रहेंगे।

बुनाअी व सूत-बदल के ३,१८,२०० वर्गगजों के अंदाज में कार्यकर्ताओं को डर है कि करीब पांचवाँ हिस्सा सूत खुद का या घर में कता न हो कर खरीदा हुआ हो। अब अिस ओर नये सिरे से ध्यान देना है। अिसलिये अिस साल तो अिन आंकडों की विशुद्धता में कुछ गडबडी रहेगी।

(३) आयंदा कपास से कपडे तक के प्रादेशिक स्वावलंबन की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा। अिसके लिये केवल शाखा के विभागों की ही अिकाअी मान कर नहीं, बल्कि बडे-बडे अुत्पत्ति केन्द्रों की अिकाअी मान कर कपास, कताअी, बुनाअी, धुलाअी, रंगाअी व सरंजाम-पूर्ति अुसी अिकाअी में हो, यह लक्ष्य रहेगा। हर विभाग कम से कम अेक केन्द्र तुरंत ही अैसा बनाने की कोशिश करेगा।

(४) कपास घरेलू तरीके से अुपजाने के प्रचार के साथ-साथ कहीं-कहीं अगर जमीन मिल सकी व अुस रुचि के कार्यकर्ता मिल सके, तो शरीर-परिश्रम के जरिये स्वावलंबन पर आधारित हो, अैसे चरखा संघ के कपास के नमूना-केन्द्र खोलना अिष्ट होगा। अैसे केन्द्र में अुस देहात के वस्त्र-स्वावलंबन की दृष्टि से कपास अुपजाने की कोशिश की जाय और संभव हो तो गाँव के वस्त्र-स्वावलंबियों की ही मदद बोवाअी, अंकरी बिनना, चुनाअी आदि में लेकर अुनके परिश्रम के बदले में कपास ही अुन्हें दिया जाय।

(५) वस्त्र-स्वावलंबन को प्राधान्य देते हुअे भी संघ की ओर से खादी-अुत्पादन का जो कुछ काम किया जाय, वह हमारे बुनियादी सिद्धान्तों की दिशा में आगे बढते रहना चाहिअे। क्षेत्र तथा घरेलू वस्त्र-स्वावलंबन, जीवन वेतन, कपडे की आयु बढाने तथा असली किफायतशारी के लिये यह जरूरी है कि कपडा बनाने की क्रियाओं को जहाँ तक हो सके, नजदीक ला कर अेक-दूसरे से अुन्हें जोडा जाय। अिसके लिये कम से कम अेक अुत्पत्ति-केन्द्र अैसा तैयार किया जाय जहाँ कपास से या रुअी से कपडे तक सारी प्रक्रियाअें अेक ही परिवार में हों।

(६) वस्त्र-स्वावलंबन को तथा खादी-अुद्योग को मिलों का कपडा हानि पहुँचाता है, अिसलिअे दोनों दृष्टि से खादी-काम करने वालों को अुस कपडे का समझ-बूझ कर पूर्ण रूप से त्याग करना जरूरी है। हमारे सारे अुत्पत्ति-केन्द्रों में अिस असली सचाअी का हम जोरों से प्रचार करेंगे तथा आगामी छः मास के अंदर सभी केन्द्रों को नियम लागू करेंगे कि—

(क) जो परिवार संपूर्ण खादीधारी बनेगा और मिल-कपडे का पूर्ण त्याग करेगा, अुसीका बचत-सूत पैसे से खरीद किया जायेगा।

(ख) जो परिवार खादीधारी न बन सके होंगे, अुनसे सूत लिया जायगा, लेकिन अुसके बदले में केवल कपास, रुअी, खादी या खादी–सरंजाम ही दिया जायगा, नकद पैसे नहीं दिये जायेंगे। (आये हुये कार्यकर्ताओं ने अपने–अपने विभाग में कहीं अेक मास में तो कहीं दो मास में तो कहीं छः मास में हरेक केन्द्र में यह नीति लागू करने की तारीखें भी शिबिर में तफसील से तय कर लीं।)

(७) अिस काम के लिये अुत्पत्ति–केन्द्रों में "कत्तिन–टोलियों" का संगठन किया जाय, याने मजदूरी से कातनेवालों की टोलियाँ बनाअी जायं। वे सब आपस में खादी का ही आग्रह रखें, मिल–कपडे का त्याग करें, संघ के नियमानुसार केन्द्र के केवल बचत सूत का लेनदेन ही हो आदि नीति को समझने तथा संभालने की व्यवस्था का बोझ भी अेक हद तक अपने पर लेवें।

(८) अिस प्रान्त के बिक्री भंडारों में कहीं कहीं खादी की ज्यादातर बिक्री देहाती क्षेत्रों में ही होती है। अैसे भंडारों को छोटा बना कर या बंद करके अिर्द–गिर्द के देहातों में वस्त्रस्वावलंबन केन्द्र के रूप में विभक्त कर दिया जाय। याने आसपास के अिन देहातों में सूत शर्त के अनुसार कातने वाले खादी प्रेमी अधिक हों और अुन देहातों में भंडार के कार्यकर्ता अलग अलग बैठ कर अपना वस्त्र-स्वावलंबन केन्द्र खोलें।

(९) कपडे की तंगी के कारण आजकल खादी की माँग अेकाअेक बढ गयी है। लेकिन यह माँग कितनी स्थिर रहेगी अिसका कोअी अंदाजा नहीं है, अिसलिये हमें अैसा कुछ नहीं करना चाहिये जिससे अचानक वह माँग गिरने से हमें अपने कारीगरों के साथ संबंध अेकदम से तोड देना पडे और हमारे वस्त्र स्वावलंबन के कार्यक्रम में अभी काम बढाने के खातिर और बाद में अुन्हें घटाने से बाधा पहुँचे। लेकिन हमारे निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कपास से कपडे तक की क्रिया कर के हमारी कल्पना का जीवन वेतन पानेवाले परिवार बढने लगे, पूर्ण खादीधारी कारीगरों का 'बचत' का सूत या कपास, रुअी, खादी व सरंजाम आदि के लिअे 'बदल' का सूत ज्यादा आने लगे तो अुतना उत्पादन जरूर बढने दिया जाय।

(१०) कुछ बिक्रीकेन्द्र अैसे खोले जायँ, जिनमें साडी, धोती आदि कुछ खास आवश्यक किस्में रहें जो कि कपडे में लगा हुआ पूर्ण सूत लेकर तथा अन्य खर्च के लिअे नकद पैसे लेकर ही बेची जायँ। अैसे स्वतंत्र बिक्रीकेन्द्रों के अुपरांत

हमारे चालू भंडारों में भी अैसा अेक अेक विभाग खोला जा सकता है। कताअी मंडलों को भी अैसी विशेष अेजेंसी के लिये प्रवृत्त किया जा सकता है। अैसा करने से आज की कपडे की तंगी में बढी हुअी माँग के कारण नियमित कातने वालों को खादी प्राप्त करने में विशेष प्राथमिकता मिल सकेगी।

(११) सूत बदल कर के खादी लेने वालों को अुस सूत पर सूतशर्त के अनुसार अधिक कपडा खरीदने के लिअे कूपन देने का तरीका बंद कर दिया जाय और अपना सूत बुनवा लेनेवालों को यह अधिकार सात गुना नहीं, बल्कि केवल चार गुना दिया जाय।

अन्य छोटी-मोटी बातें तय हुअीं, अुनमें कुछ तो पुराने निर्णय थे और कुछ नये थे, मगर रोजमर्रा की कार्यपद्धति के बारे में वे थे। अिनमें हरेक अुत्पत्ति-केन्द्र में तकुवा बन सके, मजदूरी से कातनेवाले अगर हम से चरखा खरीदें तो अुन्हें बाँस-चरखा ही बनवा दिया जाय, जहाँ तहाँ छोटी अिकाअी में सूत की रंगाअी शुरू हो, हर केन्द्र में कम से कम अेक करघा तुरंत शुरू हो, सूतशर्त में कभी लोग खरीदा सूत लाते हैं अुसे रोकने की कोशिश हो, हरेक बिक्री-भंडार हफ्ते में अेक या दो दिन बंद रख कर आसपास के देहातों में वस्त्र-स्वावलंबन का प्रचार व शिक्षण का काम किया जाय, भंगी का अुपयोग हमारे केन्द्र में कहीं न हो तथा खाद्य पदार्थों में मिल से बने पदार्थों का अुपयोग न हो, आदि बातें तय हुअीं या ताजी की गयीं। अिसके अुपरान्त यह भी तय हुआ कि तामिलनाडु शाखा के पाँचों ही विभाग मिल कर कम से कम २० कार्यकर्ता की अैसी खडी टोली बना ली जाय, जो शिबिर चलाने और अुपर्युक्त सारा नया कार्यक्रम अमल में लाने के लिये हर तरह से केन्द्रों व कार्यकर्ताओं को मदद दे सके। अिसमें शाखा के कुछ जिम्मेदार कार्यकर्ता भी अन्य कामों से मुक्त करके अवश्य लिये जायं।

ये सब निर्णय महत्व के हैं, कठिन भी हैं, खास कर तामिलनाडु जैसी बडी शाखा का काम बदलने में और वह भी आज की हालत में। लेकिन शिबिर में कार्यकर्ताओं के ध्यान में आया है कि यही हमारा असली काम है।

[३] क्रियात्मक अभ्यासक्रमों की मोटी कल्पना दर्शक विवरण पत्रक

अभ्यासक्रम का नाम	अभ्यास-क्रम की अवधि महीने-दिन	काम के दिन	अभ्यास के कुल घण्टे	विषय और काम की तादाद										
				चरखा कताअी		तकली कताअी गुंडी	धुनाअी सेर	तांत गज	तकुआ बनाना व दुरुस्त करना	बुनाअी				आसन व तौलिया
				अिकहरी गुंडी	दुबटा गुंडी					अेक सूती गज	अेक सूती पुंजम्	दुबटा गज	दुबटा पुंजम्	
खादी प्रवेश	१४–२०	२९४	२०५८	६०	३६	१२	तुनाअीसे पूनी बनाना	–	३०	–	–	३०	२२॥	'' '' २४×२४ २ १२ गज टॉवेल
बुनाअी कार्यकर्ता	१४–२०	२९४	२०५८	–	–	–	–	–	–	२०२	२२९	–	–	
कताअी कार्यकर्ता	७–१०	१४७	१०२९	७६	२३	१४	१३	८०	३०	–	–	–	–	–
पाठशाला कताअी शिक्षक	७–१०	१४७	१०२९	९६	१३	१८	तुनाअीसे पूनी बनाना	–	३०	–	–	–	–	'' – '' २४×२४
पाठशाला दुबटा बुनाअी या दुबटा बुनाअी	७–१०	१४७	१०२९	–	–	–	–	–	–	–	–	२४	५७	
* पाठशाला खादी प्रवेश	*१४–२०	२९४	२०५८	(सूचना	देखिये)	–	–	–	–	–	–	–	–	–

सूचना :– (१) पाठशाला खादी प्रवेशः– पाठशाला कताअी शिक्षक अभ्यासक्रम, पाठशाला दुबटा बुनाअी अभ्यासक्रम और मौलिक विषयोंमें खादी प्रवेश के सारे विषयों का अभ्यास अिनको मिलाकर पूरा होता है। (२) अभ्यासक्रमोंकी तफसीलवार ज्यादा जानकारी "चरखा संघ खादी शिक्षा समिति अभ्यासक्रम तथा नियमावली" अिस पुस्तिका में मिलेगी। मूल्य आठ आना। डाक खर्च अेक आना।

[४] प्रमाणित संस्थाओं को पूंजी की सहायता की योजना

(ता. ६–७ अप्रैल १९५१ प्रस्ताव संख्या १५ में से अुद्धृत)

राज्यसरकारों से हमारी सूचना है कि वे अैसी संस्थाओं को कर्ज देवें और अुसके कर्ज की रकम की अदायगी अन्य जरियों के साथ-साथ निम्न प्रकार से भी हो। फिलहाल तो यही दीखता है कि सरकारों का खादीकाम में पडने का अुद्देश्य केवल यही है कि गरीब बेकार देहातियों को काम देना अर्थात् अुन्हें कुछ आमदनी का जरिया देना। अिसलिअे सरकार की आर्थिक मदद में मुख्य दृष्टि यह होनी चाहिये कि गरीब देहातियों के पास खादीकाम के द्वारा कितना पैसा पहुँचता है। और आज की दशा में सरकार की मदद अिस पहुँचनेवाले राहत की दृष्टि से होना अुचित समझना चाहिये। अिसलिअे चरखा संघ की सूचना है कि सरकार संस्थाओं ने कत्तिनों धुनियों और बुनकरों में बांटी मजदूरी पर ४% मदद देवे और यह मदद की रकम सरकार ने दिये हुअे कर्ज अदा करने में लगे। जिनको कर्ज नहीं दिया जाता है अुनको भी अैसी मदद मिलनी चाहिये। अिस प्रकार सरकार को चार प्रतिशत के हिसाब से अुसी परिमाण में मदद देनी पडेगी कि जितने परिमाण में राहत का काम होगा। धीरे धीरे कर्ज की अदायगी भी हो जावेगी। साथ ही संस्थाओं की पूँजी बढ जावेगी जिससे वे अपना काम स्थायी रूप से कर सकेंगी। अगर आगेपीछे कभी संस्थाओं को खादीकाम बंद करना पडे तो कानून और संस्थाओं के नियमों के अनुसार अुस पैसे का अुपयोग वैसे ही काम के लिअे होगा अथवा सामान्यतः ग्रामोत्थान में उपयोगी पडेगा। यह व्यवस्था कारगर होने के लिअे आवश्यक है कि अुसके अमल के लिअे कुछ सख्त नियम बनाये जायं। फिलहाल यहाँ कुछ नियम सुझाये जाते हैं जिनमें दुरुस्ती और कमी-बेशी हो सकती है।

(१) संस्था सन १८६० के कानून नंबर २१ के अनुसार रजिस्टर्ड होनी चाहिये या ट्रस्ट रूप में रजिस्टर्ड होनी चाहिये। अुसमें अेक नियम यह भी हो कि सरकार का अेक प्रतिनिधि अुसकी प्रबंध-समिति में हो। वह प्रतिनिधि खादीप्रेमी और आदतन खादीधारी होना चाहिये। यह भी अेक नियम होना चाहिये कि अगर संस्था टूटे तो अुसके पैसे का अुपयोग दूसरे किसी जरिये से खादीकाम के लिअे और ग्रामोत्थान के काम के लिअे हो।

(२) संस्था की चल संपत्ति सरकार की रकम के लिये सरकार के पास गिरवी रहे; अर्थात् सरकार का अुस पर पहला चार्ज रहे।

(३) संस्था चरखा संघ द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये। बिना चरखा संघ के प्रमाणपत्र के किसी भी संस्था को मदद देने की सरकार गल्ती न करे। क्यों कि

केवल चरखा संघ अैसी संस्थाओं पर नियंत्रण रख सकता है और अुनके द्वारा खादी काम ठीक रीति से चला सकता है। अगर कर्ज लेने के बाद संस्था अप्रमाणित हो जाय तो अुसी समय अुस संस्था को सरकारी कर्ज की रकम अदा कर देनी चाहिये। और अुस दशा में संस्था के प्रबंधकारी सदस्यों की सरकार का कर्ज अदा करने में अंगत जिम्मेदारी भी होनी चाहिये।

(४) संस्था की खुद की पूँजी कम-से-कम रुपये ६,००० की होनी चाहिये, जिस पूँजी में से अेक पंचमांश से अधिक अुधारी कदापि न रहे। और पदाधिकारी, मंत्री या कार्यकर्ता की तरफ तो अुधारी बिलकुल ही न रहे। पर चरखा संघ प्रमाणित अन्य संस्थाओं को माल भेजने में कभी कभी जो थोडा समय अुधारी रखनी पडती है अुसमें बाधा न समझनी चाहिये।

(५) सरकार और चरखा संघ की तरफ हर महीने की दसवीं तारीख तक पिछले महीने का तलपट भेजा जाय और सालाना आखिरी हिसाब के कागजात भी साल के अंत में भेजे जायँ।

(६) हर साल कामगारों की रकम और मुनाफा रिजर्व तथा अन्य रीति से संस्था की खुद की मूल पूँजी खादी के काम के लिये बढती जानी चाहिये।

(७) सरकार को संस्था की चल पूंजी पर चार गुना तक रकम कर्ज रूप से देनी चाहिये। अुस पर व्याज नहीं लेना चाहिये।

(८) कत्तिनों, धुनियों और बुनकरों में बांटी गयी मजदूरी पर प्रतिशत ४ रुपये आर्थिक मदद सरकार से मिले और यह सरकारी कर्ज में अदा हो।

(९) अगर संस्था की पूँजी अिस तरह बनी है कि अुसके कुछ थोडेसे सदस्यों ने ही बहुत सी रकम अुस संस्था को कर्ज के रूप में दी हो तो अैसे सदस्यों की सरकार की रकम के लिये अंगत जिम्मेवारी हो।

(१०) अैसी संस्थाओं को कर्ज सरकार केवल चरखा संघ की सिफारिश पर ही देवे।

(११) सरकारी काम कुछ बजट के आधार पर ही हो सकता है। अिस लिये जो रकम कर्ज के रूप में दी गयी है अुसके पेटे जो ४% की सहायता दी जावेगी वह कर्ज की अदायगी होने पर बंद हो जाय। पर जहाँ कर्ज न दिया गया हो वहाँ संस्था की परिस्थिति देख कर अुसके काम के अंदाज से सालाना आर्थिक मदद की कुछ अंतिम मर्यादा भी बांधनी होगी।

अनुभव पर से नियमों में जो बदल किये जावेंगे वे संस्थाओं पर बंधन-कारक रहेंगे।

अिस योजना का ३ वर्ष तक अमल होकर फिर अुसके परिणाम के बारे में सोचा जाय और जो कुछ फर्क करना मालूम हो सो किया जाय।

[५] प्रमाणितों के लिये रुअी–संग्रह योजना

(१) जो संस्थायें अपनी रुअी की आवश्यकता अक्तूबर १५ तक संघ को बता देंगी और रुअी की पूरी कीमत के २५% दाम पहले भेज देंगी, अुनकी पूरी रुअी शेष ७५% दाम लगा कर चरखा संघ खरीद करेगा।

रुअी की कीमत में हेरफेर होते रहता है। अिसलिये २५% दाम भेजते वक्त जो चालू भाव होगा, अुसी भाव के अनुसार हिसाब कर के संस्थाओं को दाम भेजने चाहिये। प्रत्यक्ष खरीद–भाव में जो अंतर रहेगा, वह हिसाब पूरा हो जाने के बाद लिया या दिया जा सकेगा।

(२) यह रुअी–खरीद, जहाँ चरखा संघ की सुविधा होगी, रुअी की मंडी होगी तथा पक्के गोडाअून आदि की सुविधा रहेगी, वहाँ की जा सकेगी। गुजरात, मध्यप्रदेश, हैद्राबाद, राजस्थान और तामिलनाडु प्रदेश में संघ के कार्यकर्ताओं की मार्फत रुअी–खरीद हो सकेगी, परंतु रुअी खरीदनेवाले केंद्र अपना प्रतिनिधि भेजना चाहते हों तो रुअी–खरीद के वक्त वह अुपस्थित हो सकेगा।

(३) गुजरात का रुअी-खरीद का मौसम जनवरी में शुरू होता है और अन्य जगह वह दो महीने पहले यानी नवंबर में शुरू होता है। अतः अुपर्युक्त २५% रकम गुजरात की रुअी के लिअे जनवरी १५ तक संघ के पास आ जानी चाहिये और अन्य जगह की रुअी के लिये वह नवंबर १५ तक आ जानी चाहिये।

(४) रुअी की कीमत निम्नलिखित बातों का विचार करके हरेक साल के लिये निश्चित की जायगी :

(अ) प्रत्यक्ष रुअी-खरीद की कीमत

(आ) गोडाअुन किराया

(अि) बीमा-खर्च

(अी) संघ की जितनी रकम लगी होगी, अुस पर ३% व्याज

(अु) अन्य व्यवस्था-खर्च जो प्रत्यक्षमें करना पडेगा

(५) केन्द्रों को जैसे-जैसे रुअी की आवश्यकता होगी, वैसे-वैसे वह भेज दी जावेगी। अर्थात् जितनी रुअी भेजी जावेगी, अुसकी ७५% कीमत नकद अदा होने के बाद ही वह भेजी जावेगी।

[६] शाखाओं के विभाग करने के संबंध में संघ की नीति

(ता. ७।८ जनवरी १९५१ प्रस्ताव संख्या ३ में से अुद्धृत।)

प्रांत में विभिन्न परिस्थिति के कारण अलग अलग क्षेत्र रहना स्वाभाविक है अिस दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों के कार्यक्रम में भी कुछ भेद रहना स्वाभाविक हो जाता है। अिस विचार से अब प्रांतीय शाखा की मार्फत काम चलाने के बदले विभिन्न विभागों की योजना आजमाना अुचित मालूम पडता है।

अिन विभागों के कामकाज के बारे में फिलहाल नीचे लिखी पद्धति रखी गअी है।

(अ) शाखा में जहाँ जितनी सुविधा हो वहाँ क्षेत्रों की अनुकूलता सोच कर शाखा का मौजूदा काम विभाग-मंडल में परिवर्तित करने की दृष्टि से जहाँ संभव हो वहाँ विभाग बनाना चालू किया जाय।

(आ) शाखा के विद्यमान मंत्री की मियाद के बाद नये मंत्री की नियुक्ति, शाखा का संपूर्ण क्षेत्र विभागों में परिवर्तित होने पर अनिवार्य न मानी जाय और अुस हालत में मंत्री का काम विभाग–मंडल के संचालकगण सांघिक जिम्मेवारी से संभालें।

(अि) हरेक विभाग के लिये अेक अेक संचालक की नियुक्ति की जाय जो कि अपने क्षेत्र के समूचे कामकाज की तथा आर्थिक व्यवस्था के लिये जिम्मेवार रहें।

(अी) हरेक विभाग अपना कामकाज चलाने में स्वतंत्र रहेगा। फिर भी यथा संभव किसी अेक शाखा या विभाग मंडल के अंतर्गत रहे हुअे विभागों की सर्वसाधारण नीति अेक रहेगी जो कि संघ के केंद्रीय दफ्तर की मंजूरी के साथ विभागों के संचालकगण मिल कर तय करेंगे।

(अु) आज जिस तरह से शाखा के हिसाब की व्यवस्था है अुस तरह से हरेक विभाग की अपने अपने हिसाबकी व्यवस्था स्वतंत्र रहेगी। प्रधान कार्यालय में हरेक विभाग का स्वतंत्र खाता होगा। हरेक विभाग का नफा, नुकसान, हिसाब अलग अलग रहेगा। हर विभाग के बजट अपनी जिम्मेदारी से विभाग संचालक बनावेंगे। लेकिन यह बजट मंजूरी के लिये प्रधान कार्यालय को भेजने के पहले विभाग मंडल के संचालकों की बैठक में मंजूर करवा लेना होगा। अिस से हर विभाग-मंडल याने शाखा की कार्यनीति में जरूरी समानता बनी रहने में मदद होगी।

(अू) विभाग संचालकों में से हर साल बारी बारी से आमंत्रक चुना जायगा।

(अे) हरेक शाखा-मंडल के अंतर्गत विभाग संचालकों की त्रैमासिक सभा हुआ करेगी। जिसमें सर्वसाधारण नीति, कार्यक्रम के बारे में विचार और अपने अपने अनुभव की जानकारी दी जा सकेगी। सभा का स्थान आमंत्रक तय करेगा।

(अै) विभाग संचालक आपसी-परामर्ष से कार्यकर्ताओं की तबदीली मंडल के अंतर्गत हो अुस मर्यादा तक कर सकेंगे।

(ओ) विभाग आपस में अेक दूसरे के हिसाब के निरीक्षण और जांच का काम करेगा अिस बारे में संचालकों की त्रैमासिक सभा में कार्यक्रम तय किया जावेगा।

(औ) त्रैमासिक सभा का अहवाल तैयार करना और अपने मंडल के विभाग संचालकों को तथा प्रधान कार्यालय को भेजना आदि कार्य आमंत्रक के जिम्मे रहेगा।

(अं) आकस्मिक विशेष घटनाओं के लिये विभाग संचालकों की सभा घटना स्थल पर बुलाअी जावेगी। अिस की सूचना आमंत्रक घटना स्थल के विभाग संचालक की सुविधा से सबको देगा। विभाग संचालक सर्व संमति से अैसी घटना पर निर्णय लेंगे। संचालकों की अेक राय न हो तो केंद्रीय दफ्तर के मंत्री या अुन के प्रतिनिधि की राय निर्णयात्मक मानी जावेगी। विभाग संचालकों की राय अेक होते हुअे भी यदि केन्द्रीय मंत्री अुचित समझे तो अस निर्णय को वह बदल सकेगा।

(अः) यह आवश्यक है कि हर विभाग अपने अपने काम में स्वतंत्र रहते हुअे अेक दूसरे विभागों के पूरक के रूप में काम करने का पूरा ख्याल रखें। अिस दृष्टि से अूपर के नियमों में जरूरत के अनुसार बदल किये जा सकेंगे।
